Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३१वां दिवस [संख्या २३

शुक्रवार, दिनांक २६ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल-सहायता, स्वास्थ्य, गृह, खाद्य, सिंचाई, कृषि, पशु-पालन, नियुक्ति एवं खनिज-विभाग]

प्रश्न संख्या ५३८

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५३९

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५४०

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५४१

श्री अब्दुलजब्बारखां।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५४२

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

तहसील सांचोर में हुई डकैती के मुलजिमानों की रिहाई

५४३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर में सम् १९५६-५७

Page No 2

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में हीरा जेठा की पार्टी ने ग्राम जाखल में कत्ल के साथ डकैती की थी ? क्या यह भी सच है कि उस मुकदमे की तफतीश होकर हस्ब दफा ५१२ जाब्ता फौजदारी चालान पेश किया गया था ? अगर हां, तो उस मुकदमे में मुलजिमान की गिरफ्तारी कब की गई ?

(२) क्या यह सच है कि पुलिस ने उपरोक्त मुकदमे में डकैतों को रिहा करवाया और मुकदमे को खत्म करवाया गया ? अगर हां, तो क्यों जबकि अदालत में चालान पेश होकर गवाहान के बयान हो चुके थे, तो फिर इकतामी क्यों निकाली गई ?

(३) उपरोक्त संगीन जुर्म से मुलजिमान के रिहा होने की जिम्मेदारी किसकी थी ? गफलत करने वाले अफसरान के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? अगर अब तक कार्यवाही नहीं की गई तो क्या सरकार अब कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) ग्राम जाखल में हीरा जेठा के दल के १४ सदस्यों ने डकैती अवश्य की थी परन्तु कत्ल नहीं किया, उनमें से एक का भी पता न चलने पर दिनांक ३१-१२-५६ को धारा ५१२ जा० फो० की कार्यवाही कराने हेतु उनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था । तत्पश्चात् इनकी गिरफ्तारी निम्न तारीखों में की गई ।

(१) घीरिया और करीम खां दिनांक ४.६.५७ को ।

(२) बलवन्तसिंह दिनांक १६.१.५८ को ।

(३) प्रतापसिंह और लालसिंह दिनांक २६.१.५८ को ।

(४) नज्जू मियां दिनांक २८.३.५८ को ।

(५) रूपसिंह दिनांक ६.६.५८ को ।

(६) हीरा दिनांक ६.६.६० को ।

(७) भीमसिंह दिनांक १०.६.५६ को ।

(८) जेठा दिनांक ७.७.६० को ।

(६) काना अभियुक्त दिनांक २५.१.५६ को तथा चूकसिंह माह अप्रेल ६० में मुकाबले में मारे गये

बाकी माना और खंगारिया फरार हैं

(२) जी नहीं । यह सत्य नहीं है । मुलजिमान घीरिया, करीम खां, बलवन्तसिंह प्रतापसिंह, लालसिंह, नज्जूमियां, तथा रूपसिंह का चालान किया था जिनमें से प्रथम पांच तो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट सांचोर से रिहा हुये । तथा शेष दो अतिरिक्त सेशन्स कोर्ट जालोर से बरी हुये । जिन आधार पर ये अभियुक्त रिहा-बरी हुये, वही आधार अभियुक्त गण भीमसिंह, हीरा तथा जेठा के लिये था तथा वही शहादत थी; अतः इस आधार और शहादत पर इनका चालान करना न्यायसंगत नहीं था । अतः इन्हें धारा

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

१६६ जा० फो० के ग्रधीन छुड़वाया जाकर इनके विरुद्ध इस्तगामी ग्रदम सबूत में दी गई।

(३) किसी भी गवाह ने मुलजिमान को शनाख्त नहीं किया और इसी कारण उनके विरुद्ध सुबूत नहीं रहने से ग्रदालत से वे रिहा या बरी हुये। अतः इसमें किसी भी ग्रधिकारी का कोई दोष नहीं था। इस कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जब दूसरे मुलजिमान के चालान पेश कर दिये थे, ग्रौर लीगल ब्रांच की तरफ से कोई राय नहीं थी तो फिर उन लोगों को क्यों छोड़ दिया?

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य: जैसा मैंने निवेदन किया, जो मुलजिमान एक्विट या डिस्चार्ज हुए वे शनाख्त की एब्सेंस, रिकवरी ऑफ प्रोपर्टी, डिले आदि ग्राधारों पर एक्विट या डिस्चार्ज हुए। वे ही आधार उन व्यक्तियों के साथ थे जिनको १६६ के मातहत ग्रदम सुबूत में छोड़ा गया। कोई भी शनाख्त करने की स्थिति में नहीं था, तो चालान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ग्रभियुक्त पहले फरार थे, उनके डर से लोगों ने बयान नहीं दिये। लेकिन जब सारे राउंड ग्रप हो गये, तो यह जरूरी नहीं जबकि ५१२ में बयान मौजूद थे।

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य: आइडेंटीफिकेशन परेड में उनकी स्थिति देख ली गई। परेड में किसी भी गवाह ने मुलजिमान की शनाख्त नहीं की।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: क्या यह सही है कि पुलिस ने जानबूझ कर शनाख्त नहीं करवाई?

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य: शनाख्त की कार्यवाही यथोचित कार्रवाही करवाई गई ग्रौर शनाख्त करने में गवाह ग्रसफल रहे। ऐसी स्थिति में चालान करने का सारा केस ही खत्म हो गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: कितने दिन पहले यह शनाख्त करवाई गई?

श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य: वह तारीख तो नहीं अर्ज कर सकता, लेकिन शनाख्त के पहले जितने एतिहात रखे जा सकते हैं कि मुलजिमान को दिखाया नहीं जाए वगैरह, वे सारे रखे गए। इसलिये ग्रगर थोड़ी सी डिले भी हुई तो भी वह डैमेजिंग नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ग्रध्यक्ष महोदय सारे मुलजिमान को बापर्दा नहीं रखा गया। गवाहान ग्रौर मुलजिमान वहीं के रहने वाले हैं; यह कैसे हो सकता है कि गवाहान मुलजिमान को नहीं पहिचानें?

श्री ग्रध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

डा० भारद्वाज के विरुद्ध मामले

५४४. श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर): क्या चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे......

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि एस० एम० एस० मैडिकल कॉलेज, जयपुर के पैथोलोजी विभाग के अध्यक्ष डॉ० टी० पी० भारद्वाज द्वारा १५) रु० प्रति मामले की मर से बाइआप्सी परीक्षण शुल्क (Biopsy Examination Fee) वसूल की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि महालेखापाल के कार्यालय की ऑडिट पार्टी द्वारा मार्च १९६४ में बाइओप्सी परीक्षण के ऐसे छः मामलों का पता लगाया था जिसमें डा० भारद्वाज द्वारा रकम प्राप्त की गई किन्तु जमा नहीं करवाई गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि ऑडिट आपत्ति के बाद दूसरे दिन डा० भारद्वाज ने यह राशि जमा करवा दी थी ?

(४) क्या यह सही है कि कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अन्य मामलों का पता लगाया गया है जिनमें डॉ० भारद्वाज द्वारा रकम प्राप्त की गई किन्तु जमा नहीं करवाई गई ?

(५) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) चूंकि इस मामले में नियुक्ति विभाग ने दिनांक ६. १. ६५ को डॉ० टी० पी० भारद्वाज को चार्ज शीट कर दिया है और इस मामले की डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है, अत: ऐसी स्थिति में इस विषय में विस्तृत चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

(२) " "

(३) " "

(४) " "

(५) " "

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार्ज शीट कौनसी तारीख को दी गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ६-१-६५ को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इन दोनों पर भी चार्जशीट दी गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो मामले उनके सुपुर्द किये गये उन सारे तथ्यों पर चार्ज शीट दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये भी उसमें शामिल हैं या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, ये भी होंगे

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि डा० भारद्वाज निलम्बित हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, ये भी होंगे

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि डॉ. भारद्वाज निलम्बित हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनका जो सस्पेन्शन ऑर्डर है उसका आधार ये चार्जेज भी हैं क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि इन मामलों पर इन्क्वायरी चल रही है, इसलिए इन विषयों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

Page No 5

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको जो सस्पेंड किया हुआ है, उनको आपने कुछ और चार्जेज पर सस्पेंड किया है। ये जो उनके ऊपर नये चार्जेज़ हैं उनके ऊपर भी सस्पेंड किया है या नहीं ? मान लीजिये जिन चार्जेज़ पर आपने सस्पेंड किया है वे चार्जेज़ प्रूव नहीं होते हैं, तो वह इन चार्जेज के ऊपर सस्पेंडेड रहेगा कि नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इनमें इस प्रकार का कोई निश्चित आधार नहीं दे सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस डॉक्टर के मामले बार बार आते हैं। पिछली बार सदन में जब यह सवाल आया तो सरकार ने उससे पैसे वसूल किये। यह प्रश्न उठाने के बाद पैसे जमा कराये गए। कल भी प्रश्न आया, उसको भी टाल दिया गया। माइक्रोटोम के सवाल को भी एक साल से अधिक हो गया। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको बचाने की कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं और प्राइमा फेसी केस है और चार्ज शीट दी गई है, तो फिर सस्पेंड क्यों नहीं करते ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : किसी को भी किसी तरह का संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है। इन्क्वायरी पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी, यह आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन जो इन्टेरिम ऑर्डर्स होते हैं कि चार्ज शीट होने के बाद सस्पेंड होना चाहिये, तो उनको जब आपने चार्जेज़ पर चार्ज शीट दिया है तो सस्पेंड क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : हर एक चार्ज पर अलग सस्पेंड करने की क्या आवश्यकता है ? मान लीजिये किसी चार्ज पर डिस्चार्ज हो जाते तो फिर सवाल आयेगा कि दुबारा सस्पेंड किया जाये या नहीं। सस्पेंशन कोई सजा तो है नहीं। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि चार्जेज़ हैं या नहीं, तो मंत्री महोदय ने बता दिया कि ये चार्जेज़ भी लगाए गए हैं।

(विराम)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

रेलवे पुलिस के निलम्बित कर्मचारी

५४५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे....

(१) पुलिस विभाग, राजस्थान में गवर्नमेंट रेल्वे पुलिस के कितने कर्मचारी विभागीय जांच के सिलसिले में निलम्बित हैं ?

(२) निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग कितने कितने अर्से से जांच कर रहा है ?

(३) क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया, न्यू देहली से सन् १९५८ में कोई मीमो सारे राज्य के मिनिस्टर्स के नाम जारी किया गया था जिसके अनुसार किसी मामले में विभागीय

Page No 6

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जांच एक बर्ष में समाप्त कर दी जानी चाहिये ? यदि हां, तो मीमो की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या सरकार ऐसे निलम्बित कर्मचारियों के रोगग्रस्त हो जाने पर उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध करती है या अन्य कोई सहायता देती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की सुविधा देने का विचार रखती है ?

(५) उपरोक्त निलम्बित कर्मचारियों में से ऐसे कितने हैं जिन्हें निलम्बित-काल में मिलने वाले अलाउन्स नहीं दिये गये हैं और इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सरकारी रेल्वे पुलिस के ३ हैड कॉन्स्टेबल और ४ कॉन्स्टेबल विभागीय जांच के सम्बन्ध में निलम्बित हैं।

(२) इसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(३) ऐसा कोई मीमो का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

(४) निलम्बित समय में भी कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता उसी प्रकार दी जाती है जैसे ड्युटी पर रहने वाले कर्मचारियों को दी जाती है।

(५) ऐसा कोई निलम्बित कर्मचारी नहीं है जिसे निलम्बित-काल में दिया जाने वाला भत्ता नहीं दिया गया हो।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में कहा गया कि भारत सरकार से ऐसा कोई पत्र नहीं आया। क्या इस राज्य सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का निश्चय किया गया है, जिसके द्वारा निलंबित के विरूद्ध कार्यवाही जल्दी से जल्दी पूरी की जाय और वह एक साल में खत्म हो जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार की यह नीति है कि जांच शीघ्रातिशीघ्र की जाय।

श्री अध्यक्ष : और ६ महीने से ज्यादा सस्पेन्शन में न रहे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी/हां।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भी कैसेज की आपको जानकारी है जो १९५३ से अभी तक निलंबित चले आ रहे हैं और उनको न तो पोस्ट पर लगाया; मुकदमा चलाया, अदालत ने बरी कर दिया, इसके बाद में हाई कोर्ट से बरी हो गया। अब एक मामूली कॉन्स्टेबल है जिसकी तनख्वाह ५५ रुपये हो, वह सन् १९५३ से बाकायदा सस्पेन्शन में रहे और हाई कोर्ट में आप कामयाबी प्राप्त करने का चेष्टा करें, उसमें भी नाकामयाब रह जायं, इसके बाद उस बेचारे को न तो आसमान और न जमीन, न पैसा ही मिलता है……

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसे मैंने निवेदन किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।

Page No 7

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं समझता हूं कि आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको मुझसे ज्यादा अधिकार हैं. उत्तर-दायित्व आपके कंधों पर हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार ६ महीने से ज्यादा किसी को निलंबित न रखा जाय। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर सारे कैसेज़ पर पुनर्विचार करें तो जो आपकी मन्शा है उस नियम के द्वारा राहत पहुंचाने की, वह पूरी होगी और साथ साथ जांच भी आगे बढ़ेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो ऐसे कैसेज़ हों जिनके अन्दर सस्पेन्शन किया हुआ हो, कैस कोर्ट में चल रहा हो, उस सम्बन्ध में भी सरकार की नीति ६ महीने वाली है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार की तरफ से तीन महीने में ही समाप्त करने की कोशिश की जाती है, छः महीने तो मेक्जिमम हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी लिये है। जब केस हाईकोर्ट में चला जाता है और वहां समय लगता है तो छः महीने की जो मयाद है उसे तो खत्म किया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी नीति नहीं है। अदालत का वर्डिक्ट होने पर ही किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

मधु फार्मेस्युटिकल, जयपुर की दवाई के केमिकल एनेलिसिस की रिपोर्ट

५४६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या विधान सभा के गत सत्र में दिनांक १२ मार्च, १६६४ को श्री वाई. एन. हांडा ने मधु फार्मेस्युटिकल, जयपुर की एक दवाई की शीशी प्रस्तुत की थी जिसमें कि कोई कीड़े या फफूंदी का संदेह था, का केमीकल एनेलिसिस करवा लिया गया है ? यदि हां, तो उस दवाई में कोई दोष पाया गया है ? उस एनेलिसिस रिपोर्ट की प्रति-लिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यदि केमिकल एक्ज़ामिनेशन अब तक नहीं कराया गया है, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१)व(२) मधु फार्मेस्युटिकल की ऐफोडिरोल की शीशी विधान सभा के गत सत्र में दिनांक १२ मार्च, १६६४ को श्री वाई. एन. हांडा, एम. एल. ए. ने प्रस्तुत की थी जिसमें कि कोई कीड़े या फफूंदी का संदेह था। यह शीशी प्रारम्भ में केमिकल एनेलेसिस के लिये केमिकल एग्ज़ामिनर, सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज के पास भेजी गई। रिपोर्ट दिनांक १८.३.६४ से यह साबित हुआ कि शीशी में कोई कीड़ा नहीं था। बल्कि इस प्रकार की फफूंदी (फंगस) पाई गई जिसकी अग्रेतर जांच कल्चर करके की गई और माइक्रोस्कोपिक परीक्षा भी की गई जिससे यह विदित हुआ कि यह फफूंदी

Page No 8

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(फंगस) की है जो कि किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न करने वाली नहीं है व हानिकारक भी नहीं है। उसी औषधि का भाग गवर्नमेन्ट एनेलिस्ट, जयपुर के पास ड्रग्स एक्ट के अन्तर्गत फार्मेस्युटिकल एनेलिसिस के लिये केमिकल एग्ज़ामिनर ने दिनांक १७-३-६४ को भेजा।

गवर्नमेंट एनेलिस्ट के यहां पूरे रीएजेन्ट जिनकी इस प्रकार की पेटेन्ट दवाइयों के विश्लेषण में आवश्यकता होती है प्रयोग शाला में उपलब्ध नहीं होने के कारण फार्मेस्युटिकल जांच पूरी नहीं हो पायी है। रीएजेन्ट मंगवाने का प्रयत्न जारी है, कुछ आ गये हैं और कुछ आने बाकी हैं। आजकल (स्पेशल) रीएजेन्ट इम्पोर्ट प्रतिबन्ध के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं होते, फिर भी प्रयत्न जारी है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी और माननीय सदस्यों कि जानकारी के लिये यह भी बताना चाहूंगी कि इस फर्म का लाइसेन्स १७.१२.६४ को कैंसिल कर दिया गया। जहां ड्रग्ज़ इन्स्पेक्टर हैं उन सबको सूचना दे दी गई है कि इस कम्पनी का माल सीज़ कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के बैज थे उनका भी केमिकल एनेलिसिस कराया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसी शीशी का कराया गया।

श्री भैरोंसिंह : फर्म्स ने जो दवाइयां बनाई थीं, उनमें से इस शीशी में ही यह फंगस मिला था या बाकी में भी ? एक ही शीशी में फंगस क्रीयेट हुआ था या बाकी की शीशियों में भी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जांच तो इसी शीशी की की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें यह कारण नहीं हो सकता कि फंगस क्लाइमेटिक कन्डीशन्स के कारण पैदा हो गई ?

श्री अध्यक्ष : इस बैच की सारी दवाइयां ही जब्त कर ली गई।

श्री भैरोंसिंह : एक्ज़ामिनेशन तो कराया होता।

श्री अध्यक्ष : वह करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उसका थोड़े ही करवा रहे हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : फर्दर रिपोर्ट आनी बाकी है, उससे पता लगेगा। जब तक पूरे की ऐनेलिसिस रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उस बैच की दवा को बेचना बन्द कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जिन फार्मेसीज़ की दवाओं में फंगस पैदा हो तो क्या उनकी उन दवाओं के लाइसेन्स को कैंसल कर देंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने सुना नहीं, आप फिर से पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : जिन दवाओं की शीशियों में इस प्रकार का फंगस मिल जाय; जिसके लिए यह मालूम नहीं है कि फंगस

(श्री भैरोंसिंह)

किस कारण से बना है और एक शीशी में क्यों बना है बाकी की फार्मेसीज की दवाओं में मिल जाय तो फंगस मिलने पर क्या आप उसका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : फौरिन मैटर होगा तो ड्रग्ज एक्ट के नीचे आयगा।

श्री भैरोंसिंह : यह फोरिन मैटर नहीं है। फंगस अन्दर ही बना है।

श्री अध्यक्ष : दवाई के विपरीत बना है ?

श्री भैरोंसिंह : किसी चीज में फंगस मिल जाय तो क्या यह सरकार की नीति है कि यदि उसका कोई परिणाम नहीं निकाला जाय कि किस कारण से यह फंगस है तो क्या उस फर्म का लाइसेन्स कैंसिल कर दिया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं है। सही है। मैं आपको कई शीशियां दे सकूंगा जिनमें फंगस बना हुआ होता है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एक्जामिन करके दिखायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपको एक शीशी में फंगस मिल गया और आप उसका एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। ऐसी कई फर्म्स की दवाओं में फंगस मिलता है तो क्या यह इस बात का प्रमाण है कि दवा बनाने वालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : अगर किसी स्थिति में दवा बिगड़ गई है, फौरिन मैटर यह फंगस हो सकता है तो निश्चित रूप से दवाई नहीं हो सकती और एडल्टरेशन होगा।

श्री भैरोंसिंह : पांच सौ शीशियां बनाई। एक दवा की शीशी मुझे दे दीजिये, एडल्टरेशन नहीं है, किन्तु क्लाइमेटिक कन्डीशन्स पैदा करके फंगस क्रियेट करवाया जा सकता है। पूरे बैंच की दवाओं की जांच नहीं हुई है। एक शीशी में फंगस मिला तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो क्या यह सरकार की पॉलिसी है कि किसी फर्म की दवाई की एक शीशी में फंगस मिल जाय तो उस दवा के प्रोड्यूसर, मैन्यूफेक्चरर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसमें जो किया गया है वह मैंने आपको बता दिया। हालांकि हार्ड केस दिखाई देता है; लेकिन जो स्टेप लिया गया है वह उचित है।

श्री भैरोंसिंह : एक दवा विक्रेता के साथ आपने हार्ड स्टेप लिया, बाकी के विक्रेताओं के साथ लिया नहीं। दवाओं में फंगस आते हैं, रोज अखबार में, समाचार-पत्रों में इस प्रकार की खबरें छपती हैं। उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाता, लेकिन इसी एक दवा विक्रेता का एक शीशी में फंगस मिला, इस बिना पर ही लाइसेन्स कैंसिल कर दिया, क्या यह उचित है ?

Page No 10

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरी फंगस की दवाइयां हैं, उनकी भी जांच करा लें कि वे किस प्रकार की हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उनकी भी जांच करा ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

खादी ग्रामोद्योग मण्डल के कार्यों की जांच

५४७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के कार्यों की जांच की गई है ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम रहे ?

(२) क्या यह सही है कि अपराधी अभियोग (क्रिमिनल केस) संख्या २६, १९६० पर, जो मण्डल द्वारा श्री सुधाकर शास्त्री के विरुद्ध दायर किया गया था, विचार कर रहे प्रथम श्रेणी के दण्डनायक द्वारा, खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल से सम्बन्धित फाइल भ्रष्टाचार विभाग से आमंत्रित की गई थी ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा यह फाइल न्यायालय को क्यों नहीं भेजी गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां। जांच की गई।

(२) जी हां। इस सम्बन्ध में धारा १२३ भारतीय साक्षी संहिता (आई. ई. ए.) के अन्तर्गत विशेषाधिकार (प्रिविलेज) के लिए न्यायालय से प्रार्थना की गई थी और यह न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी, अतः पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई।

श्री श्रवणलाल : जांच का परिणाम क्या निकला है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनियमिततायें निकली हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

जयपुर शहर से निष्कासित नटनियां

५४८. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर से निष्कासित नटनियां दूदू से किशनगढ़ की सड़क के दोनों किनारे पड़ी हुई हैं ?

(२) यदि हां, तो इनके जीवन-निर्वाह के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयत्न आज तक किये हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि जयपुर शहर से नटनियों को निष्कासित करने के लिए कोई योजना बनाई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इम्मोरल ट्राफिक में ऐसे केसेज़ डिटेक्ट होते हैं तो करते हैं; लेकिन जयपुर की तो कोई योजना नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सर्वे कराया है, तो बताइये कि जयपुर की कितनी और उदयपुर की कितनी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच जयपुर की तो हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर की कितनी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जयपुर में तो पैदा होती रहती हैं, लेकिन उदयपुर का यह इतिहास नहीं रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार उनका पुनर्वास करने के लिए उनको जमीन अलॉट करने की सोच रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां ये बसना चाह रही हैं और जैसी माननीय सदस्य की शिकायत है वहीं पर उनका पुनर्वास किया जा रहा है । जमीन उनको दी जा सकती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमीन पर उनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, सही है । लेकिन उनके खाने-पीने का क्या साधन है ? जयपुर से तो भगा दिया । गांवो में कतार की कतार खड़ी हैं और गांवों में एटमोस्फियर इतना विशियस बन गया है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है । समाज के चरित्र पर इसका इतना भयंकर असर पड़ेगा कि जिसको सरकार ने सीरियसली नहीं लिया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये जो महिलायें ठहरी हुई हैं उनमें से कई फेमिलीज़ ने तो जमीन प्राप्त कर ली है और कइयों के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उनको जमीन दे दी जाय, ताकि उसको काश्त में लाया जाय । यह जो एक सामाजिक दुर्गुण है उस सम्बन्ध में भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उनको रिहेबिलिटेट किया जाय और इस कोशिश में सुझाव और निर्णय लिये जा रहे हैं ताकि जमीन अलॉटमेंट के साथ साथ और भी कोई व्यवस्था उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए की जा सके ।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार ने किस आधार पर निर्णय लिया कि नटनियों को जमीन देकर उनके लिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाये जायं ? क्या वे जमीन को काश्त कर अपना जीवन यापन कर सकती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जंगल में जाकर इनको बसाया है सड़क से थोड़ी दूर पर, तो उस पर सरकार ने निर्णय लिया कि कम से कम इनको जमीन यहां पर इतनी मिल जाय जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें । कुछ ने अपनी इस प्रकार की आकांक्षा भी जाहिर की थी, उस पर उनको जमीन दी गई । दूसरे भी प्रयत्न रिहेबिलिटेट करने का समाज सेवकों का दायित्व है कि इसमें किस तरह का योग दे सकते हैं ।

Page No 12

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जहां तक समाज-सेवी संस्थाओं का सवाल है वे भी इसमें प्रयत्नशील हैं। जहां सामाजिक तौर पर कार्य करने का सवाल है माननीय सदस्य इसमें योग दे सकते हैं, व्यक्तिगत तौर से प्रयास आरम्भ है।

श्री भैरोंसिंह : इन इविल्स को गांवों में लेजाकर बसाने की योजना से या जो जाकर बसी हैं क्या सरकार उससे यह समझती नहीं कि ये गांवों में इविल्स पैदा करती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम से कम शहरों में घनी आबादी में रहती थीं वहां से तो वातावरण साफ हुआ। जंगलों में जाकर रहने लगीं सड़कों के किनारे। सड़कों पर ट्रक फिरते हैं, मोटरें फिरती हैं, उन पर वे जर्म्स असर नहीं करते। इसलिए गांवों में दूषित वातावरण करने का प्रश्न नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : आप भी मोटर से हमेशा निकलते हैं, कहीं आपके साथ तो जर्म्स नहीं आ जाते होंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम और आप तो साथ ही जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : आगे की बात मत बताना।

श्री अमरसिंह : जिनको जयपुर से निष्कासित किया गया उनको कहां कहां बसाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहीं आसपास बसाया गया है।

श्री अमरसिंह : उनकी आजीविका के लिए क्या किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जमीन दी है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या सरकार ने यह नीति या दृष्टिकोण बना लिया है कि चाहे स्वर्णकार हों, चाहे नटनियां हों सबको रिहेबिलिटेट करने के लिए जमीन दी जाय ? क्या आपका इनको जमीन देना वाजिब है ? क्या इनके लिए जमीन से आजीविका कमाना आसान है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ अर्थों में वाजिब है।

एक माननीय सदस्य : सब-लेट करेंगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : कोई भी विस्थापित हो, चाहे स्वर्णकार हो, या नटनियां हों, उनको आप जमीन देते हैं, चाहे वे काश्त करने वाले हों या न हों; ऐसी हालत में वे जमीन पर तो काश्त नहीं कर सकेंगी, दूसरों को दे देंगी और यह समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी। स्वर्णकारों के बारे में निर्णय लिया। क्या सभी स्वर्णकार जमीन पर खेती कर लेंगे ? क्या इसी प्रकार इनको दी गई है, क्या ये सभी काश्त कर लेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मैंने अध्यक्ष महोदय, जैसा निवेदन किया जिन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नटनियों ने आकांक्षा जाहिर की, रिहेबी-लिटेट होना चाहती हैं, उनको जमीन देने का प्रश्न आया उनको जमीन दी गई। लेकिन इसके साथ साथ यह भी तथ्य है, बाकी समाज का भी प्रश्न है जो इस सारी इविल्स को दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इनको आपने जमीन दी है तो कितने लोगों को दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जमीन दी है, लेकिन कितनों को दी है, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय सोचकर बतावें, क्योंकि इनके बारे में माननीय सदस्य ज्यादा जानते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि माननीय सदस्य को इस संबंधी पूरा ज्ञान है।

श्री अमरसिंह : ये कहां कहां पड़ी हुई हैं, कौन कौनसे गांवो में और किस तरह से जीवन-निर्वाह कर रही हैं, यह तो बतलाइये।

प्रश्न संख्या ५४९

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५१

श्री विट्ठल !

(अनुपस्थिति-कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

गुजारे की रकम लेकर फरार होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जांच

५५२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १७-४-६४ को नारायणपुरा (नावां) की माजीसा सोभाग कुंवर की गुजारे की रकम ३४०८ रु० ५० न० पै० दुबारा गिनने का षडयन्त्र रचकर पास ही खड़ा एक व्यक्ति रुपये लेकर फरार हो गया ?

(२) क्या यह सही है कि वृद्धा ने ए० डी० एम०, नागौर की इजलास में उक्त वारदात की रिपोर्ट भी की जिसमें मुलजिम का नाम भी उसने लिखा था व अपने बयानों में भी बतलाया ! कृपया इस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) इस सम्बन्ध में ए० डी० एम०, नागौर व एस० पी० पुलिस ने रिपोर्ट होने

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

पर क्या कार्यवाही की व मुलजिम कौन था ?

(४) क्या यह भी सही है कि यह घटना दिनांक १८-४-६४ को राष्ट्रदूत समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई, किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं ।

(२) जी हां । माजी साहिबा ने अतिरिक्त जिलाधीश को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १४-४-६४ को अवश्य प्रस्तुत किया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(३) पुलिस में उक्त घटना की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । माजी साहिबा ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त जिलाधीश नागौर को दिनांक १४-४-६४ को दिया जिसमें सर्व श्री बलवीरसिंह वकील तथा कल्याणमल महाजन द्वारा रुपये ले जाना प्रकट किया । किन्तु वृद्धा ने अपने दि० २२-४-६४ के प्रार्थना-पत्र में १४-४-६४ के अपने प्रथम प्रार्थना-पत्र को वापस लेने के लिये प्रार्थना की, अतः अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

(४) जी नहीं । राष्ट्रदूत दिनांक १८-४-६४ में इसकी कोई सूचना प्रकाशित होना नहीं पाया जाता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : ए० डी० एम० की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं था, क्योंकि दूसरी दर्ख्वास्त पेश कर दी ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : किस तारीख को ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २२-४-६४ को ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : धोखा-देही करने वाले के लिये किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्पष्ट कर चुका हूं कि उन्होंने घबरा कर दर्ख्वास्त दे दी ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : हफ्ते भर के बाद धोखादेही की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न तो तब उपस्थित होता जब कि दरअसल आगे निर्णय ले लिया जाता, दर्ख्वास्त फाइल कर दी । रुपया वहीं का वहीं है इसलिये इसका कोई महत्व नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

झालरापाटन में मेलों से आमदनी

५५३. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) झालरापाटन के बैसाख व कार्तिक मेले राज्य सरकार के अधिकार में आने के बाद अब तक कितने मेले लग चुके हैं ?

(श्री गोविन्दसिंह)

(२) हर मेले से कितनी आमदनी हुई व कितना खर्च हुआ ?

(३) उपरोक्त मेलों की आमदनी का कौन सा हिस्सा राज्य सरकार नगरपालिका; झालरापाटन को देना चाहती है।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) झालरापाटन के बैसाख व कार्तिक मेले पशु पालन विभाग के अधिकार में आने के बाद अब तक कुल १३ मेले लगाये जा चुके हैं जिनमें से ६ मेले बैशाख के हैं व ७ मेले कार्तिक के हैं।

(२) सूची संलग्न है।

(३) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री गोविन्दसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं; तीन मेले लगाये हैं, जिनमें ६०–६१ में ३३ हजार, ६१–६२ में ३७ हजार, ६२–६३ में ३१ हजार, ६३–६४ में ४४ हजार नेट इन्कम हुई। आप खर्चा नहीं दे रहे हैं, चालीस हजार का नुकसान पड़ रहा है।

श्री भीमसिंह : जल्दी ही किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह : आपने डेढ़ लाख रुपया ले लिया जो इन्कम उनको देनी चाहिये नहीं दे रहे हैं।

श्री भीमसिंह : जो रकम उचित समझी जायगी दी जायगी।

श्री गोविन्दसिंह : ६४–६५ में ८५ हजार आमदनी हुई, २४ हजार खर्चा हुआ है; नेट आपके पास ४६ हजार बचा है, फिर भी आप देना नहीं चाहते ?

श्री भीमसिंह : आपने आय-व्यय की तफसील पूछी थी, वह बता दी।

श्री गोविन्दसिंह : तीन वर्ष से नगरपालिका को नहीं दिया उसका निर्णय कब तक करेंगे, अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही होती रही, बता दीजिये ?

श्री भीमसिंह : राजस्थान सरकार ने इस सवाल पर म्युनिसिपल एरिया में मेले लगे, तो किस किस किस्म के मेले पर कितनी कितनी रकम किस किस को दी जानी चाहिये ? जांच कमेटी इस बारे में निर्णय दे चुकी है, उस पर जल्दी ही निर्णय कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है। म्युनिसिपल सीमा में मेले लगते हैं, उसकी आय उसके पास न जाने से आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, म्युनिसिपल एरिया में जो मेले लगे, उसकी रकम कितनी सरकार ले, कितनी म्युनिसिपैलिटी को दी जाय, इस बारे में जल्दी निर्णय ले तो उचित रहेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : तीन वर्ष तो हो गये, तीन वर्ष और निकल सकते हैं।

मोबाइल एक्स-रे यूनिट

५५४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पशुपालन विभाग में कोई मोबाइल एक्स-रे यूनिट हैं ?

(२) यदि हां, तो उसे आज तक कितने जिलों में कितनी बार भेजा गया ?

(३) उक्त यूनिट द्वारा आज तक कितने मवेशियों का एक्स-रे किया गया है ? गाय, भैंस आदि जानवरों की अलग अलग बतायें ?

(४) उक्त यूनिट द्वारा आज तक कितने पालतू कुत्तों का एक्स-रे किया गया है ?

उप-मन्त्री, पशु-पालन (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां ।

(२) इस यूनिट को नियमित रूप से नहीं भेजा जाता है । जहां आवश्यकता होती है वहीं पर भेजा जाता है। अभी तक जयपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जोधपुर, बीकानेर तथा भरतपुर में भेजा गया है । इसकी सूची अ संलग्न है ।

(३) सूची ब संलग्न हैं ।

(४) २४ ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, जब कि हमारे राज्य में ३ करोड़ के लगभग पशु है वहां १५५ को ही एक्स-रे किया गया तो क्या यह उचित व्यवस्था कही जा सकती है ?

श्री भीमसिंह : यह जरूरी नहीं कि सभी के हाथ पांव टूटे । जिन जिन के टूटते हैं और आसानी से पता लगा लेते हैं उनकी बिना एक्स-रे ही चिकित्सा कर देते हैं डाक्टर लोग और जिनकी मालूम न पड़ती हो आसानी से उनका एक्स-रे लिया जाता है ।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इससे यह तो स्पष्ट है कि ३ करोड़ की पशु आबादी में इससे पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । या तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या विभाग टालने की नीति है ।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि उन्ही की एक्स-रे ली जाती है जो होस्पिटल में आकर देखने पर डॉक्टर आसानी से पता नहीं लगा सकते कि इसकी हड्डी कहां से टूटी है । इसलिए सब पशुओं के लिए एक्स-रे की आवश्यकता नहीं है ।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह तो मैं भी समझती हूं । पर फिर भी यह बहुत कम संख्या है । २४ कुत्ते जब हो सकते है तो इनकी संख्या तो अधिक है जो ऐसा लगता है । आप पूरी तरह अटेन्ड नहीं कर पाते ।

श्री नाथूराम मिर्धा (पशु-पालन मन्त्री) : यह एक्स-रे मशीन यहां है, जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चलती-फिरती गाड़ी में फिट है। यह अपनी तरह की एक ही मशीन है राजस्थान में और इसे इस इरादे से बनाया है कि इसे जहां भी राजस्थान भर में मांग आए भेजा जा सके। डॉक्टर की एडवाइज पर यह बाहर भी जाती है। आपने कहा कुत्ते, तो वे भी आवेंगे तो उनका भी लिया जावेगा, जो भी आवेंगे और जिनकी डाक्टर जरूरत समझेंगे सबकी ली जावेगी।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): सारे राजस्थान में कितने एक्स-रेज़ की जरूरत पड़ी और आपने इस मशीन द्वारा कितनों की ऐक्सरे ली? कितनों के हाथ-पैर टूटे?

श्री नाथूराम मिर्धा: जानवरों के हाथ तो होते ही नहीं हैं। अब पैर या और कहीं की हड्डी टूट जाती है और डाक्टर आसानी से उनका पता नहीं लगा पाते तो उस हालत में उनकी एक्स-रे ली जाती है। अब सभी बीमारों का एक्स-रे लिया जावे, यह जरूरी नहीं है। डॉक्टर जब देख लेता है और आसानी से डांइग्नोसिस कर लेता है कि इसकी फलां जगह की हड्डी टूटी है तो वह उसका इलाज कर देता है। अब अगर कहीं ऐसा हो कि वह डाइग्नोसिस नहीं कर पाता तो उसका एक्स-रे लिया जाता है।

अब तक एक भी केस ऐसा नहीं कि जिसको हमने एक गाड़ी होने की वजह से अटेन्ड नहीं किया हो। जहां भी जरूरत हुई इसका उपयोग हुआ है। अब नम्बर कम या ज्यादा है, यह अलग बात है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): राजस्थान भर के यहां आकर इसका फायदा नहीं उठा सकते तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब डिस्ट्रिक्टों में एक एक हो?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह टैक्निकल मामला है। हर जगह सबके पास टेलीफोन है वे सब हमें लिख सकते हैं, कह सकते हैं और हम वहां जा सकते हैं। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें हमने ना की हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): जयपुर के बाहर भेजा है?

श्री नाथूराम मिर्धा: जी हां, कई बार।

श्री गिरधारीलाल व्यास: किस २ स्थान पर कहां कहां?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह अलग से प्रश्न है।

इसके उपयोग के लिए आप सब जगह प्रचार करिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: प्रचार हो जावेगा तो एडजस्टमेन्ट कैसे होगा, एक एक डाक्टर टेलीफोन नहीं करेगा। इसलिए अच्छा यही है कि हर जिले में आप एक एक भेजिए।

श्री भीमसिंह: आपके यहां भीलवाड़े में दो बार गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उनके घर गई है कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घर जाना जरूरी नहीं है।

कलिंजरा पुलिस थाना क्षेत्र में चोरियां

५५५. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाडिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में पुलिस थाना कलिंजरा में श्री दातारसिंह थानेदार है और नौगामा ग्राम भी पुलिस थाना हल्का कलिंजरा में है ?

(२) कलिंजरा हल्का में अब तक श्री दातारसिंह थानेदार के नियुक्त होने के बाद कितनी चोरियां और कितने कत्ल हुए और उनमें बरामदगी होकर कितने केस कामयाब हुए ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(३) क्या श्री दातारसिंह के लिये लोगों (स्थानीय) की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं कि वे चोरों से मिलकर स्वार्थ सिद्धि करके बरामदगी नहीं करते ?

(४) क्या श्री नाथूलाल पिता शंकर लाल सुनार नौगामा वाले ने डी. आई. जी. पुलिस, उदयपुर को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि श्री अवतारसिंह को थाना कलिंजरा से हटा देने से मेरी बारह हजार की चोरी का माल मिल जावेगा और कुछ और चोरियां भी निकल जावेंगी ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) कलिंजरा थाने पर थानेदार श्री दातारसिंह २७-३-६४ से नियुक्त है। उनकी तारीख नियुक्ति से दिनांक २५-२-६५ तक थाना कलिंजरा में २ हत्याएं तथा २१ चोरियां एवं घरफोड़ हुए। हत्या के एक प्रकरण का चालान हुआ और दूसरा अथक प्रयास के बावजूद भी अदम पता रहा।

चोरियां तथा घरफोड़ों के २१ अभियोगों में से अब तक कुल १० का पता लग पाया है और इन १० का ही चालान हो चुका है, शेष में से ७ अभियोगों का सभी सम्भव प्रयास करने के पश्चात् भी पता नहीं लग पाया, अतः अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता में दिये गये। एक का अनुसन्धान नहीं किया गया और शेष तीन में अनुसन्धान हो रहा है।

(३) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(४) जी हां, किन्तु जांच से यह शिकायत सही नहीं पाई गई।

श्री उदयलाल वर्दिया : चोरी होना सही नहीं पाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

प्रश्न संख्या ५५६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जैतारण तहसील में राहत कार्य

५५७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जैतारण तहसील में वर्ष १९६३–६४ में कहां कहां पर राहत कार्य किन किन तारीखों से शुरू हुए व कब तक चले व उक्त कार्यों पर कितने कितने मजदूरों ने प्रति सप्ताह कार्य किया ?

(२) उक्त राहत कार्यों पर खाद्य वितरण व्यवस्था हेतु कितना कितना धान किन किन को कब कब दिया गया व उक्त धान किस तरह से बांटा गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सन् १९६३–६४ में (अ) जैतारण से डीगरणा सड़क कार्य दिनांक १–२–६४ से आरम्भ किया गया तथा दिनांक ६–८–६४ तक चला। इस पर प्रति सप्ताह ४५७९ मजदूर कार्य करते थे। (१) इसी प्रकार पृथ्वीपुरा से देहड़ सड़क कार्य दिनांक ६–२–६४ से आरम्भ किया गया तथा ३१–३–६४ तक चलाया गया, जिस पर प्रति सप्ताह २९८ मजदूर कार्य करते थे।

(२) राहत कार्यों पर कार्य करने वाले मजदूरों को सस्ते अनाज की दूकानों पर ही अनाज वेचा जाता था। अब फेयर प्राइस शॉप्स पर राहत कार्यों पर कार्य करने वालों को अनाज मिल जाता तो उसके बाद वहां की जनता को अनाज वितरित किया जाता था। ५ किलो प्रति मजदूर प्रति सप्ताह से अनाज वितरित किया जाता था। परिस्थितियों के अनुसार इसमें कम भी किया जाता था और अधिक भी। जैतारण तहसील के अभावग्रस्त क्षेत्र में दिसम्बर १९६३ में ७९२ बोरी, जनवरी ६४ में १०९८ बोरी, फरवरी ६४ में २७६० बोरी, मार्च १९६४ में २५५१ बोरी, अप्रेल ६४ में २९७५ बोरी, मई ६४ में २१६१ बोरी, जून ६४ में ८८७ बोरी, जुलाई ६४ में २२७६ बोरी तथा अगस्त ६४ में १३६६ बोरी, अनाज वितरित किया गया। विस्तृत सूची संलग्न है। इस प्रकार दिसम्बर ६३ से अगस्त ६४ तक १६५७६ बोरी अनाज अभावग्रस्त जैतारण तहसील में वितरित किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है अपूर्ण है। इसके अलावा जो सूची राहत कार्यों पर धान वितरण की दी है उसके अन्दर यह बताने की कृपा करेंगे कि जो धान माह मार्च, अप्रेल, मई व जून में बांटा गया है वह अकाल राहत कार्य पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या को आधार मान कर बांटा गया या तहसीलदार ने अपनी मर्जी से बांटा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सप्लाई और रिक्वायरमेंट को देखते हुए यह व्यवस्था की स्थानीय अधिकारियों ने।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। क्या यह सप्लाई जिन जिन जगहों पर जो जो जितनी जितनी संख्या में मजदूर काम करते थे उनकी संख्या को आधार मानकर यह वितरण किया गया या आर्बि-

Page No 20

(श्री तेजाराम गहलोत)

ट्रेरी अधिकारी जिसको जैसा चाहें कम ज्यादा दे दें, इस आधार पर यह व्यवस्था थी ? जिससे खुश हों, उसको अधिक दे दें; जिससे नाराज हो जायं उसको दें ही नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री विजयसिंह झाला ।

कत्ल के मामले

५५८. श्री विजयसिंह झाला (नाथ-द्वारा) [कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी (दीगोद) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ६४ से अब तक राजस्थान में कुल कितने कत्ल के केस हुए ? जिलेवार आंकड़े दीजिये ?

(२) इन मामलों के सम्बन्ध में कितने अपराधी गिरफ्तार हुए और उनमें से अदालत ने कितनों को निर्दोष छोड़ दिया तथा कितनों को सजा दी ?

(३) कत्ल होने के मुख्य कारण क्या थे ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान में १९६४ में कुल ४७० कत्ल के केसेज की रिपोर्ट दर्ज हुई। जिलेवार आंकड़ों की सूची संलग्न है ।

(२) इन मामलों के सम्बन्ध में ८६३ अपराधी गिरफ्तार हुए और उनमें से ४७ अन्तर्गत धारा १६९ जा० फौ० छोड़ दिये गये । १७ जेर तफतीश हैं और ७९९ का चालान किया गया । इन चालान किये हुए अपराधियों में से अदालत द्वारा ५८ को सजा हो चुकी है व ५९ बरी किये गए और शेष ६८२ जेर तजवीज अदालत हैं ।

(३) कत्ल होने के मुख्य मुख्य कारण आपसी झगड़े, वैमनस्यता, बदला लेना, जमीन के झगड़े, औरतों के मामले, बदनामी का डर व धन प्राप्ति आदि हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कु० श्री महेन्द्रसिंह : इन लोगों को अदालतों ने किन कारणों से बरी किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शहादतें अपर्याप्त, शक का फायदा; यही कारण होते हैं ।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस ने बिना किसी ठोस प्रमाण प्राप्त किये ही उन लोगों को अरेस्ट कर लिया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : किन लोगों को, कई लोग हैं ?

कु० श्री महेन्द्रसिंह : ५९ लोग हैं जिनको अदालत ने बरी किया है । उन लोगों को पुलिस ने बिना किसी ठोस प्रमाण प्राप्त किये ही अरेस्ट कर लिया था ?

Page No 21

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस की निगाह में और अदालत की निगाह में बहुत फर्क होता है, उसके विश्लेषण में बहुत फर्क है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस मामले में क्या राज्य सरकार ने यह ध्यान दिया है कि आपसी अदालत के बेसिस पर मुलजिमान को इम्प्लीकेट कर लिया जाता है ? इसलिए क्या प्रिकॉशन्स बरते जाते हैं कि उनके नाम शुरू में नहीं जायें और बाद में डिस्चार्ज करने की नौबत नहीं आये; यह तथ्य आपके ध्यान में आया है क्या कभी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : साधन का मतलब ही कॉशन और प्रिकॉशन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जनरल तार से देखा गया है कि कहीं कत्ल का मुकदमा होता है तो आपसी झगड़ों की वजह से बहुत से और मुल्जिमों की लिस्ट पेश कर दी जाती है और इसी वजह से आखिर में निर्दोष और दोषी दोनों सम्मिलित होने की वजह से केसेज खराब हो जाते हैं और कोर्ट से एक्विट होते हैं-इस ओर आप ने कभी सोचा है और यदि सोचा है तो क्या सरकार ने स्टेप लिए ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अदालत बराबर इसके लिए ऑब्जर्वेशन देती है और उनको पुलिस विभाग खूब ध्यान से देखता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जो पुलिस की तफतीश की वजह से एक्विटल होते हैं उनके लिए आज दिन तक कोई एक्शन लिया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कई एक्शन लिए हैं। और जहां विश्लेषण शहादत के बेसिस पर होता है वह बेनिफिट अक्सर लेते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहता हूँ कि थानों में एक लम्बी लिस्ट एट रेन्डम दर्ज हो जाती है और उसके बाद में कॉम्प्लीकेशन्स होते हैं और संगीन केस में ओरली कम्प्लेनेन्ट की जांच करके सही मुल्जिम का नाम दर्ज किया जाता है, वर्ना फिर एक्विटल और डिस्चार्ज होंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने कहा कि यह तो कॉशन और प्रिकॉशन्स का सवाल है, पुलिस बराबर सचेत रहती है। एफ० आई० आर० में जितने नाम दर्ज किये हैं उन्हीं के आधार पर केस रजिस्टर हो जाता होगा, लेकिन प्रोसेस जो चलता है, वह शहादतों के बुनियाद पर होता है उन्हीं को लिया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस एलीमिनेशन से सच्चे मुल्जिम हैं वे एक्विट हो जाते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह तो सम्भावनायें दोनों तरफ की होती हैं। इन्नोसेन्ट आदमी भी होते हैं और एक्विट होते हैं वे भी होते हैं।

Page No 22

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह काफी अलार्मिंग है कि क्या सरकार ने सोचा है कि क्या कोई टेक्नीकल मिस्टेक रह जाती है या क्रिमिनोलाजी के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है ? कम से कम आप कोई कमेटी इन्स्टीट्यूट करके आपके टेक्नीक में गल्ती है, इन्वेस्टीगेशन में गल्ती है या कहां कमी है इसको देखना चाहिए। इस सिलसिले में कोई न कोई नतीजे पर सरकार को पहुंचना चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सारे प्रश्न जो आप उठाते हैं वे हाई कोर्ट के आब्जर्वेशन्स के कई पहलुओं पर हैं और वे आब्जर्वेशन्स हमको गाइडेन्स देते हैं तफतीश के प्रश्न पर। अब यह कमेटी नियुक्त करके इस प्रश्न को हल किया जाय तो इन्क्रीमीनेट किया जाये, उसको कैसे एलीमिनेट किया जाय, यह तो सामान्य बुद्धि और न्याय की प्रखर बुद्धि पर निर्भर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सब देशों के क्रिमिनोलाजी के एक्सपर्ट्स इसका इवेल्युएशन करते हैं, इसको तय करते हैं, हमारे राज्य में भी इस प्रकार का प्रोसेस साइन्टिफिक होना चाहिए कि इसकी स्टडी करें। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आब्जर्वेशन्स भी देखें और गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में कोई पोलिसी बनाये कि क्रिमिनल्स नहीं छूटें। यह आम चर्चा है कि.......

श्री अध्यक्ष : पुलिस विभाग में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस मामले को बहुत लाइटली लिया जाता है। अभी पंचायतों के विकेन्द्रीकरण के बाद वहां के लोग अदालतों में पहुंच जाते हैं और नाम दर्ज करा देते हैं और उसके कॉन्सीक्वेन्सेज फिर वही एक्विटल और डिस्चार्ज होते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पुलिस विभाग में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वर्ना १०-१५ साल से यही स्थिति चली आ रही है। यह आम बात है कि ९० परसेन्ट कत्ल के केसेज में एक्विटल हो जाते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट होता तो कोई न कोई थ्योरी देता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने कन्विक्शन का रेश्यो बताया, यह मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं। आपने तो एक दम इतना ज्यादा बता दिया। कन्विक्शन का जो रेट हमारे यहां है वह बहुत सेटिस्फैक्टरी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मर्डर का नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मर्डर का भी इतना तो नहीं है जितना आप कह रहे हैं, ९९ परसेन्ट.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ९० परसेन्ट कह रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसा नहीं है, कन्विक्शन बराबर हो रहा है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह आज आप कैसे बता रहे हैं कि कन्विक्शन ठीक है। ऐसे भी केसेज हैं कि जिनमें मुल्जिमों का पता नहीं चलता ?

Page No 23

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अदम-पता में होता है।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले प्रश्न में जो लिस्ट मांगी है वह मुझे नहीं मिली है, कृपया वह दिला दें। क्रिमिनल केसेज की जिलेवार लिस्ट मांगी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिस्ट कहां की ?

कु० श्री महेन्द्रसिंह : पूरे राजस्थान की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह है मेरे पास ले लीजिए।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : दे दीजिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाहर दे देंगे।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, बाहर नहीं असेम्बली में ही मिल जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

ग्राम पंचायत घाटवा के सरपंच के गबन के विरुद्ध मामले

४५६. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घाटवा (नावा) के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध २०३) रु० के गबन व १०,४२०) रु० के दुरुपयोग बाबत मुंसिफ मजिस्ट्रेट नावा ने दिनांक २८-१२-६३ को पुलिस थाना चितावा को मुकदमे की तफतीश करने के आदेश दिये ?

(२) क्या यह भी सही है कि गबन जैसे मुकदमे की तफतीश पुलिस द्वारा आज तक नहीं की गई है व मामले में बिला वजह देरी की जा रही है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं, मुकदमे का अन्वेषण पूर्ण कर अन्तिम निर्णय अदम सबूत में दिनांक ११-११-६४ को दे दिया गया है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह जो गबन हुआ इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदम सुबूत !

श्री हनुमानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ३१५ में पूछा गया था।

(अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुबूत नहीं मिला है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सरकार ने एग्री किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एलीगेशन तो है, लेकिन सुबूत नहीं मिला है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : रेकॉर्ड तो होगा, वर्ना इतनी धनराशि कहां गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह प्रूव नहीं हुआ। मिस–यूज हुआ होगा। अब सारे फैक्ट्स यहां अर्ज नहीं कर सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपकी क्या मजबूरी है फैक्ट्स रखने में ? गड़बड़ी जरूर हुई है तो इस सम्बन्ध में फैक्ट्स रखने में मन्त्री महोदय को क्या आपत्ति है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिस–यूज हो सकता है लेकिन मिस–एप्रोप्रियेशन नहीं हो सकता और उस हिसाब से इसका अदम सुबूत है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इन्क्वायरी ऑफिसर ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदम सुबूत।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मिस–यूज किया है या एम्बेजलमेन्ट किया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय ने तो क्यू० ई० डी० लगा दिया। रकम गायब जरूर हुई है, रकम का मिस–एप्रोप्रियेशन हो सकता है और थियोरम के अन्दर क्यू० ई० डी० लगा दिया और पूरा कर दिया।

(१२. मध्यान्ह)

मेरिट पे

५६०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अनुसंधान कार्य करने वाले अधिकारियों को मेरिट पे देने की योजना १९६० में राज्य सरकार ने स्वीकार की थी ?

(२) क्या यह भी सही है। कि मैरिट पे की राशि ५०) रुपयों से लगा कर १५०) रु० तक थी ?

(३) यह मेरिट पे अब तक कितने अधिकारियों को दी गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि मेरिट पे १५०) रु० से अधिक किसी को नहीं दी गई यद्यपि कमेटी ने सिफारिश १००) या १५०) रु० की थी ?

(५) यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि अनुसंधान करने वाले कुछ अधिकारियों के प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लेने में तीन चार साल लग गये है ?

(७) यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों का प्रार्थना-पत्र देने के समय से ही मेरिट-पे दी जायेगी ?

उप–मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, ग्रान्ट ऑफ मैरिट पे नियम मार्च, १९६१ में प्रकाशित किये गये।

(२) जी हां, मैरिट पे की तीन ग्रेडें हैं। ५०) रु०, १००) रु० तथा १५० प्रति माह की है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) १२ राज्य कर्मचारियों को।

(४) अभी तक किसी को भी ५०)रु० प्रति माह से अधिक मैरिट पे नहीं दी गई है, क्यों कि राज्य सरकार की राय से इससे अधिक मैरिट पे प्राप्त होने लायक कार्य निवेदक ने नहीं किया था।

(५) आवेदकों के कार्य को देखकर मेरिट पे स्वीकार की जाती है। मैरिट पे बोर्ड सिर्फ सिफारिश करता है, निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार का है, आवेदकों के कार्य को ध्यान में रखते हुए।

(६) जी हां।

(७) जी नहीं। मैरिट पे पहली बार ५ वर्ष के लिए दी जाती है और आदेश होने की तारीख से दी जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या इस उत्तर का यह अर्थ लगाया जाय की हमारे यहां मैरिट पे पर काम करने वाले सब व्यक्ति थर्ड ग्रेड के हैं। आपने थर्ड ग्रेड कायम की हैं और उनको तीसरी ग्रेड दी जा रही हैं तो क्या सारे थर्ड ग्रेड के हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर या चेयरमैन और दो स्पेश्यलिस्ट एमीनेन्ट बाहर के होते हैं और वे लोग सारे उनके पिछले अनुसंधान के वर्क्स का अध्ययन करके रिकमन्डेशन करते हैं और और उस रिकमन्डेशन के आधार पर राज्य सरकार फैसला करती है और वह ग्रान्ट करती हैं। अब तक एक केस के सिवाय बाकी के सब केसेज़ में जैसी एक्सपर्ट बोर्ड ने सिफारिश की थी वही की वही स्वीकार की गई है। इसलिए फर्स्ट रेट और थर्ड रेट का सवाल नहीं है लेकिन जो भी काम है वह ऑल इंडिया के स्टैण्डर्ड से देखा जाता है, केवल राजस्थान का स्टैण्डर्ड हो, यह बात नहीं है। ईसलिए हो सकता है कि आल इंडिया स्टैण्डर्ड के व्यू पाइंट से वह इतने ऊंचे नहीं गिने गये हों।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसका स्पष्ट मतलब यह था कि सारे के सारे स्टैण्डर्ड ऑल इंडिया के मुकाबले में बहुत नीचे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह स्कीम सारे हिन्दुस्तान के अन्दर केवल राजस्थान में है, युनीक स्कीम है। इसलिए अब सारे हिन्दुस्तान में क्या है और क्या नहीं, इसका मैं अभी पता नहीं लगा सकता हूं कि वहां से थर्ड रेट रह गये या फोर्थ रेट; लेकिन जो जजेज़ थे उन्होंने जिस हिसाब से फैसला किया और सिफारिश की उसको देखते हुए केस के सब केसेज़ में उनकी रिकमन्डेशन्स को मान कर यह दिया गया था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जजेज़ कहां के थे; राजस्थान के या बाहर के ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को लिखते हैं वह या किसी एक मेम्बर को; एक तो यह हो जाते हैं और दो स्पेश्यलिस्ट एमीनेन्ट स्कोलर्स उस सब्जेक्ट के होते हैं,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जिनके बारे में पर्चा या थीसिस होता है वह कभी राजस्थान के और बाहर के भी होते हैं। उसमें कम से कम एक बाहर का होना चाहिये, लेकिन कभी किसी केस में दोनों बाहर के भी होते हैं और कई केसेज़ में राजस्थान के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं होते हैं बल्कि एमीनेन्ट स्कोलर्स होते है।

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला।

कब्रिस्तान की नीलामी

५६२. श्री विजयसिंह झाला (नाथदारा) [कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर स्थित जनाने अस्पताल के पास का कब्रिस्तान सरकार की ओर से नीलाम किया गया! यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि जिस दिन यह कब्रिस्तान नीलाम किया उस दिन शाम को पाकिस्तानी रेडियो ने इस कार्य की निन्दा की ? यदि हां तो क्या सरकार ने इसकी जांच की कि इसकी सूचना किसने दी ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कब्रिस्तान के कुछ भाग को जो इवेक्वी इन्टरेस्ट के अन्तर्गत आता था दिनांक १०–११–६३ को कॉम्पीटेन्ट अधिकारी के आदेश द्वारा नीलाम किये जाने की कार्यवाही की गई थी जिसे राज्य सरकार के ध्यान में आते ही भारत सरकार से परामर्श करके रद्द किया गया।

(२) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : पहले प्रश्न संख्या ५४० लेलें।

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ५४० का पूछ रहा हूं होम डिपार्टमेंट का।

अनुसूचित जाति के थानेदार

५४०. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करें:—

(१) राजस्थान में १९५६–५७ से लेकर आज तक सीधी भर्ती के द्वारा तथा विभागीय पदोन्नति के द्वारा कितने व्यक्ति थानेदार बनाये गये हैं और उनमें से अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 27

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) राजस्थान में १९५६–५७ से आज तक कितने एस० एच० ओज़० को इन्सपेक्टर बनाया गया है और उनमें से अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज़ पर रखें।

(३) मौजूदा थानेदारी में से अनुसूचित जाति के कितने थानेदार सी० आई० डी० में हैं और कितने लाइन्स में, तथा कितने पुलिस स्टेशन पर सकिण्ड ऑफिसर हैं एवं कितने थानों के इंचार्ज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान में १९५६–५७ से अब तक सीधी भर्ती द्वारा ६६ एवं पदोन्नति द्वारा २२८ सब-इन्सपेक्टर बनाये गये जिनमें से १२ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(२) राजस्थान में १९५६–५७ से अब तक ४१ एस० एच० ओ० को इन्सपेक्टर बकाया गया है। उनमें से अनुसूचित जाति के कोई नहीं हैं। उपरोक्त सूची में ही दर्ज है।

(३) मौजूदा थानेदारों में से अनुसूचित जाति के कुल २१ सब इन्सपेक्टर हैं जिनमें से २ सी० आई० डी० में, ३ पुलिस लाइन्स में, ९ पुलिस थानों के इन्चार्ज व २ थानों पर सैकिण्ड ऑफिसर्स, ४ पैरोकारी में और १ ट्राफिक में हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या सब इन्सपेक्टर्स में से एक भी इन्सपेक्टर नहीं बनाया अनुसूचित जाति में से, आपको एलार्मिंग नहीं करता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझको ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको क्या यह उचित नजर आता है कि एक भी सब इन्सपेक्टर ऐसा नहीं है जो कि प्रमोशन के जरिये राजस्थान में इंसपेक्टर बना हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मैटर ऑफ ओपीनियन है; उचित-अनुचित का प्रश्न नहीं है। प्रमोशन के पोइंट पर यदि योग्यता होती है तो अपने आप बन जाता है। उसमें क्या उचित और क्या अनुचित है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके यहां इनका रिज़र्वेशन साढ़े बारह पर्सेन्ट का होता है अनुसूचित जातियों के लिए, तो उस रिज़र्वेशन फिगर्स पर आप उनको किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिज़र्वेशन फिगर्स पर पहुंचा है। सब इन्सपेक्टर का सिलेक्शन होता है उसमें है रिज़र्वेशन, प्रमोशन में नहीं है रिज़र्वेशन। सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनता है उसमें साढ़े बारह पर्सेन्ट नहीं लगता है, वह नीचे लग जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फिर भी अनुसूचित जातियों के लिए कम मेरिट्स रख कर उनको प्रमोशन दिया जाय। क्या यह उनके सम्बन्ध में दुर्लक्ष्यपूर्ण आपकी

Page No 28

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नीति है कि एक भी अनुसूचित जाति का सब इन्सपेक्टर नहीं बना ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति नहीं है। वहां पर मेरिट का प्रश्न है उस पर इन्सपेक्टर बनता है; इसलिए पूर्ण लक्ष्यपूर्ण स्थिति से चला जा रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने भी आपने एस० एच० ओ० थानेदार के फिगर्स दिये हैं वहां पर उनके रिज़र्वेशन के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कम क्यों हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : साढ़े बारह पर्सेन्ट का है, उसके बराबर है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह कहां साढ़े बारह पर्सेन्ट ?

श्री भिरदाराम फुलवरिया (जालोर): हमारा यह निवेदन है कि इसमें से साढ़े बारह पर्सेन्ट लेना चाहिए तो उस हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का लेना चाहिए। सेक्रेटरियेट में ऐसे आदमी नहीं हैं तो उसमें लेना चाहिए । जिलावाइज भी साढ़े बारह परसेन्ट लेना जरूरी है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : यह साढ़े बारह पर्सेन्ट की पूर्ति सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, हर डिपार्टमेंट में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पूर्ति करती है । साढ़े बारह पर्सेन्ट किया है ना । आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, ६६ तो डाइरेक्ट और २८८ प्रमोशन से हैं और १३ हरिजन तो डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट में आये हैं लेकिन प्रमोशन से एक भी हरिजन इन्सपेक्टर नहीं बना है और सब के सब सब-इन्सपेक्टर ही बैठे हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह हमारी नीति है कि एक भी हरिजन न हो इन्सपेक्टर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि सी. आईज. जो नियुक्त होते हैं वे डाइरेक्ट रिक्रूमेंट से न होकर प्रमोशन से ही होते हैं !

श्री निरंजननाथ आचार्य : सी आईज. सब प्रमोशन के द्वारा ही होते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आपकी नीति का नतीजा तो यह हुआ कि हरिजनों को सी० आईज० की नियुक्ति में वह स्थान नहीं मिल सकता है जो साढ़े बारह पर्सेन्ट उनके बैकवर्ड होने की वजह से होना चाहिए । जो आपने एब्ज़ोर्ब किये हैं तो मैरिट के ऊपर वह इन्सपेक्टर नहीं बन सकते हैं तो डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से सी० आईज० करवाइये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ गया कि सब इन्सपेक्टर से सी० आई० होता है यह डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन और एफिशियेन्सी का सवाल है । रिज़र्वेशन में साढ़े बारह पर्सेन्ट सी० आईज० में दे दें तो फिर एफिशियेन्सी और इसकी क्वालिटी में असर पड़ता है । इसलिए हम इनको साढ़े बारह पर्सेन्ट के हिसाब से लेकर सब इन्स-

Page No 29

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पेक्टर तक तो मौका देते हैं कि आप योग्य बन जाइये और सी आई० बन जाइये और प्रमोशन के जितने आधार हैं उनको अपनाइये। वहां पर रिज़र्वेशन नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में डिस्क्रीशन की है उसके अन्दर तो दखल करना उचित नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री महोदय का जो उत्तर है वह संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूं कि जब आप रिक्रूटमेंट एक अमुक पर्सेन्टेज बेसिस पर करते हैं; साढ़े बारह पर्सेन्ट या जो कुछ भी है तो वहां पर रिक्रूटमेंट का बेसिस तो आपका फिक्स्ड है।

आपका डिस्क्रिशन प्रमोशन के सम्बन्ध में है, वह एक ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन रिक्रूटमेंट तो साढ़े बारह पर्सेन्ट हो और प्रमोशन जीरो पर्सेन्ट हो और आप लाएतलाली करके जवाब दें-यह बिल्कुल असंतोष-जनक व्यवस्था है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका तो मैं क्या कह सकता हूं, "संतोष-असंतोष" मस्तिष्क पर आधारित होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डिस्क्रिशन के सवाल पर लेम एक्सक्यूज़ लेकर सदन में खड़े होकर कहें और प्रमोशन न करें-यह उचित बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एग्ज़ीक्यूट का सवाल नहीं है, इसमें नीति का प्रश्न है, इसमें एक्सक्यूज़ या असंतोष का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने नीति की स्थिति बतलाई है, इसमें डिपार्टमेंट की एफीशियेन्सी का प्रश्न है। जो प्रमोशन का प्रश्न है, प्रमोशन में इस नीति को अख्तियार करने से हो सकता है, साढ़े बारह परसेन्ट प्रमोशन इन लोगों को दिये जायं लेकिन इसका आगे की एफीशियेन्सी के ऊपर अफेक्ट पड़े बिना नहीं रह सकता। इसमें नीति का प्रश्न है और असंतोष-संतोष का प्रश्न नहीं है। इसके साथ ही मैंने निवेदन किया कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट के पद के लिए रिज़र्वेशन दिया है। जब वह दिया है.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अजीब हालत है। आप इन्सपेक्टर बनाते नहीं हैं और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना रहे हैं, डाइरेक्ट डी. एस. पी. बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर. पी. एस. का सिलेक्शन होता है उसमें रिज़र्वेशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डी. एस. पी. के लिए एफीशियेन्सी नहीं चाहिए?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वहां के लिए रिज़र्वेशन है। आर. पी. एस. के सिलेक्शन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का दायित्व है और जहां तक इसमें सिलेक्शन की क्वालिटी का सवाल है उस पर पूरा दायित्व है। ऐसी स्थिति में कोई सवाल पूछें। मैं जो बराबर तथ्यपूर्ण उत्तर देता आया हूं वही रखूंगा। इसमें नीति का प्रश्न है, नीति और सिद्धान्तों के ऊपर आधारित, डिपार्टमेंट के हित पर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आधारित प्रश्न है–इसके सिवाय कुछ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में अनु सूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के काफी लोग फौज में और पुलिस में काफी तादाद में भर्ती होते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के अधिकारियों को राजस्थान सरकार ने किसी को भी सब इन्सपेक्टर भी नहीं बनाया है, वे हैंड मोहर्रिर लगे हुए हैं। कहीं इधर के इलाके में बना दिये होंगे, लेकिन जो असल में भील हैं उनमें से एक भी नहीं बना है। बांसवाड़ा में भी हैड मोहर्रिर है, जो इन्सपेक्टर बनने के लायक हैं, लेकिन इन्सपेक्टर उनको आज तक नहीं बनाया है। उदयपुर में कुछ सिफारिश से ले लिये जाते हैं और वे इन्टरव्यू में आ जाते हैं। लेकिन यह जो इलाका है यहां के आदिवासियों में से इन्सपेक्टर नहीं बनाये गये हैं। ये लोग काफी तादाद में फौज में हैं, लेकिन कोई ऑफिसर नहीं बनाया गया है। इस कारण आदिवासियों में काफी असंतोष है। मैं समझता हूं उनमें से इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर और अधिकारी बनाये जायं।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–सु) : एक तिहाई जन-संख्या के आधार पर भी साढ़े बाहर पर्सेन्ट लेते हैं तो रिजर्वेशन का सवाल कहां रहा ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप बराबर कहते हैं नीति है, नीति है। यह क्या नीति है। यह नीति नहीं है, हठवादिता है। आप साढ़े बारह पर्सेन्ट प्रमोशन दे नहीं रहे हैं। यह हठवादिता है इसका अन्जाम अच्छा नहीं रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बताया, नीति है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रश्न सरकार के कन्सीडरेशन के लिए पुनः पूछूंगा। मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर हम कोअर्शन नहीं लाना चाहते हैं। यह सिद्धान्त की बात है लेकिन साढ़े बारह पर्सेन्ट रिजर्वेशन के अन्दर आपका सिद्धांत है और उसी पर्सेन्टेज के बेसिस पर रिक्रूट करते हैं तो रिक्रूटमेंट करने के बाद क्या नीति यह है कि मेरिट के एक्सक्यूज पर उनको प्रमोशन न दे। यह वाजिब बात है कि वह रिक्रूट इस रिजर्वेशन के आधार पर होते हैं और वे वहां पर भाड़ झोंके। लेकिन कम से कम यह नीति तो होनी चाहिए कि प्रोग्रेसिव बेसिस पर कोई उनको एन्करेजमेन्ट मिले, उनको आप एन्करेज करें। उनमें पांच पर्सेन्ट कमी भी है तो उनको प्रोत्साहन देने के रूप में एज एन एक्सपेरीमेंटल करें जिससे प्रमोशन आदि के द्वारा वे आगे बढ़ सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भाड़ झोंकने का प्रश्न इसमें नहीं है, अध्यक्ष महोदय, दायित्व निभाने का है। इस प्रश्न के उत्तर में जैसा मैंने निवेदन किया वही का वही उत्तर है। यह बात दूसरी है कि उस भाषा और शब्दों में न कह कर दूसरी तरह कहूं। इसमें कुछ असंतोष या संतोष का प्रश्न पैदा नहीं होता, यह मैंने आपको कहा है।

Page No 31

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि सी० आई० जी० के प्रमोशन इसलिए नहीं करते कि उससे एफीशियेन्सी गिर जायगी। लेकिन जो हायर पोस्ट है जिसमें डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, आर० पी० एस० के सिलेक्शन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रोसीजर रखती है, जिससे थोड़े मेरिट वाले लोग आ जाते हैं। तो उस नीति से हायर पोस्ट की एफीशियेन्स में असर नहीं पड़ेगा। एस. एच. ओ. के लिए रिजर्वेशन दें और डिप्टी एस. पी. के लिए रिजर्वेशन दें तो सी. आई. के प्रश्न पर एफीशियेन्स का विचार करें-इससे नीति में संगति या असंगति नजर आती है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें संगति या असंगति का प्रश्न नहीं है। मैंने निवेदन किया कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी होते है उनमें रिजर्वेशन है। और दूसरे प्रश्न पर आपने कहा कि इनमें एफीशियेन्सी कैसे रह सकती है। उसके दो आधार हैं-एक तो जैसा मैंने कहा उच्च श्रेणी की सर्विसेज है उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन होता है और क्वालिटी, योग्यता, अयोग्यता के प्रश्न से चुन कर वे रिजर्वेशन में आते हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। थोड़ी बहुत यदि उनमें कमी होती है तो वह ट्रेनिंग के अन्दर साफ हो जाती है। प्रमोशन के प्रश्न को इस प्रश्न से कम्पेयर किया जाय तो ट्रेनिंग का प्रश्न दो दफा उपस्थित हो जाता है। तो डाइरेक्ट रिक्रूमेंट के अन्दर रिजर्वेशन के आधार पर फिल-अप कर देते हैं। प्रमोशन के अन्दर यह स्थिति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सी. आइ. के लिए भी रिवीजन या रिफ्रेशर्स कोर्स रख सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने तो ये सर्कम्स्टान्सेज अर्ज की हैं। इसके अलावा कई सर्कम्स्टान्सेज होती हैं, एक नहीं है। उसको कई मौके मिलते हैं प्रमोशन के बाद में। लेकिन रिजर्वेशन की बुनियाद के सम्बन्ध में मेरी मान्यता है कि उसे अपने को सुधारने और इस डिपार्टमेंट के हित में एफीशियेन्सी और डिसीप्लिन बढ़ाने का मौका नहीं मिल सकता। यह हो सकता है कि प्रमोशन देने के बाद फिर ट्रेनिंग देने का उपाय करें, पहले फिल-अप करें और फिर ट्रेनिंग दें, यह हो सकता है। लेकिन यह सम्भव नहीं है। यह नीति का प्रश्न है, यह मैंने आपसे बार बार निवेदन किया। इसके अलावा जो भावनायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं, वे सरकार के सामने पहुंच जायेंगी और जो परिवर्तन हो सकता है वह हो सकेगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं होता कि यह परिवर्तन सम्भव होगा।

श्री हरिराम चारू (सिवाना सु.) : अर्ज यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का इसमें कोई दोष नहीं है। इन तीनों पोस्टों पर जो सेक्रेटरी हैं, डाइरेक्टर हैं, वे नौकरियों में लेते हैं और वे लोग भाई-भतीजावाद के आधार पर लेते है और हरिजनों को

(श्री हरिराम घारू)

और भीलों को नहीं लेते हैं । आज सरकार खास करके हम लोगों की प्रगति चाहती है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले वह ऐसा कानून बना दें कि साढ़े बारह पर्सेन्ट कोटा, मुख्य मन्त्री व मन्त्री, हरिजनों और भीलों का पूरा करें....

श्री निरंजननाथ आचार्य : गुड़ ।

श्री हरिराम घारू : नौकरियों में सुखाड़िया जी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : मंत्रिमंडल में भी साढ़े बारह पर्सेन्ट हरिजनों की सीट होनी चाहिए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : वह तो है; एक मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर एक एक !

श्री हरिराम घारू : वह तो ठीक है । सरकार द्वारा शिक्षा में महतरानियां भी बी० ए० पास हैं, ऐसी बात नहीं है । मिनिस्टर भी हरिजन हैं, भीलों का मिनिस्टर भी है । उसके लिए सरकार को धन्यवाद है ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : खामख्वाह इनको जलन होती है ।

श्री हरिराम घारू : I. S e अगर सरकार दिल से प्रगति चाहती है, परन्तु वह दिमाग से चाहती है, दिल से नहीं चाहती है । इसलिए निवेदन है कि ऐसा कानून बनायें जिससे ये सेक्रेटरी के हाथ में नहीं रहे, कमिश्नर के हाथ में नहीं रहें । और जो मन्त्री महोदय जिस विभाग के हैं और मुख्य मन्त्री जी इस कोटे पर कंट्रोल करें तो कमी दूर हो सकती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, साढ़े बारह पर्सेन्ट के हिसाब से सब इन्सपेक्टर को इन्सपेक्टर्स की पोस्ट पर प्रमोशन दिया जाय और उसके लिए सबसे पहले रिफ्रेशर्स कोर्स या रिवीजन कोर्स रखा जाय । तो जैसी कि मंत्री महोदय की दलील है कि इसलिए आर. पी. एस. में ले लिए जाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग होती है, उसी तरह उनका कोर्स हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : सम्भवतया जो संविधान में प्रावधान है रिज़र्वेशन का वह सीधे रिक्रूटमेंट का है न कि प्रमोशन का । इसलिए सरकार दिक्कत महसूस कर रही है । इसलिए रिज़र्वेशन हर पोस्ट और हर कैडर के लिए हो जाय तो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसका मतलब यह है कि गरीबों को आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है । मैं कहूँगा, थोड़ा बहुत प्रमोशन मिलना चाहिए । आखिर सरकार की नीति ऐसी है कि इनको प्रोत्साहन मिले तो थोड़ी बहुत उनके प्रति विचार करना चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रमोट करके उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोर्स रख लें, तीन महीने का, छः महीने का और उनको ट्रेन कर लें, इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : सोलह साल हो गए अध्यक्ष महोदय, यह नीति सोलह साल से रही है और उसका यह अंजाम हुआ है कि सरकार इस तरह से सोलह साल में भी कुछ नहीं कर सकती है। इन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो नीति है, उसका अन्जाम क्या होगा ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आगे की आगे देखी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी मौजूदगी में जैसा चाहें करें। आगे क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टौंक जिले के अकालग्रस्त ग्राम

५३८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टौंक जिले में सन् ६३-६४ व ६४-६५ में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किए गए थे ?

(२) अकालग्रस्त घोषित ग्रामों में किस किस प्रकार के राहत कार्य कराये गए और उनमें कितना रुपया खर्च किया गया ? खर्च के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गोविंदगढ़ में नियुक्त डॉक्टर के विरुद्ध जांच

५३९. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ में नियुक्त डाक्टर की जनता की शिकायत पर कोई जांच की गई थी ? अगर हां, तो कब और उसकी जांच होने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में डाक्टर की रिश्वत के विषय में वहां के पी. एम. ओ. ने जांच की है ? अगर हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) मौजूदा डाक्टर मौहम्मद शाह विजोहा के खिलाफ जनता की कोई शिकायत नहीं है, अतः जांच होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

(२) जी हां। डाक्टर द्वारा रिश्वत लिया जाना संदेहास्पद था किन्तु जांच के दौरान में प्रमाणों से लिया जाना साबित नहीं हुआ। फिर भी संदेह के लिए डाक्टर को इस अनुभाग के पत्र संख्या ओ बी (ओ ए. एम. ।।) एफ २६।एच१।६३६।१।६४ दिनांक २२-६-६४ द्वारा भविष्य में सचेत रहने के लिये चेतावनी दी जा चुकी है।

Page No 34

निम्बाहेड़ा में पुलिस कस्टडी में मृत्यु

५४१. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा पुलिस कस्टडी में सन् १९६१ में श्री मूलचन्द सुनार की मृत्यु हुई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसकी विधवा पत्नी और तीन बच्चे अब मोहताज हो गये हैं ?

(३) क्या सरकार उन्हें कोई सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। मृतक मूलचन्द के उसकी बेवा तथा २, लड़कियां हैं, न कि तीन जिनमें से एक का विवाह हो चुका है एवं दूसरी केवल ४ वर्ष की है।

(३) ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अकाल सहायता कार्य और न्यूनतम वेतन

५४२. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अधिशासी अभियंता, एन. एच. डब्ल्यू. डी. एन, उदयपुर ने अकाल सहायता आयुक्त को जून, ६४ में एक पत्र लिख कर सूचित किया था कि वे अकाल मजदूरों को साप्ताहिक विश्राम के आधे पैसे नहीं बल्कि न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार पिछले छः दिनों की औसत मजदूरी के बराबर दे रहे हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्र की नकल सदन की मेज पर रखें ?

(२) उक्त अधिशासी अभियंता उदयपुर में प्रति मजदूर को प्रति साप्ताहिक विश्राम के कितने पैसे दिये ?

(३) उक्त अधिशासी अभियंता के नीचे कितने मजदूर काम करते थे और उन्होंने उनको कितने सप्ताह तक उक्त दर से चुकारा किया ?

(४) क्या अकाल सहायता आयुक्त ने उक्त अधिशासी अभियंता, को बाद में यह आदेश दिया कि वे ५० न. पै. से ज्यादा किसी भी अकाल मजदूर को साप्ताहिक विश्राम के न दें और जो पैसे पचास नये पैसे से ज्यादा चुका दिये गये हैं उसकी वापसी अदायगी करें ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(१) जी हां, सही है। सम्बन्धित पत्र की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा जा चुकी है।

(२) प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह विश्राम के लिये निम्न मजदूरी दी गई:—

खोदने वाला	१)१२ पैसे
ढोने वाला	८७ पैसे
बच्चा	७५ पैसे

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

(३) लगभग ८,००० से २०,००० तक मजदूर कार्य करते थे और लगभग १५ सप्ताह तक उक्त दर से चुकारा किया।

(४) जी हां, यह सही है।

आदेश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शक्कर की कीमत तय करने का आधार

५४९. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किसी शक्कर मिल की शक्कर की कीमत किस आधार पर तय की जाती है ?

(२) क्या इसका सम्बन्ध गन्ने से बैठने वाली शक्कर की मात्रा से है ?

(३) वर्ष १९६४ में भोपालसागर शुगर मिल कब शुरू हुई व कब बन्द हुई ? जिस दिन बन्द हुई उस दिन गन्ने से बैठने वाली शक्कर की मात्रा का प्रतिशत क्या था और गत पांच वर्षों में यह प्रतिशत क्या रहा ?

उत्तर

(१) मिलों द्वारा बनाई हुई शक्कर की कीमत भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा तय की जाती है।

(२) जी हां। लेकिन इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

(३) सीजन ६३-६४ में भोपालसागर मिल दिनांक २३-११-६३ को चालू हुई और २२-१-६४ को बन्द हुई। उस दिन शक्कर की रिकवरी ७.५३ पर्सेन्ट थी।

जब मिल बन्द हुई उस समय शक्कर की रिकवरी निम्न प्रकार थी:—

१९५८-५९	८.३२
१९५९-६०	१०.३०
१९६०-६१	९.००
१९६१-६२	८.५१
१९६२-२३	९.२१

नोहर के भूतपूर्व तहसीलदार की जांच

५५०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास लम्बे अर्से से नोहर के भूतपूर्व तहसीलदार श्री चाणिक्यप्रसाद की जांच रुकी पड़ी है ?

(२) अगर हां, तो इसमें क्या हो रहा है तथा विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। यह जांच दिनांक ७-१०-६४ को ही पूर्ण हो चुकी है।

(२) वह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Page No 36

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

माही बांध की डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा

५५१. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा में माही बांध की डूब में जाने वाले गांव कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के लोगों की जमीन व मुआवजे देने के लिए सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) माही बांध के बनने पर ६७ गांव राजस्थान की सीमा व ५ गांव मध्य प्रदेश के अन्तर्गत डूब में आयेंगे । गांवों की सूची संलग्न है ।

(पृष्ठ १०८-११०)

(२) अभी तक बांध का कार्य शुरू नहीं हुआ है । और शुरू होने के बाद पहले दो-तीन वर्ष में बांध को ऊंचाई दोनों ढाबों के बराबर होगी जिसमें कोई गांव या जमीन डूब में नहीं आवेगी । इसके बाद गांव या जमीन डूब में आयेंगे । डूब में आने के पहले किसानों को बसाने का कार्य सम्पूर्ण कर दिया जायगा । इस कार्य के लिए एक पुनर्वास अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है जो डूब में आने वाले गांवों के व्यक्तियों के पुनर्वास की कार्यवाही करेंगे ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नीम का थाना में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने एवं गोली चलाने की जांच

५५६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तारीख २०–९–६४ को नीम का थाना में मुख्य मंत्री के आगमन पर कोई प्रदर्शन विरोधी दलों ने आयोजित किया था ?

(२) क्या प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी व गोली चलाई ? अगर हां, तो किन कारणों से ?

(३) क्या उप जिलाधीश नीम का थाना, जिला पुलिस अधिकारी (एस. पी.) सीकर ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी ? अगर हां, तो उनमें घटना के सम्बन्ध में क्या ब्योरा दिया गया है ? कृपया उसे सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या जिलाधीश सीकर ने भी कोई जांच की थी ?

(५) क्या इस संबन्ध में कोई मांग न्यायिक जांच हेतु सीकर जिला के चार कांग्रेसी विधायकों ने व विरोधी दलों ने की थी ? अगर हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या किया ? न्यायिक जांच अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(श्री गृह मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां । किन्तु मुख्य मन्त्री नहीं पधारे थे ।

(२) वहां दिनांक २०–६–६४ को दो दलों के बीच में मन–मुटाव के कारण एक दूसरे पर पत्थर फेंके गये । पुलिस दो दलों के बीच में एक दल को दूसरे दल तक न पहुंचने के प्रयत्न में थी । उन पुलिस जवानों को पत्थरों से चोटें आई । बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुये दलों को गैर कानूनी घोषित किया गया और पुलिस ने दोनों दलों को पीछे धकेला । कोई लाठी चार्ज नहीं की गई । रेल्वे लाइन करीब होने के कारण बड़े बड़े पत्थर फैंके जा रहे थे । स्थिति को नियन्त्रित करने के लिये एक फायर किया गया जिससे दल तितर–बितर हो गया । फायर से कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ । इस घटना में १२ पुलिस जवानों को और ८ अन्य व्यक्तियों को साधारण चोटें आई ।

(३) जी हां । केवल एस० पी० से रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

(४) जांच की थी ।

(५) सरकार के सम्मुख ऐसी कोई लिखित में कोई मांग नहीं आई । जिला मजिस्ट्रेट ने नियम १६७ राजस्थान राज्य पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत जांच की । न्यायिक जांच कराने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास समिति बीकानेर द्वारा जमीन की बिक्री

२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर नगर विकास समिति ने १ नवम्बर सन् १९६१ के बाद किस किस को ऑडिट ऑब्जेक्शन के बावजूद भी कब पट्टे दिये और यह जमीन कब २ बिकी ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गम्भीरी बांध की नहरों से सीपेज

२७. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) गम्भीरी बांध तथा मुलिया बांध से इस वर्ष कितने एकड़ सिंचाई की संभावना है ?

(२) क्या यह सही है कि मुलिया बांध सूख गया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

(३) क्या यह सही है कि गम्भीरी बांध की नहरों से सीपेज बहुत अधिक होता है ? यदि हां, तो सीपेज से प्रभावित खेतों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सीपेज के कारण गांवों में आने-जाने के रास्ते खराब हो गए हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबन्ध में क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) इस वर्ष गम्भीरी बांध से ६००० एकड़ एवं मुलिया बांध से ७५० एकड़ पिलाई होने की सम्भावना है।

(२) जी नहीं। सूखा नहीं है परन्तु पानी नहर के लेवल से नीचे हो गया है। बंध में से सीपेज होने के कारण समय से थोड़ा पहले नीचे उतर गया। सीपेज को रोकने के लिए बंध में एक (ब्लेन्केट) मिट्टी का पुश्ता बनाने का विचार किया जा रहा है।

(३) गम्भीरी बांध की नहरों से कहीं कहीं सीपेज होता है। सीपेज से प्रभावित खेतों की रक्षा के लिए नदियों (Drains) व नहरों पर लाइनिंग का कार्य चल रहा है।

(४) जी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है। किन्तु कृषकों की असावधानी के कारण कहीं कहीं धोरे फूट जाते हैं और रास्ते खराब हो जाते हैं। धोरों पर पक्के पाइप क्रोसिंग काश्तकारों के द्वारा बनवाने के प्रश्न पर विचार कया जा रहा है।

भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य

२८. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा जिले की किन किन तहसीलों के कितने कितने गांवों में अकाल की स्थिति है तथा सरकार ने इन्हें अकाल ग्रस्त क्षेत्र कौनसी तारीख से घोषित किया ? इन क्षेत्रों में कौन कौन से राहत कार्य चालू किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(२) सरकार ने किन किन तहसीलों के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कितना कितना रुपया किस किस काम के लिए अप्रेल, १९६४ के आखिर तक स्वीकृत किया ? क्या अप्रेल के बाद भी इन क्षेत्रों में कोई नये कार्य शुरू किए गए व नई रकम की स्वीकृति हुई ? यदि हां, तो किस किस काम के लिये कितनी कितनी रकम ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) अप्रेल १९६४ तक किस किस तहसील के किस किस काम पर कितने कितने मजदूर काम करते थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे। इनकी मजदूरी किस रेट से चुकाई जाती थी ?

(४) क्या यह सही है कि आसीन्द तहसील में मई माह में मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई ? अगर हां, तो कितनी ?

(५) क्या इन क्षेत्रों में मजदूरी करने वालों के अलावा भी किन्हीं को भी किसी

Page No 39

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तरह की सहायता दी गई ? यदि हां, तो किस तरह के लोगों को और कितनी और किस हिसाब से ?

उत्तर

(१) खरीफ सम्वत् २०२० की फसल नष्ट होने के कारण भीलवाड़ा जिले की तहसील मांडल के ५६ गांव तथा आसीन्द तहसील के ७१ गांवों को दिनांक ३-१-६४ को अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। अभावग्रस्त क्षेत्र में चलाये गये राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की गई है।

सम्बत् २०२१ की खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण भीलवाड़ा जिले की ५ तहसीलों के ११० गांवों को दिनांक २-३-६५ को अभावग्रस्त घोषित किये हैं।

(२) भीलवाड़ा जिले की आसीन्द व मांडल तहसील के लिये निम्न धनराशि अप्रेल, ६४ तक स्वीकृत की थी :—

नाम - मद	धनराशि
(१) राहत कार्य राजस्व विभाग	१,५८,०००) रू०
(२) ,, ,, सार्वजनिक विभाग	१,६०,०००) रू०
(३) ,, ,, सिचाई विभाग	१५,०००) रू०
(४) मुफ्त इमदाद	१,०००) रू०
(५) अनाज ढोने के लिए	१,०००) रू०
(६) चारा व्यवस्था	४२,०००) रू०
(७) पानी व्यवस्था	१३,०००) रू०
(८) तकाबी	१,५०,०००) रू०
योग	५७०००००) रू०

अप्रेल, ६४ के बाद जो धनराशि स्वीकृत की गई उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है,

(३) अप्रेल, ६४ तक जिन २ कार्यों पर मजदूर कार्य करते थे उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की गई है।

मजदूरी इस प्रकार से चुकाई गई -:

खोदने वाला १) १२ पैसे प्रति दिन
ढोने वाला ८७ पैसे प्रति दिन

बच्चा ७५ पैसे प्रति दिन।

(४) यह सही नहीं है।

(५) राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को जो अंधे, लूले, लंगड़े थे, निःशुल्क सहायता दी है। भीलवाड़ा जिले के लिए अप्रेल ६४ तक १,०००) रु० तथा अप्रेल १९६४ के बाद ३,०००) रू० की धन राशि स्वीकृत की गई थी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 40

निम्बाहेड़ा पुलिस थाने में दर्ज चोरियों के मामले

२६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दिसम्बर, सन् १९६३ से सितम्बर, १९६४ तक निम्बाहेड़ा पुलिस थाने में चोरियों की कुल कितनी रिपोर्ट दर्ज की गई है ?

(२) इन दर्ज शुहा केसेज में बरामदगी कितनी हुई ? जो चोरियां बरामद नहीं हुई, उनके क्या कारण हैं ?

(३) फाइनल रिपोर्ट कितने केसेज में दी गई ? फाइनल रिपोर्ट देने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(१) दिसम्बर १९६३ से सितम्बर १९६४ तक निम्बाहेड़ा पुलिस थाने में चोरियों की कुल २६ रिपोर्ट में पंजीबद्ध की गई।

(२) इन चोरियों में कुल रु० ४८१७-८० पै० के मूल्य की सम्पत्ति चोरी गई थी जिसमें से रु० १७३३-८० पै० के मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई। केवल चार चोरियों का अथक प्रयास के उपरान्त भी पता नहीं लग पाया, जिसके मुख्य कारण हैं कि चोरों ने घटनास्थल पर ऐसे कोई चिन्ह या प्रमाण नहीं छोड़े जिनसे कि चोर और सम्पत्ति का पता लगाने में सहायता मिल सके।

(३) कुल १० चोरी के प्रकरणों में फाइनल रिपोर्ट दी गई है जिनमें से ३ झूठे पाये गये, चार अदम पता रहे; तथा ३ अदम सुबूत रहे। अदम पता वाले प्रकरणों में खोज में सहायता मिलने के लिए घटना-स्थल पर कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हुये तथा अदम सुबूत वालों में चोरों के विरुद्ध चालान करने के लिए प्रयाप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया।

गिरवा क्षेत्र में खानों की नीलामी

श्री जोरसिंह चौहान (गिरवा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन के गिरवा क्षेत्र में उदयपुर के पास दूदीया गणेशजी के नजदीक फूटी तलाई में जो खानें पत्थर चेजा की हैं वे राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९५९ की धारा ३० (२) के तहत दी जाती रही है ?

(२) क्या यह सही है कि इन खानों पर काम करने वाले खनवारीयान की दरख्वास्तें उपरोक्त नियमों के नियम २८ के तहत वास्ते रिन्युअल के पेश हो रही हैं और टैक्स की रकम भी जरिये मनीआॅर्डर के भेजी जा रही है, लेकिन रकमें जमा नहीं कराने का आदेश हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि उज्रदारान के उज्र नहीं सुनने के पहले ही सरकार ने उन खानों को नीलाम कर दिया है और पुराने काम करने वालों के औजार भी सरकार ने छीन लिये हैं ?

(श्री खनिज मंत्री)

उत्तर

(१) दूदीया गणेशजी के पास ३० फूटी तलाई सज्जनगढ़ में चुनाई के पत्थर की खाने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम ५६ की धारा ३० (२) के तहत दिनांक ३१-३-६४ तक दी जाती थी।

(२) रेन्ट-कम रोयल्टी लीज़ के रिन्युवल के लिये कोई दर्ख्वास्त पेश नहीं हुई। नियम ३० (२) के अन्तर्गत ही नई खाने लेने के लिए जरिये मनिऑर्डर दो या तीन व्यक्तियों की रकम आई वह लौटा दी गई, क्योंकि इस क्षेत्र से निकलने वाले चुनाई पत्थरों की रोयल्टी वसूली का ठेका १-४-६४ से नीलाम किये जाने का निर्णय लिया जा चुका था।

(३) जी नहीं, खानों को नीलाम नहीं किया गया, परन्तु खानों से निकलने वाले चुनाई के पत्थरों पर रोयल्टी वसूली का ठेका नीलाम किया गया। खानों के काम करने वाले व्यक्ति बिना स्वीकृति कार्य करते हुये पाये जाने से उन पर मुकदमे चलाये गये हैं और कुछ के औजार भी सुबूत के तहवील में लिये गये हैं।

सवाईमाधोपुर जिले की डिस्पेंसरीज़

३१. वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितनी डिस्पेन्सरीज़ हैं तथा उनमें से कहां कहां कितने समय से डॉक्टर नहीं हैं ?

(२) करौली अस्पताल में कुल कितने डॉक्टर स्वीकृत हैं तथा इस समय कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं ? क्या जितने डाक्टर वहां कार्य कर रहे हैं वे वहां के कार्य को देखते हुए पर्याप्त हैं ?

(३) करौली अस्पताल में इस समय कितनी रुग्ण शय्याओं की व्यवस्था है ?

(४) सवाई माधोपुर में इस समय कुल कितनी लेडी डॉक्टर्स कार्य कर रही हैं ?

उत्तर

(१) सवाई माधोपुर जिले में १६ चिकित्सालय एवं ८ प्रा० स्वा० केन्द्र हैं (इनमें से चार स्थानों पर (१) मानड़ोल डिस्पेन्सरी (२) पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी (३) बजोरपुर डिस्पेन्सरी (४) कल्याणी डिस्पेन्सरी में डॉक्टर का कोई स्थान स्वीकृत नहीं है) जिनमें से केवल ८ स्थानों में चिकित्सक के स्थान रिक्त हैं इन स्थानों में कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम कार्य कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की सूची संलग्न है।

(२) करौली अस्पताल में ५ चिकित्सकों के स्वीकृत स्थान हैं जिन पर चिकित्सक कार्य कर रहे हैं जो राशनलाइज्ड पेटर्न के अनुसार पर्याप्त हैं।

(३) उक्त अस्पताल मे ५० बेड्स की स्वीकृति ने।

(४) कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। उपलब्ध होने पर व्यवस्था की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(१२. २५. म. प.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र-फाइनेन्शियलकॉर्पोरेशन अधिनियम विषयक

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ (७) के अन्तर्गत राजस्थान वित्तीय निगम के छठे, सातवें एवं आठवें प्रतिवेदनों से संबंधित निम्नांकित प्रमाण पत्रों को सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) राजस्थान वित्तीय निगम के वर्ष १९६१-६२ के लेखा परीक्षण का प्रमाण-पत्र,

(२) राजस्थान वित्तीय निगम के वर्ष १९६२-६३ के लेखा परीक्षण का प्रमाण-पत्र व

(३) राजस्थान वित्तीय निगम के वर्ष १९६३-६४ के लेखा परीक्षण का प्रमाण-पत्र,

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :

(१) पुनर्ग्रहण के वर्ष जागीरदारों द्वारा पाली जिले में कृषकों से वसूल किये गये लगान की वसूली कृषकों से दुबारा न किये जाने से संबंधित।

(२) हाथ से बने देशी उस्तरे व कैंचियों को अन्तर्राजीय व्यापार के लिये केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त करने सम्बन्धी।

(३) कृषि व्यवसाय के लिये विद्युत् के नये कनेक्शन देने पर टाइम स्विच सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाने हेतु।

(४) एग्ज़ीक्युटिव ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट्स की अदालतों के कार्य के बारे में।

(५) नामान्तरकरण शुल्क की वसूली न करने सम्बन्धी।

श्री अमरसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं जुलगा झील (तहसील सांभर) में पानी भर जाने के काश्त के नुकसान को रोकने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ (वापिस लेना)

श्री अध्यक्ष : वापिस लिया जाने वाला विधेयक।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

(१२. २८. म. प.)

अलवर पोलीटेक्निक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस देने सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मैं अलवर पोलीटेक्निक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अलवर में पोलीटेक्निकल इन्स्टीट्यूशन है जो सन् १९६० में कायम हुआ। इस विभाग में ट्रेड के लोगों को कुछ टेक्निकल ज्ञान रखते थे, उनको ८०:४: १७५ के ग्रेड में भर्ती किया गया। उस समय उनकी न्यूनतम योग्यता थी नोन मेट्रीक्यूलेट या साधारण हिन्दी जानने वालों को भी लिया गया था और जिनको ट्रेड के बारे में अनुभव हो उनको लिया गया था। इसके अलावा अलवर में पोलिटेक्निक में इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर उन लोगों की भर्ती की गई, मगर सन् १९६१ में जब रिवाइज्ड पे स्केल लागू हुआ तो उसमें उन व्यक्तियों की योग्यता को चेन्ज कर दिया गया और उनके ग्रेड की स्केल जो ८० से १७५ थी उसको ११ नवम्बर पर फिक्सेशन किया जिसको १०५ से २०० तक रख दिया गया। उसमें व्यक्तियों की योग्यता मेट्रिक रखी गई। अध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड पे स्केल में इस बात का स्पष्ट रूप से ध्यान दिया गया है। उसमें लिखा है सब क्लॉज (३) में कि "Conditions and qualifications prescribed in part to 2 above will not be applicable to existing personnel already serving on posts to which this scheme is made applicable but will apply to all future appointments whether by promotion or transfer from other departments or fresh recruitment."

यहां इस रूल का साफ मतलब था कि यह नई अपोइन्टमेंट फ्यूचर में होगी उस पर एप्लाई होगा जो पहले के एम्प्लोईज़ हैं उन पर यह लागू होने वाला नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को लिया गया था उनको सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया और सन् ६२ में ताराचन्द को नौकरी से हटा दिया। कन्हैयालाल को २ साल के बाद ६३ में हटाया। दूसरे शिवनाथ जो सन् ५८ में उदयपुर में ७ साल से लगातार नौकरी में थे उनको नोटिस हटाने का दिया गया और बाकी जो रहते हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न है। इसके बारे में उन्होंने बराबर गवर्नमेंट को प्रार्थना पत्र दिये हैं। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया कि वे उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार करेंगे; लेकिन दो साल हो गये मगर अभी तक उनकी किसी बात को सुना नहीं गया। २२

Page No 44

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तारीख को मजबूर होकर वे भूखहड़ताल पर बैठे हैं। उनकी यह मांग है कि यह जो रूल है वह १.६.६१ के बाद के रिक्रूटमेंट पर लागू होता है। उनका यह कहना है कि यह उन पर इसलिये लागू नहीं हो रहा है कि उनका अपोइन्टमेंट टेम्परेरी था। एक तो यह विभाग का कहना गलत है; यह किन पर लागू होगा और किन पर लागू नहीं होगा, यह इन रूल्स में दिया गया है। रूल २ कहता है: "This will apply to civil service and posts in connection with the affairs of the State and whose pay is debitable to the consolidated fund of the State ..."

हय जनरल एक स्टेटमेंट है। एक्सेप्शनल है जो रूल २ में है:

"This rule shall not apply to persons who are in wholetime employment.'

Persons employed on contract...
Persons especifically excluded whole or in part by the Governor from the operation of these rules'

तो केवल यह जो सब क्लॉज़ (२) में एक्सेप्टेड है इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं जिनको कन्सोलिडेटेड फन्ड से पे मिलती है सब पर लागू है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह टेम्पोरेरी लागू नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह आप कहते हैं कि कवर नहीं होता है लेकिन खुद शिक्षा विभाग ने इन कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल आने के बाद जो ८० से १७५ के ग्रेड में थे उनको नये पे स्केल दिया है। कन्हैयालाल को जो ऑफिस ने चिट्ठी लिखी है वह इस प्रकार है:...

"In view of the Government order No.F.I (57) F.D 61 dated 18.12.61 Shri Kanahiya Lal Seni, Technician is hereby fixed at the rate of 105/ with effect from 30.9.61 in the revised pay scales to 105-5-200."

तो जब खुद विभाग ने इन रिवाइज्ड पे स्केल्स के आने के बाद पुराने स्केल्स, को बदल कर नये पे स्केल्स, ग्रेड्स इन लोगों को दे दिये तो यह कहना भी सही नहीं है कि विभाग ने इन रिवाइज्ड पे स्केल्स को इन कर्मचारियों पर लागू नहीं किया है। तो यह रूल भी सब रूल २ में जो है उनके अलावा सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसलिये इनको रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करना, इनको नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। वैसे भी राजस्थान सरकार की यह नीति रही है कि ऑलरेडी जो कर्मचारी उसकी सर्विस में हैं, उनको सरप्लस भी डिक्लेअर करती है तो और जगह इनको एब्जोर्ब करती है। पोलीटैक्निक कई जगह है, जो नोनमैट्रिक हैं, कन्फर्म्ड हो गये हैं। उदयपुर में, जोधपुर में हैं, उनका काम टैक्निकल है, मशीनमैन, कारपेन्टरी का उनका काम है, इसमें तजुर्बा होने से वे लोग और दक्ष हुए हैं। इसलिये गवर्नमेंट का स्टेन्ड किसी तरह ठीक नहीं है, इसलिये जिन लोगों को कन्हैयालाल, ताराचन्द को नौकरी से निकाला गया है उनको वापिस उसी तारीख से वापिस नौकरी पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लगाया जाय। शिवनारायण, निरन्जनलाल और दो लोग और है, दो की चार चार साल की सर्विस है, एक की ५ साल की सर्विस है और एक की ७ साल की सर्विस है। इन लोगों को नोटिस न देकर, कन्फर्म किया जाय, जैसे भी गवर्नमेंट के जनरल रूल्स हैं कि तीन साल बाद सैमी पर्मानेन्ट कर्मचारी को मान लिया जाता है। इसलिये मेरी मान्यता है कि इनके साथ यह अन्याय है, निकालने की कार्यवाही।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। यह टैक्निशियन्स का प्रश्न है, हार्ड कैसेज भी हों तो सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। टैम्पेरेरी भी हों, उनकी पांच सात वर्ष की नौकरी है, उनको नोटिस देकर नौकरी से पृथक किया जाता है तो उनकी रोटी और रोजी का प्रश्न पैदा होता है। जो आपने क्वालिफिकेशन्स के लिये नियम बनाये हैं उनका स्वागत करता हूं पर टैक्निशियन्स के लिये मैट्रिक पास करना आवश्यक नही है। इनके सम्बन्ध में रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देना एड्मिनिस्ट्रेटिवली, प्रशासनिक सिद्धान्त से, वास्तविक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि, जो माननीय सदस्य अलवर से आने वाले हैं उनका बयान यदि ठीक है तो एक हद तक उनके साथ सहमत हूं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि इसका हल सहानुभूति-पूर्वक निकालने की चेष्टा करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य :(उप-मंत्री, शिक्षा) अध्यक्ष महोदय, इन टैक्निशियन्स की सेवाएं इस कारण समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि वे पोलीटैकनिक्स में टैक्नीशियन्स के पदों के लिये समय समय पर निर्धारित की गई योग्यताओं को धारण नहीं करते थे।

पहली मर्तबा जो पोलीटैकनिक्स में टैकनिशियन्स के लिये योग्यताएं निर्धारित की गई थीं; वे थीं; अच्छी साधारण शिक्षा तथा सम्बन्धित धन्धे में कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित व्यवहारिक अनुभव। ब्ल्यू प्रिन्ट तथा ड्राइंग समझने योग्य हो।

जनवरी, १९६१ में इन योग्यताओं में संशोधन किया गया। वे योग्यताएं निम्न-रूपेण थीं :—

सम्बन्धित धंधे में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाणपत्र तथा धन्धे में करीब तीन वर्ष का अनुमोदित व्यावसायिक अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा धंधे में ५ वर्ष का अनुमोदित व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हो व ब्ल्यूप्रिन्ट एवं ड्राइंग समझने योग्य हो।

१९६१ में इन योग्यताओं में संशोधन इसलिये आवश्यक हो गया कि प्राविधिक शिक्षा बोर्ड ने पोलिटैक्निक्स में विभिन्न पदों के लिये योग्यताएं निर्धारित कर दी थीं।

१९६१ में राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, १९६१ के प्रभाव में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आने से इन योग्यताओं में पुनः संशोधन किया गया। ये पुनः संशोधित योग्यताएं दिनांक १–६–६१ से आवश्यक की गई।

मैट्रिक्युलेशन, तथा नेशनल कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेडर्स द्वारा जारी किया गया क्राफ्ट्समैन सर्टिफिकेट और उस धन्धे में या शिल्प में दो वर्ष का अनुभव।

ऐसी स्थिति से निर्धारित योग्यताओं में संशोधन का मुख्य कारण यह है कि टैक्निशियन्स को अब संशिक्षकों के रूप में कार्य करना पड़ता है। पौलिटैक्निक्स में मैट्रीक्यूलेट व्यक्ति, विद्यार्थियों के रूप में भर्ती किये जाते हैं। इसलिये स्वाभाविक रूप से यह आशा की जाती है कि संशिक्षक भी कम से कम मैट्रीक्यूलेट हों।

हम उन योग्यताओं से निम्न योग्यताएं निर्धारित नहीं कर सकते जो प्राविधिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हैं।

सितम्बर, १९६१ तक कैंविनशियन्स के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य-क्षेत्र में थे, उसके पश्चात् प्राविधिक शिक्षा संचालकालय की भर्ती समिति द्वारा चयन किया जाता है।

निर्धारित योग्यताओं में संशोधन किए जाने से पूर्व बहुत से टैक्नीशियन्स अस्थाई रूप से नियुक्त किए गए थे। निर्धारित योग्यताएं, जब उनको लिया गया अब से भिन्न थीं। यह प्रतीत होता है कि उन अस्थाई टैक्नीशियन्स में से कुछ टैक्नीशियन्स आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उनका यथाविधि चयन कर लिया गया। राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् यदि ये उम्मीदवारं राज्य सेवा में स्थाई कर दिए गए तो इसके विषय में कोई असामान्य बात नहीं है। आयोग उम्मीदवारों का चयन उस समय निर्धारित योग्यताओं के आधार पर कर सका तथा सरकार उन्हें इसलिए स्थाई कर सकी कि आयोग द्वारा उनका चयन किया गया था। तदर्थ एडहॉक आधार पर की गई अस्थाई नियुक्तियां कोई अर्थ नहीं रखतीं क्योंकि चयन किए गए उम्मीदवारों के उपलब्ध हो जाने पर इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को हटाना पड़ता है। राजस्थान लोकसेवा आयोग या भर्ती समिति तत्समय आवश्यक निर्धारित योग्यताओं के आधार पर चयन करने को बाध्य है। कम योग्यताएं धारण करने वाले उम्मीदवार इस बात की मांग नहीं कर सकते कि उनका चयन उन योग्यताओं के आधार पर कर लिया जाय। जो अब आवश्यक नहीं है। योग्यताओं में जब कभी संशोधन किया जाता है या नये नियम लागू किए जाते हैं, तो केवल उन्हीं कर्मचारियों का संरक्षण किया जाता है जिन्हें स्थाई किया जा चुका है या जिनका चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा किसी सक्षम चयन समिति द्वारा किया गया है। तदर्थ एडहॉक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को मौलिक (सब्स्टेन्टिव) रूप से नियुक्त करने के लिए तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी नियुक्ति का अनुमोदन एक यथाविधि गठित चयन समिति द्वारा नहीं कर दिया जाय।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

टैक्निशियन्स के पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं में संशोधन के परिणामस्वरूप ६ टैक्निशियन्स पर प्रभाव पड़ा। अब मैं अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ताराचंद के बारे में निवेदन कर दूं। श्री ताराचन्द की सेवाएं दिनांक २३–८–६२ से समाप्त कर दी गई हैं उनके स्थान पर श्री सम्पतमल जो यथाविधि चयन किये गये उम्मीदवार हैं, को नियुक्त कर दिया गया है। श्री ताराचंद, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन्स पहले निर्धारित की गई थीं, उनमें भी नहीं आता, एड्हॉक के बेसिस पर जब कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था उस समय इसकी भी एड्हॉक बेसिस पर नियुक्ति की थी।

दूसरे हैं श्री कन्हैयालाल वर्मा जिनके लिए यहां बहुत कहा गया। इनकी ८-८-६३ से सेवाएं समाप्त कर दी गई, यह भी ऐसी योग्यतायें धारण नहीं करता था जो उस समय आवश्यक थीं, जब कि वह सेवा में लिया गया था। इसको सेवा में इसलिए लिया गया था कि कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था और कक्षाएं प्रारम्भ हो गई थीं। श्री कन्हैयालाल के स्थान पर एक यथाविधि चयन किया गया उम्मीदवार नियुक्त कर दिया गया है जिसका नाम श्री मोहनलाल सैनी है।

इसी तरह से शिवनारायण, निरंजन लाल–शेष दो टेक्निशियन्स जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, की सेवाएं भी चयन किए गए उम्मीदवारों के उपलब्ध हो जाते ही, समाप्त की जाने वाली हैं।

यह कहना ठीक है कि टेक्नीशियन्स के पदों के लिए योग्यताओं में संशोधन अतीत प्रभाव से किया गया है। संचालक, प्राविधिक शिक्षा, ने यह रिपोर्ट दी है कि उपरोक्त ६ व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति शिक्षा देने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग में एक संनियोजन समिति है, एब्जोर्प्शन कमेटी है, उसको उन कर्मचारियों के मामले भेजे जाते हैं जो परमानेन्ट कर दिए गये हों जो टेम्परेरी सर्विसेज हैं, वह एब्जोर्प्शन कमेटी की कॉग्निजेंस में नहीं आती।

इस तरह से जो यह प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है इसमें सहानुभूति का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि इनमें मिनिमम स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन्स नहीं हैं। और जैसा कि मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं पोलीटैक्निक में स्टुडेन्ट्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन्स मैट्रिक्युलेट रखी है, तो आपका यह कहना कि उनको कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता, इसमें मेरा यह कहना है कि कम से कम मैट्रिक्युलेट स्टुडेन्ट्स को जिस तरह से समझाया जा सके, इसके लिए कम से कम शिक्षा का मैट्रिक्युलेट होना तो परमावश्यक है। डाइरेक्टर ने इनकी क्वालिफिकेशन को बिल्कुल योग्य नहीं माना है।

पब्लिक सर्विस कमीशन से इनका चयन नहीं हो सकता, रिक्रूटमेंट कमेटी से इनका चयन नहीं हो सकता, इसलिए पोलीटैक्निक में इनका चयन करना संभव नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह बड़ा मौलिक प्रश्न है और इसमें हाई

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले है कि आप किसी को ६–६ साल तक उनको नौकर रख लें, जब तक गरज थी उसको नौकर रखते रहे तो फिर यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप उनको अब निकालें। उस वक्त ये नियम प्रेस्काइब्ड नहीं हो सकते थे, चयन समिति के सिद्धांत तब नहीं आ सकते थे? आप चयन समिति और दूसरी चीजें लगाकर इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो। आप कहते हैं कि वे स्थाई नहीं थे। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ६ साल तक नौकरी में रहा वह स्थाई से भी ज्यादा है। आप कानूनी ढंग से यह बात कहना चाहते हैं कि चाहे ६ साल, चाहे १० साल, तब तक कोई आदमी स्थाई नहीं होता, जब तक वह स्थाई नहीं बनाया गया है। आखिर हाई कोर्ट के और दूसरे कोर्ट्स के भी फैसले हैं। ये गरीब लोग हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए आप गरीबों पर ज्यादती करें, यह ठीक नहीं है। ६ साल तक जिन्होंने आपकी नौकरी की आज उनके कुटुम्बों को बरबाद करना, यह कहां तक शोभा देता है। आप उनके दृष्टिकोण से सोचें। आप तो नियमों और समिति की बात करते हैं। अभी फैसला हुआ है इस बात का कि जिन परिस्थितियों में वह सब्स्टेंटिव पोस्ट पर काम करता आया है उसके ऊपर आप कोई नई शर्त नहीं लगा सकते। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी तीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का जिक्र हुआ था। उसमें सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। इसलिए आपने जो सिलेक्ट कमेटियों की चर्चा चलाई, वह जायज नहीं है, एक दिन नाजायज़ हाई कोर्ट से होगा। इस केस में डाइरेक्टर साहब बदल गया, क्वालिफिकेशन्स बदल गई, आदमी बदल गए, आर० पी० एस० सी० से चयन नहीं हुआ; इसकी वजह से ६ साल बाद सरकार कहती है कि अपने घर जाओ। एक फैसला है कि जो ३ साल रह गया उसको अगर सरकार स्थाई न भी करे तो भी स्थाई हो गया, कहीं न कहीं एब्जोर्ब करना चाहिए, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुद सरकार ने उदयपुर के अन्दर जो लोग नॉन–मैट्रिक थे उन लोगों को सरकारी खर्चे पर मैट्रिक करने का मौका दिया। इन लोगों को भी सरकार अपनी तरफ से ऐसा मौका दे और वास्तव में शिक्षण करना आवश्यक हो तो मैट्रिक करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को पी० एस० सी० के सामने भी बुलाया नहीं गया जब ये सर्विस में थे। कमीशन ने जिनको बुलाया नॉन–मैट्रिक्स भी थे, लेकिन क्योंकि वही क्वालीफिकेशन्स थे, वे कन्फर्म हो गए। इनका क्या कुसूर है? इन्हें कभी नहीं बुलाया गया, सरकार बराबर एक्सटेन्शन देती गई तो वैसे भी जैसे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ऐसी रूलिंग्ज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की कि अगर कोई जोब परमानेन्ट नेचर की है और उस पर कोई सर्विस कर रहा है तो उसे रिट्रेन्च नहीं किया जा सकता, अगर यह जगह ही एबोलिश की जाय तो भले ही रिट्रेन्चमेंट हो। ऐसी हालत में उन लोगों को दूसरी जगह दी जा सकती है। तो कानूनी निगाह से भी इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता और उस वक्त जो क्वालीफिकेशन्स थीं, जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एडवर्टाइज किया गया वह था साधारण हिंदी और अनुभव। सब लोगों में ताराचन्द प्रथम आया और दूसरा कन्हैयालाल। उसके सर्विस बुक में भी उसके खिलाफ किसी किस्म का मामला नहीं है, बल्कि उसकी एफीशियेन्सी के बारे में कोई शिकायत नहीं है। इसलिए ये जो नियम सरकार के बनाए हुए हैं और जो पढ़ कर सुनाए गए कहीं नहीं है कि अस्थाई तौर पर लागू होंगे। क्योंकि सिर्फ ये लोग हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उनकी हैसियत नहीं है, उसका फायदा न उठाया जाय और सरकार सहानुभूति से सोचे। नियमों में राज्यपाल को अधिकार दिए हुए हैं। रूल ३ इस प्रकार है:—

"Where the Governor is satisfied that the operation of any of these rules cause undue hardship in any particular case, he may relax the rule to such extent and the condition as he may consider necessary for dealing with the cases in all just and equitable manner."

मेरी मान्यता है कि ये रूल्स इन पर लागू नहीं होते हैं और ये रूल्स रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते। अगर सरकार की ऐसी मान्यता होगी, फिर भी कम्पेशनेट ग्राउंड्स इस रूल के तहत रखे गए हैं। जिनके आधार पर इन लोगों को एब्जोर्ब किया जाय। अगर यहां नहीं किए जायं तो ऑल्टर्नेटिव जोब्स देकर आप एब्जोर्ब करें। अब तो उम्र के ख्याल से वह सरकारी नौकरी करनेके लायक नहीं रहे। तो इन लोगों की हार्डशिप का ध्यान रख कर इनको रिलीफ दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि केवल स्थाई आदमियों के लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन जो मान्य सदस्य ने पढ़ कर सुनाया, उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो बाद में आएंगे उन पर ही लागू होंगे। आप इस वक्त अगर कुछ नहीं कहना चाहें तो भी माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं रखी हैं उनके वैधानिक पहलुओं पर विचार करें।

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री) : जहां तक नियमों का प्रश्न है उनके इन्टर-प्रिटेशन के बारे में और उस सिलसिले में जो मेरी जानकारी है वह यह है कि जैसे आपने कहा कि पोस्ट जब तक एबोलिश न हो जाय, तब तक जो आदमी काम कर रहा है उसको रखना जरूरी है, चाहे टेम्पोरेरी हो, चाहे पर्मानेन्ट। इस व्यू से हम सहमत नहीं हैं। जो पर्मानेन्ट पोस्ट्स पर होते हैं वे तो जब एबोलिश करते हैं.......

श्री अध्यक्ष : पोस्ट्स एबोलिश करने का प्रश्न नहीं है। यह पोस्ट्स का एबोलिशन नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पोस्ट्स हैं और उसके पहले क्वालीफिकेशन्स थीं। वे दूसरी तरह की थीं और दो बार रिवीजन्स हुए हैं और टैक्नीकल कमेटी जो टैक्नीकल एजुकेशन के चार्ज में है, यह उनके दायरे की बात है और उनके सुझावों को सरकार ने माना है। इन पोस्ट्स पर दूसरे लोगों का चयन भी किया गया है। जो पहले के आदमी बहुत से पी० एस० सी० के सामने गए तब तक कमीशन के दायरे में ये थे और जो लोग कमीशन से सिलेक्ट हो गए वे तो आज भी हैं।

श्री अध्यक्ष : इन नियमों के अंदर क्या अनिवार्य है कि जो अस्थाई हैं उन पर भी लागू किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, अस्थाई पर लागू नहीं किए जायं। इसलिए जो अस्थाई आदमी होते हैं और जो एड–हॉक बेसिस पर हैं उन लोगों के लिए नियम नहीं हैं। एड-हॉक बेसिस पर अपोइंटमेंट्स हुए हैं, टेम्पोररी, वर्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर में कर लिया बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि उदयपुर के अंदर इस प्रकार से लोगों को बाद में सहूलियतें देकर मैट्रिक पास करवाया गया, मैं जांच-पड़ताल करने के बाद अगर कोई रास्ता निकल सकता है इनको कहीं ऑल्टर्नेटिव जोब्स देने का, अगर वे टैक्नीशियन्स हैं, तो हमारे पास वर्कशॉप्स हैं और दूसरे धंधे भी हैं......

श्री अध्यक्ष : सहानुभूति की आवश्यकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इरिगेशन में वर्कशॉप्स हैं, राजस्थान कैनाल पर काम है। अगर उनके टैक्नीकल क्वालीफिकेशन्स या अनुभव से उनको काम मिल सकता है और जहां मैट्रिक की रिजिडिटी नहीं है, तो वहां उनको ऑल्टर्नेटिव एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं।

(१२.५० म.प.)

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर बहस।

मांग संख्या ५ एवं ४७–अन्य कर व महसूल एवं राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर व महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,३५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था- राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,७२,८१, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या ४७

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर,) (१) मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था—

Page No 51

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों ने पुराने कुओं को नए कुओं के रूप में बता कर धन का दुरुपयोग किया, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ५

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : (२) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पैसेन्जर टैक्स वसूली की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (३) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यात्रा कर की वसूल की हुई राशि जिन लोगों ने सरकार में जमा नहीं कराई, इस तरह के गबन के सैकड़ों केसों में सरकार की चुप्पी से फैले हुये असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

(४) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यात्रियों पर कर के मद में चाही हुई राशि कम कर दी जाय, पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४७

(५)मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामों में आवास के लिए कर्ज काफी कम दिया जा रहा है व कर्ज देने की व्यवस्था पर काफी खर्च किया जाता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ५

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (६) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्युत् निरीक्षक के प्रधान कार्यालय की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए) ।

श्री चौसरसिंह बावेल (वैंगू) : (७) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर वसूली कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

(८) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३ अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जनता को कर की वसूली में विभाग द्वारा भारी कष्ट दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : (९) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर को वसूल करने में सरकार की कार्य-प्रणाली कमजोर रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (१०) मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्य कर और महसूल में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यात्री कर की वसूली के सम्बन्ध में दुर्लक्षपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।]

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने दो महत्वपूर्ण मांगों पर बहस हो रही है । एक है राज्य सरकार के अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में और दूसरी है राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में । दोनों का जोड़ा भी सुन्दर है । एक का सम्बन्ध लेने से है तो दूसरी का सम्बन्ध देने से है ।

जहां तक लेने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हर आदमी अपने स्वार्थ को देख कर, आंखों को खोल कर लेने का काम करता है । देने के लिए यह कहा जाता है कि "अन्धा बांटे सीरणी, फिर फिर अपने घर वालों को दे ।" वह कहावत अकेली यहीं एप्लाई होती हो, वैसी बात नहीं है । यह स्वाभाविक बात है; संसार में यह बात होती आयी है । जहां तक लेने का सवाल है वहां पर भी राज्य सरकार आंख खोल कर काम न करे और अनियमिततायें होती रहें तो उस विषय में क्या कहा जा सकता है और उनकी प्रशंसा कैसे की जा सकती है, यह भी एक प्रश्न है ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करूंगा । यात्री कर की वसूली, एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स, इलैक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर्स इत्यादि बहुत से विषय इन मांगों में अंकित किए हैं । लेकिन आप स्वयं विचार कीजिये, जब से आपने यह यात्री टैक्स लगाया है, उसके पश्चात् उसकी वसूली की क्या व्यवस्था की है ? ड्युअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी तबके में ले लीजिये; जहां दो शासन चलेंगे और इन्तजाम में दो व्यवस्था होंगी वहां पर सुचारु रूप से काम नहीं होगा । यह तो कहावत ही है कि यदि दो शक्तिशाली शक्तियां आवेंगी तो शक्ति के लिए टकराती रहेंगी । राहत देना चाहते हैं, बात कम करना चाहते हैं, यदि उस लक्ष्य से भटक कर दूर चले जायेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी । ये की ये चीजें आपके शासन की हैं ।

यात्री कर के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये । आपने यह स्वीकार किया है कि फलां फलां का टैक्स बढ़ाया है, लेकिन फलां का मामला आकर अड़ गया, इसलिए इन्क्वायरी नहीं की जा सकी । फलां के टैक्सेशन के बारे में फलां जगह रजिस्ट्रेशन हुआ था और इस कारण जो वसूली बकाया थी वह वसूली नहीं हो सकी । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बार आप टैक्स लगा देते हैं, हम स्वेच्छा से आपको यह स्वीकृति नहीं देते हैं कि आप करों का भार लाद दीजिये, लेकिन किसी प्रकार आप लाद देते हैं यह बोझा तो हमारे सिर पर, लेकिन जब आप वसूली नहीं कर सकते हैं तो फिर आप नये टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि ये टैक्स आपने लगा दिये उनको सही माने में वसूल कर सकें, उनमें लीकेज न हो, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार ऊपर से या नीचे से कहीं से आता है, सही माने में रुपया वसूल कर सकें तो अग्रिम टैक्स लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट में इन्स्पेक्टर्स की नियुक्ति की व्यवस्था है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद नया कानून बना, भारतीय सरकार का पुराना कानून था, उसके पश्चात् राजस्थान सरकार ने नया कानून बनाया और उसके पश्चात् इन्स्पेक्टर्स की नियुक्ति करने का प्रश्न आया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री)। माननीय सदस्य का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। क्या मैं यह मानलूं कि यह जनरल डिबेट हो रही है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह निवेदन करूंगा कि कटौती प्रस्ताव एक विशेष रूप से अवश्य दिया था, लेकिन वाद-विवाद की व्यवस्था ऐसी चल रही है कि कटौती प्रस्ताव न दिया जाय तब भी पार्टी की ओर से जो बोलना चाहे वह बोल सकता है।

श्री बालकृष्ण कौल : कटौती प्रस्ताव तो मूव होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : शुरू में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जितने भी कटौती प्रस्ताव आयेंगे ऐसा माना जायेगा कि वे सब प्रस्तुत कर दिये गये हैं। पहला तो यह निर्णय था। दूसरा उस संबंध में यह भी निर्णय था कि हर एक माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, यदि उनको बोलने दिया जाय तो वह सम्भव नहीं होगा कि उतना समय उन मांगों के लिए निर्धारित किए जा सके। इसलिए यह तय किया गया कि विभिन्न पार्टीज़ को समय निर्धारित कर दिया जाय। जो भी माननीय सदस्य उन पार्टीज़ के हैं, बोलना चाहें तो उस निर्धारित समय में विभिन्न मांगों पर सामान्य तौर पर बोल सकते हैं, चाहे उन्होंने कटौती प्रस्ताव न भी दिया हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रकार हमारी पार्टी के समय को ही मैं ले रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत न ऐसे रूल्स बनाये, पीछे ऐसे केसेज़ भी चले। सरकार को इस बिना पर पीछे हटना पड़ा और मात खानी पड़ी कि इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर्स का अपॉइन्टमेन्ट नहीं कर सकते। जब अपॉइन्टमेन्ट होता है तो उनकी ड्युटीज़ क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं और किस प्रकार व्यवस्था चलती है, इस पर भी विचार करने की कोशिश नहीं की। बिजली विभाग के बारे में जितना कहा जाय उतना ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़ा है। इस विभाग को कॉर्पोरेशन को देने के पश्चात् भी कोई उन्नति नहीं हुई है। सोचा था कि बिजली की व्यवस्था ठीक रहेगी, समय पर लोगों को बिजली मिलती रहेगी। नहीं, बिजली की व्यवस्था के बारे भ्रान्ति ही रही। न समय पर लोगों को बिजली के कनेक्शन मिलते हैं, न ही जितनी चाहें बिजली मिल सकती है। आंकड़ों के आधार पर आप कुछ भी कह लें, लेकिन वास्तव में स्थिति विपरीत ही है। आपको स्वतन्त्रता है, आपकी स्वच्छन्दता है कि आप कुछ भी कह लें कि हमने इतने किलोवाट उत्पादन कर लिया। दस गांवों में जहां तार खींचे हुए थे, पचास गांवों में तार खींच दिये। आपने ये सारी बातें कर दी होंगी और करते होंगे, लेकिन

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जहां पर शुरू से ही बिजली की अव्यवस्था थी वहां पर जाकर पूछिये कि पहले से कैसी व्यवस्था है ? आपको एक ही स्वर से यह बात जानने को मिलेगी कि कोई व्यवस्था नहीं है। जहां व्यवस्था थी वहां भी अव्यवस्था हो गयी है। न वक्त पर बिजली मिलती है और न ही पूरे तौर पर कभी दो चार मिनट के लिए बिजली बन्द हुई, कभी-कभी तो पूरे दिन ही गायब रहती है। आपके सिविल लाइन्स में बन्द नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता है। मुझे वहां पर रहने का मौका नहीं पड़ा है। मैं तो आपको शहर की बात कह रहा हूं। लोग-बाग मज़ाक करते हैं जब दो-दो चार-चार मिनिट के लिए बिजली बन्द होती है। हमको शर्म आती है। लोग कहते है कि बिजली मंत्री आंख–मिचौनी खेल रहे होगे। यह हम को सुनना पड़ता है, क्योंकि यही व्यवस्था चली आ रही है। जब आप खर्चा करते हैं, टैक्सेज़ लेते हैं तो उनका सदुपयोग तो करिये। यह तो रही बात लोन्स के सिलसिले में।

जहां तक देने का सवाल है मैं क्या कहूं हजार मुंह से यही सुनाई पड़ेगा। जो मोटी मोटी बातें हैं वह बताना चाहता हूं। ऋणों के सम्बन्ध में बहुत लम्बी–चौड़ी फहरिस्तें बना रखी हैं। उद्योगपतियों को लोन देने का हो, नमक बनाने का सवाल हो और उनको लोन देना हो, मकान बनाने वालों को लोन देना, क्रय विक्रय संघ को लोन देना, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देना, कोई जानवर पालने वाले हो तो उनको लोन देना। अर्ज यह है कि लम्बी-चौड़ी फहरिस्त बना रखी है। वितरण व्यवस्था क्या है ? छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। ऋण वितरण की व्यवस्था है, एप्लीकेशन्स आपके पास आ जाती हैं, ड्युली एप्रूव्ड एप्लीकेशन्स आपके पास आ जाती हैं। सही माने में एप्लीकेशन किसी तारीख को आती है तो उस तारीख में दर्ज होकर उसकी प्रायोरिटी हो जानी चाहिये। एक तारीख को दर्ख्वास्त दी, दर्ज हो गयी, उसको उसी प्रायोरिटी में कर्जा मिलेगा। हजारों दर्ख्वास्तें दफ्तर में पड़ी हुई हैं उनमें से पांच सौ, चार सौ को ऋण दे दिया। मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रायोरिटी में आवे उसी को ऋण देना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्रायोरिटी में डिस्पोज़ल न हो। इस परिणाम पर पहुंचना चाहिए कि फलां आदमी एन्टाइटल नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिये। तो आपको इसे टर्न डाउन कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन्स लेनी चाहिये। नामन्जूर करने के आपको अधिकार हैं। उसके बाद वह चाहे जो कार्यवाही करता रहे। यह न होकर आपके यहां पर क्या होता है कि जिसकी मर्जी होती है उसको दे दिया जाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार की शुरुआत आपके इन विभागों से ही होती है।

(१. म. प.)

मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मुझे किसी से व्यक्तिगत शिकायत भी नहीं है। वातावरण ही ऐसा बना हुआ है, लोग–बाग कहते हैं—"राम भजो, कृष्ण भजो,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

गोविन्द भजो" बहती है रिश्वत की गंगा नहा लो, इसको तो गंगा समझने लग गए हैं। ऋण देने वाला छोटा सा बाबू पूछता है कितना ऋण लेना है, पांच हजार है तो एक परसेन्ट हमारा तय कर दो, दो परसेन्ट तय कर दो, आधा परसेन्ट तय कर दो; इस तरह से सौदे होते हैं। उसके बाद ऋण मंजूर होता है। एक आदमी जो पांच हजार रुपया ऋण का लेता है उसको पांच सौ, सात सौ रुपया तो इस तरह से ही देना पड़ जाता है। जिस तरह से मुर्दे को श्मशान घाट पहुंचाने तक रास्ते में पिंडदान देना होता है इस तरह की आपने यह व्यवस्था कर रखी है। ये चीजें, हो सकता है आपको दिखायी न देती हों, लेकिन वास्तव में है यही हालत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि १९६०–६१, ६१-६२ में कितने लोगों ने लोन के लिए प्रार्थना पत्र दिए, आज तक उनमें से कितने लोगों के पेन्डिंग हैं जिनका डिस्पोजल नहीं किया गया है। आप यदि उनको देना नहीं चाहते तो उन प्रार्थना पत्रों को टर्न डाउन कर दीजिये। आज हो क्या रहा है कि एक इन्स्टालमेन्ट कर्जे का मिल जाता है, दूसरे इन्स्टालमेन्ट के लिए काफी परेशानी उठाने पर भी नहीं मिल पाता। एक इन्स्टालमेन्ट लेने के बाद उसके बाद ही दूसरा मिल जाना चाहिये लेकिन उसमें बहुत देर लग जाती है। एक व्यक्ति जो अपने मकान का काम शुरू करवा देता है उसको बाद में पैसे के अभाव में बैठा रहना पड़े तो उसका मेटि-रियल बेकार हो जाता है, परेशान वह अलग हो जाता है, उस हालत में वह अपने गहने वगैरह गिरवी रख कर पैसा लाता है। इस तरह से कर्जे का भार उस पर निरन्तर बढ़ता चला जाता है। ऋण वितरण की जो व्यवस्था की जा रही है, उस व्यवस्था का आप सही मायने में इन्तजाम नहीं करेंगे तो किसी को राहत नहीं दे सकेंगे। आज जो सरकार ऋण की व्यवस्था करती है, मकान उद्योग आदि के लिये, तो वह सही रूप से मिल सके इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। आज ऋण देने के अन्दर इस प्रकार का ग्रुप बना हुआ है कि जो उनका सहयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हींको ऋण दिया जाता है।

अब मैं पोलिटीकल सफरर्स के बारे में पेन्शन देने का जो प्रावधान है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको बीसियों नाम ऐसे गिना सकता हूं जो क्रान्तिकारी थे, हो सकता है वे कांग्रेस के न हों लेकिन ऐसे नौनिहाल जो स्वतन्त्रता संग्राम में अपने आपको समर्पित कर चुके थे। बहुतसी फेमलीज हैं, जो आपकी पार्टी के बुजुर्ग थे, जो इस देश के गौरव थे, देश के बुजुर्ग थे, जिनका विरोध नहीं करता, यह आपकी बहुत अच्छी भावना है कि उनको आप दे रहे हैं। ऐसे आदमी जो सीखचों में सड़ सड़ कर मरे हैं आज उनके रिश्तेदार नौक-रियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जिन्होंने आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया आज वे लोग पोलिटीकल सफरर कहलाते हैं, उनको आप पेन्शन दे रहे हैं, बरसात में जिस प्रकार कीड़े पैदा हो जाते हैं उस तरह के लोगों को आप पेन्शन दे रहे हैं, इस दृष्टिकोण को आप बदलेंगे। कभी आपने जांच करने की कोशिश की है, इतिहास लिखा जाता है उन व्यक्तियों का

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

उन महान् आत्माओं का गुणगान किया जाता है जिनमें स्वाभिमान रहा हो, आत्माभिमान रहा हो, जो मांगने की इच्छा नहीं करते, उनके लिये हमारा भी कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जितनी उनकी सहायता कर सकें करें।

मैं इस बारे में किसी की नुक्ताचीनी न करते हुये निवेदन करना चाहूंगा ......।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप एक्स्प्लेन करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पोलिटिकल सफरर्स में नहीं आते और उनको पेन्शन दी जा रही है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं इस दृष्टिकोण से निवेदन नहीं कर रहा हूं. आपका फर्ज है कि आप पता लगायें; वल्दियत, सकूनत आदि सब का पता लगा कर आप दीजिये। आप भी जानते हैं, आप भी पुराने पापी रह चुके हैं, आपके साथ में भी काफी लोग जेल में गये हैं उन सब को दिया गया है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : पापी से आपका क्या मतलब है ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मेरी हृदय की भावना को छोड़ दीजिये। आपके साथी जिन्होंने आपके साथ जेल की यातनायें सहीं क्या उन सब को पेन्शन मिल गई ? आप भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने पोलिटिकल क्षेत्र में कार्य किया है, आप चाहें किसी पार्टी के हों, मैं आपको मानता हूं।

मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आपके कितने साथियों को आपने पेन्शन दिलवा दी ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिस तरह से सीधा सवाल उन्होंने मुझसे किया मैं जानता हूं उनका कहना है कि ऐसे आदमियों को जो पोलीटिकल सफरर नहीं हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिये। मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता। राजस्थान के हर पोलीटिकल सफरर के बारे में मैं जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिये रूल्स बना रखे हैं उसी के बेसिस पर दी जाती है। फेक्ट्स का वेरीफिकेशन होता है उसके बाद कमेटी उसकी जांच करती है. उसी के आधार पर यह दी जाती है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता; आपने एडमिट किया है ...

श्री बालकृष्ण कौल : क्या एडमिट किया है ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : यह कि आपके ध्यान में होते हुए भी पेन्शन दी जा रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : आप तो वकील हैं। फेक्ट्स को तोड़–मरोड़ कर रखने की आपकी हैबिट है। आप एक होशियार वकील हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी तो होशियार फाइनेन्स मिनिस्टर हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार: मैंने तो, जैसा आपने कहा उसी का तर्जुमा करके बताया है ।

श्री बालकृष्ण कौल : आप गलत इन्टरप्रेट करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं । ये सब नियमों के आधार पर मन्जूर होते हैं, बोर्ड में उस पर डिस्कशन होता है । उसके बाद बोर्ड के डिस्क्रीशन पर है, वह किसको दे ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार: बोर्ड तो है । लेकिन बोर्ड के सामने कोन्क्रीट सजेशन्स हों । पॉलीसी को निर्धारित करना और उसके बाद भी किस आदमी को देना, किसको नहीं देना, यह तो डिस्क्रीशन पर है । इसमें भी मिस्टेक हो तो वह माफ हो सकती है । लेकिन जहां डेलीवरेटली होता है ।……

श्री बालकृष्ण कौल : आप कुछ गलतफहमी में हैं । शायद आप यह सोचते हैं कि इस सारी चीज के लिए इन्स्ट्रक्शन्स आइटम वाइज़ फाइनेन्स डिपार्टमेंट के हैं । फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इसमें नहीं आता, जी. ए. डी. आता है । इसका काम है सारी चीजों का नोटिफिकेशन करना और देखना । मैं फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से बोर्ड का मेम्बर हूं ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैंने कभी किसी मन्त्री विशेष पर आरोप लगाने की चेष्टा नहीं की । मैं अब भी इस बात की पुष्टि करता हूं कि केबिनेट के एक महत्वपूर्ण स्तम्भ आप भी हैं । विक्रमादित्य के सिंहासन की ३२ पुतलियों में से एक आप भी हैं । आप इधर-उधर भागना चाहते हैं तो न्याय के इस सिंहासन का सन्तुलन बिगड़ जावेगा, सही नहीं रहेगा । तो आप अपने उत्तरदायित्व को समझने की चेष्टा करें । तो इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं ।

आगे यह निवेदन करना चाहता था कि सहकारिता और गन्दी बस्तियों का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इनको सुधारने के दृष्टिकोण से क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि जयपुर जिले में आपने किसी को कोई ऋण दिया या कभी भी कोई ऐसी योजना बनाई कि जिसके आधार पर इस जयपुर जिले में भी, और मैं तो यह कहूंगा कि इस राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर को जिसको मानते हैं, उसमें किसी गन्दी बस्ती के बारे में आपने विचार करने की चेष्टा की हो और उसके लिए कोई ऋण देकर या योजना देकर इन गन्दी बस्तियों से इस नगर को उन्मुक्त करने की चेष्टा की हो ? आज तक मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि आपने इस दिशा में कुछ किया हो । यह सही बात है ।

आप कह सकते हैं कि जयपुर तो इतना सुन्दर बना हुआ है कि इसमें गन्दी बस्तियों का काम ही नहीं है । यह दूसरी बड़ी भारी बदकिस्मती होगी । ऐसा कहकर आप सत्य के ऊपर आवरण डालने की चेष्टा भर करते हैं । मेरे साथ केबीनेट के आप या और कोई सदस्य जिनको चाहो वे जब कभी भी देखना चाहें यहां की गन्दी बस्तियों और गलियों को, तो मेरे साथ आप चलिये, मैं आपको ऐसी सैकड़ों और बल्कि हजारों की तादाद में स्लम्स बता दूंगा । इन स्लम्स में

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

इन्सान जानवरों से ज्यादा बुरी हालत में रहते हैं । जहां जानवर भी रहना पसन्द नहीं करेंगे ऐसी भी बस्तियां और गलियां आज जयपुर नगर में विद्यमान हैं ।

इसी प्रकार जयपुर नगर में इन गन्दी बस्तियों को दूर करने की चेष्टा करना तो दूर रहा, मैं तो यह भी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे मौहल्ले और सड़कें आज भी हैं कि जिनकी, बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस साल में, एक सड़क सुधारने और बनाने के लिए एक पैसा भी राज्य सरकार ने खर्च करने की कोशिश नहीं की है । जो सड़कें राज्य के समय बन गईं वे बन गईं । उसके बाद एक पैसा आपने खर्च नहीं किया उन पर आज तक । इसका नतीजा यह हुआ कि उन सड़कों में इतने गहरे-गहरे खड्डे पड़ गये हैं कि रिक्शे में आप जावें और कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसका गर्भपात हो सकता है । दो चार केस ऐसे हो गए हैं वहां ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जो प्रेग्नेन्सी के डिफिकल्ट केस हैं तो डॉक्टर उन्हें जीप निकलवा कर इस्तैमाल कर सकता है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : जीप ही क्यों, हर छोटे मोटे अस्पताल या डिस्पेन्सरी को आपने एक एक हैलीकोप्टर दे दिया है कि डाक्टर उड़ा वहां से और छत पर उतर कर अटेन्ड करके चला गया । तो इन बातों में मुझे समय नहीं खोना है ।

ऐसी मिसालें दिखाना चाहता हूं कि जिन पर विचार करने के पश्चात् यह देखना चाहिए कि ऋण वितरण के मामले में सही माने में लोगों को राहत मिले । तो इम्पोर्टेन्ट सुझाव मैं देना चाहता हूं इसे आप क्रियान्वित करके देखिये । इस दुनिया में वैसे जो काम होता आया है, होता रहेगा । उसमें कमी-बेश करने की कोशिश की जा सकती है । इसका उपाय यह है कि गरीबों को आपका लोन नहीं मिलता ।

एक छोटी सी बात मैं राजस्थान के कुछ कर्मचारियों के बारे में भी बताना चाहता हूं । हाउसिंग लोन के सिलसिले में छोटे-छोटे कर्मचारी जिनका वेतन २००) या २५०) रुपया तक है, जो मध्यम श्रेणी के आदमी कहे जा सकते हैं, उनको जो आप हाउसिंग लोन देते हैं मकान बनाने के लिये दस-बारह हजार के करीब तो क्या होता है ? आप कर्जा देते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि उसके बाद में उसने उससे घर का मकान बना लिया तो ज्यों ही उसने अपना मकान बना लिया आपने उसका हाउस रेन्ट अलाउन्स, जो आप देते हैं, आप फौरन बन्द कर देते हैं । ऐसी आपकी व्यवस्था है । अब इससे दो प्रश्न पैदा होते हैं । यह मैं आपके ही उन कर्मचारियों के बारे में कह रहा हूं जो आपके प्रिय हैं और जिनके काम के पीछे आपकी सरकार सुचारु रूप से चल रही है । आप उनके प्रति इस मामले में सहानुभूति के दृष्टिकोण से विचार करिये और यह सोचना चाहिए कि जब आपने उसको कर्जा दिया तो यह तो बात है ही नहीं कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्स्टालमेंट में रुपया ले लेगी, आप उसकी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

एक निश्चित मिकदार में किश्तें करेंगे, पचास साठ या सत्तर रुपया वह उसके वेतन में से आप काट लेंगे । छोड़ेंगे आप नहीं उसको । सूद भी आप उनसे लेते हैं और वह भी काट लेते हैं उनसे और इसके अलावा जो हाउस रेन्ट अलाउन्स आप उसको दिया करते थे वह भी बेचारे गरीब का काट लिया । तो वह गरीब आदमी जो ढाई सौ-तीन सौ तक कमाने वाला मध्यम श्रेणी का आदमी है किस आधार पर, किस आशा पर कर्जा आप का लेगा और कर्जा लेकर मकान बनाने की कोशिश करेगा । वह कैसे यह सोच सकेगा कि आगे बुढ़ापे में एक मकान तो उसका घर का हो जाय । आराम से जीवन व्यतीत करूंगा, यह सोच कर वह लेना चाहता है । केन्द्रीय सरकार की ओर से उन कर्मचारियों को हाउसिंग लोन के लिए पैसा दिया जाता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट । मैं अपनी जानकारी के आधार पर निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनको भी हाउसिंग लोन आप देते हैं यानी केन्द्रीय सरकार देती है । पर उस लोन देने के साथ उनसे हाउसिंग रेन्ट अलाउन्स नहीं काटते । यह आप ही काटते हैं । तो उसको इस छोटी-सी तनख्वाह में यह जो हाउसिंग रेन्ट की २५)-३०) मासिक कटौती हो जाती है उसको यह बड़ी अखरती है । इसी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वे लोन लेकर मकान बनायें और अपना पच्चीस-तीस रुपया भी बन्द करवाएं, किश्तें भी दें, ब्याज भी दे । तो आपकी जो यह व्यवस्था है कि लोन देने के साथ ही उसका हाउस रेन्ट अलाउन्स बन्द कर देते हैं, यह उचित नहीं है । आपकी इसके पीछे यह भावना है कि जिसका स्वयं का मकान हो उसको हाउस रेन्ट अलाउन्स नहीं दिया जाय, तो पहले तो जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करती है, वैसा आपको करना चाहिए, दूसरे प्राइवेट पार्टियों को भी आप देते हैं, उनसे भी आप सिवाय किश्तों के और ब्याज के अधिक नहीं लेते, उनका हाउस रेन्ट अलाउन्स आप नहीं काटते, तो पहले तो काटना ही उचित नहीं है, पर अगर आप इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते तो एक काम कर सकते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि जब तक आप-कर्जे के पूरे इन्स्टालमेंट्स चुक न जावें तब तक आप उसका हाउस रेन्ट अलाउन्स बन्द न करें, क्योंकि कर्जे की इन्स्टालमेन्ट पूरी होने के बाद ही वह सही माने में मकान मालिक हो सकेगा । और इसके पश्चात् ही आप यह धारणा बना सकते हैं कि ठीक है, अब उसका निजी मकान है, अब इसको हाउस रेन्ट नहीं मिलना चाहिए । लेकिन उससे पूर्व ही आप उसका हाउस रेन्ट अला-उन्स बन्द कर देते हैं तो यह उनके साथ ज्यादती है । जयपुर नगर में बहुत से ऐसे आदमी हैं, केन्द्रीय कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं जो कर्जा आपसे लेते हैं, सरकार से लेते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं । तो इन तीनों के स्तर में कितना अन्तर हो जाता है ? एक केन्द्र के कर्मचारी हैं, दूसरे प्राइवेट लोग हैं और तीसरे आपके ये कर्मचारी हैं । तो इस दृष्टिकोण से भी आपको इस मामले पर विचार करना चाहिए ।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो प्लॉट अलॉटमेन्ट की आपकी व्यवस्था है वह निश्चित होनी चाहिये और उसमें प्रायोरिटी से आई हुई दर्ख्वास्तों पर विचार करना चाहिये। और साथ ही क्विक डिस्पोजल उनका होना चाहिए। चाहे दर्ख्वास्त मन्जूर करें या न करें। छः महीने और अधिक से अधिक एक साल में उनको हां-ना में जवाब मिल जाना चाहिए। यह आप नहीं करते हैं, देरी लगाते हैं और जो पहले आया वह पहले हकदार है, इस सिद्धान्त को आप छोड़ देते हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार भी पैदा होता है। अगर क्विक डिस्पोजल आपने कर दिया तो भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी की आपकी ६०-७० परसेन्ट शिकायतें समाप्ति योंही हो जावेंगी। आज मैंने दर्ख्वास्त दी, कल आपके किसी रिश्तेदार ने, भाई-भतीजे ने दे दी तो उसको पहले ले लिया, मुझे पीछे डाल दिया; तो इस स्थिति को आप कड़ाई से सुधार देंगे तो निश्चयात्मक रूप से अच्छा सुधार हो सकता है। इन बातों पर आप गौर करेंगे ऐसी आशा करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैं पैसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

यह जो पैसेन्जर टैक्स वसूली का तरीका है डिफेक्टिव है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए ताकि इसकी वसूली में और जमा कराने में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। पहली कठिनाई यह है कि यह पैसेन्जर टैक्स एक विभाग से वसूल किया जाता है और दूसरा डिपार्टमेंट इनके परमिट्स वगैरह को कन्ट्रोल करता है, फिटनेस सर्टीफिकेट वगैरह को दूसरा विभाग देखता है, जब कि ये दोनों विभाग एक ही काम से ताल्लुक रखते हैं। तो ये दोनों विभाग एक कर दिए जावें और ये सारे काम एक विभाग के द्वारा जब तक सम्पन्न नहीं होंगे तब तक ये खामियां दूर नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जब पैसेंजर्स टैक्स किसी आदमी के ऊपर बकाया है और दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी नहीं होती है कि उसका पैसेंजर्स टैक्स या दूसरा टैक्स जो कि बकाया है वह जमा कराया है या नहीं, उसका सर्टीफिकेट प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, जब तक उसकी जानकारी उस डिपार्टमेन्ट को नहीं होगी तब तक वह डिपार्टमेन्ट इस वसूली में इमदाद नहीं कर सकता।

मैं पैसेंजर्स टैक्स के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पैसेंजर्स टैक्स इन ऑपरेटर्स के द्वारा वसूल किया जाता है वह सरकार में पूरी तरह से जमा नहीं किया जाता। आज जितने भी पैसेंजर्स गाड़ी वाले लोग हैं जिनमें पैसेंजर्स टैक्स बकाया है और सरकार उस टैक्स के वसूल करने का प्रयत्न कर रही है फिर भी उसमें कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। मैं इस प्रकार के कई उदाहरण आपके समक्ष रख सकता हूं। हमारे पैसेंजर्स टैक्स की वसूली में जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं वे किस तरह से ढिलाई बरत रहे हैं और किस प्रकार से टैक्स की वसूली में गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, इसके उदाहरण मैं सदन के समक्ष और मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रख सकता हूं। जहां तक मुझको जानकारी मिली है बहुत से ऐसे गाड़ियों के मालिक हैं जिनके ऊपर इन अधिकारियों द्वारा ज्याद-तियां की जाती हैं और उनकी गाड़ियां तक कुर्क कर ली जाती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे गाड़ियों के मालिक हैं जिनकी गाड़ियां न तो कुर्क की जाती हैं और न उनके ऊपर किसी किस्म की सख्ती की जाती है। तो ये दो प्रकार के जो उदाहरण हैं वह ठीक नहीं हैं। या तो सरकार को चाहिए कि एक-सा व्यवहार सब के साथ करे और जिन लोगों में भी बकाया है उनके साथ ज्यादती करके और गाड़ियां कुर्क करके रकम टैक्स की वसूल करे या फिर सबके साथ जैसी आप रियायत दे देते हैं—उनकी किश्तें कर देते हैं या और प्रकार से ढिलाई बरतते हैं तो यह व्यवहार सभी के साथ फिर आपका रहना चाहिये। यह नहीं कि एक के साथ में तो आप ढिलाई बरतें और दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें कि उसकी गाड़ी तक कुर्क कर लें। यह दो प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। भीलवाड़ा जिले में अभी थोड़े दिन पहले जितने भी ऑपरेटर्स हैं, भीलवाड़ा से ब्यावर चलने वाली लाइन पर, उन सब में पैसेंजर्स टैक्स की बकाया निकलती है। लेकिन उनमें से एक गाड़ी को ब्यावर में कुर्क कर लिया गया और बाकी के १०-१५ जो ऑप-रेटर्स हैं और जिनमें पैसेंजर्स टैक्स की बकाया है उनकी तो किश्तें कर दी गईं। इस प्रकार की भावना से लोगों में असंतोष होता है और उनको मालूम होता है कि अमुक आदमी के साथ सख्ती करते हैं और दूसरों के साथ रियायत करते हैं। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी के खिलाफ एक-सा ही व्यवहार होना चाहिए।

दूसरे, मेरा निवेदन है कि पैसेंजर्स टैक्स में बहुत गड़बड़ियां होती हैं। वह टैक्स खुद खा जाते हैं। जनता से वसूल हो जाता है लेकिन सरकार में नहीं जाता है। अगर इस चीज को रोकना है तो सरकार की तरफ से जैसे कि रोडवेज वगैरह की गाड़ियां चलती हैं और जिस तरह से सरकार अपनी तरफ से टिकट वगैरह छपवाकर देती है तो सर-कार को भी दूसरी गाड़ियों के लिए, जो कि दूसरे ऑपरेटर्स की हैं, उनमें भी, सरकार अपनी तरफ से टिकट छपवाकर उनसे कीमत ले ले और उनको टिकट दे तो इस प्रकार की गड़बड़ियां बन्द हो जावेंगी। उससे जो टैक्स की चोरी होती है वह भी बन्द हो जायेगी।

इसी प्रकार से बहुत से लोडिंग ट्रक्स जो कि शहरों में आते हैं, वह तो लोगों की निगाहों में आ जाते हैं कि उनके टैक्स जमा कराये गये हैं या नहीं। जिनका चालान होता है उनसे तो वसूली हो जाती है, लेकिन बहुत से ट्रक्स जो छोटे-छोटे गांवों से चलते हैं उनके टैक्स जमा नहीं होते हैं और इस प्रकार की गाड़ियां बराबर चलती जा रही हैं, तो इसका भी प्रबन्ध करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने अपना विवरण प्रस्तुत किया और हाईकोर्ट में जो रिट पैसेंजर्स टैक्स के बारे में दी गई थी और उस दर्मियान में जितना टैक्स लोगों से वसूल किया, मोटरगाड़ियों वालों ने उस टैक्स का न तो कोई टिकट दिया है और हजारों रुपया लोगों ने टैक्स के नाम पर वसूल करके अपनी जेबों में भर लिया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उस दर्मियान में जितने लोगों ने टैक्स वसूल किया है वह टैक्स उनकी जेबों में न रह कर सरकार में जमा हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि वायरमैन के प्रमाण-पत्र के शुल्क के संबंध में जो कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा दिये जाते हैं और उन प्रमाण-पत्रों की शुल्क वसूल की जाती है। जो इम्तिहान लेकर वायरमैन बनाया जाता है उसमें कई तरह की धांधली चलती है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट में वायरमैन और सुपरवाइज़र के इम्तिहान होते हैं उसमें डिपार्टमेन्ट की तरफ से एग्ज़ामिनर्स होते हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से गड़बड़ियां की जाती हैं, उसका अगर आप इम्तिहानों का नतीजा देखें तो आपको साफ प्रतीत हो जायेगा कि जो ये इम्तिहान होते हैं उसमें किस प्रकार की गड़बड़ियां की जाती हैं। इसलिए इस आधार पर मेरा सुझाव है कि जहां आप शुल्क वसूल करते हैं और प्रमाण-पत्र देते हैं तो आपका कर्तव्य है कि यह इम्तिहान शुद्ध तरीके से हों और राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का बोर्ड स्थापित हो इण्डिपेन्डेन्ट व्यक्तियों का, जिन व्यक्तियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं हो। अगर ऐसे बोर्ड की आप स्थापना करें और इन्डिपेन्डेन्ट लोगों को उसमें लें, तो सही रूप से ये सर्टिफिकेट्स प्राप्त हो सकेंगे और बिना किसी गड़बड़ी के प्रमाण-पत्र मिल जायेंगे।

एक मेरा अर्ज कन्वर्ज़न टैक्स के संबंध में है। शहरों में जो काश्त की भूमि होती है पास-पड़ौस में और उस पर जो लोग अपने मकान वगैरह बना लेते हैं और उसको कन्-वर्ट कराने के संबंध में उनकी तरफ से कार्य-वाही की जाती है। तो मेरा निवेदन है कि जब कि शहरों के आस-पास जितनी जितनी होती हैं उसकी काफी वैल्यू होती है और उस वैल्यू को देखते हुए जितना आप टैक्स लगाते हैं वह पर्याप्त नहीं होता, जितनी कि उसकी वैल्यू होती है। इसलिए शहरों के नजदीक जितनी भी भूमि कन्वर्ट की जाये और उन पर टैक्स लगाया जाये तो उसका हिसाब उसके वैलुएशन के आधार पर लगना चाहिए, ताकि राज्य सरकार को उससे काफी आम-दनी हो सके..........

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, शहरी इलाके में खाली प्लॉट्स के संबंध में भी टैक्स के बारे में जो विवरण दिया गया है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार भी जब इस पर बहस चली थी, इसके संबंध में यहां पर एक बिल आया था, उस पर भी निवेदन किया गया था कि जो प्लॉट्स, जिन लोगों के पास प्लॉट्स नहीं हैं और एक आदमी ने कोई प्लॉट लिया, ऐसे लोगों से किसी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने अपनी जरूरत के लिए प्लॉट खरीदा है। मगर बहुत से लोग इस प्रकार का धंधा करते हैं कि जिनके पास एक प्लॉट है या उसके अलावा कुछ प्लॉट्स खरीद कर उससे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मुनाफा कमाना चाहता है या किराया कमाना चाहता है, ऐसे लोगों से यह टैक्स वसूल किया जावे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि जो आदमी अपनी जरूरत के लिए प्लॉट खरीद कर किसी कारणवश उसके पास पैसा नहीं होता या और किसी कारण से मकान नहीं बनाता और उसका प्लॉट खाली पड़ा रह जाता है, ऐसे लोगों से टैक्स वसूल किया जायेगा, तो यह उनके साथ ज्यादती होगी। यह टैक्स उन्हीं के ऊपर लागू होना चाहिए जो कि मुनाफाखोरी के लिए प्लॉट लेते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री, वित्त) : कौन से प्लॉट पर टैक्स ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि यह टैक्स उन्हीं लोगों से वसूल होना चाहिए जिनके पास एक या एक से अधिक मकान हों, प्लॉट जिनके पास घरू मकान हो और प्लॉट ाद लिया हो और वह खाली पड़ा हो, तं ा लोगों से यह टैक्स वसूल करना चाहिए, कि एक प्लॉट वाले से भी।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा प्लॉट ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो खाली प्लॉट्स के ऊपर आपने टैक्स लगाने की बात कही थी।

अब मैं थोड़ा ऋण के बारे में कहूंगा। आप कई तरह के लोन देते हैं, लो इनकम ग्रुप से देते हैं, किसी को मिडल इनकम ग्रुप से देते हो और किसी को दूसरे ग्रुप से देते हो, लेकिन इस प्रकार का प्रावधान आपने गांवों के लिए नहीं रखा। जब कि राजस्थान में ३।४ आबादी गांवों में रहती है और गांवों की हालत इस प्रकार की है कि गांवों के लोगों के पास ऐसी झोंपड़ी भी नहीं है, जिनमें सर्दी या वर्षा के अन्दर लोग अच्छी तरह से रह सकें। इस प्रकार की व्यवस्था अगर गांवों में की जाय, तो उन लोगों को सहूलियत मिलेगी। शहरों में तरह तरह के बड़े-बड़े मकान बहुत से लोगों के हैं। कोई २००-२५० रु० पाने वालों की पैरवी करते हैं, कोई हजार रुपया पाने वालों की पैरवी करता है, ये लोग साधन सम्पन्न होते हैं, जिनके लिए इस प्रकार की पैरवी की जाय। सरकार करोड़ों रुपया शहरों के लिए देती है और ऐसे लोगों को देती है जो कि अपनी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन गांवों में कुछ भी स्थिति नहीं है। उन लोगों को अपने मकान की जरूरत होती है, लेकिन उन लोगों के लिए आज तक प्रावधान नहीं किया गया है.........

श्री परसराम मदेरणा : रूरल हाउसिंग स्कीम है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गांवों में मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है............

श्री परसराम मदेरणा : दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह भी मैं जानता हूं कि किस प्रकार दिया जाता है। पंचायत सर्मि यों को आप लोन देते हैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए, तो इनकी तरफ यह कन्डीशन होगी कि एक जगह कोलोनी बनानी पड़ेगी और वहां पर मकान बनाने पड़ेंगे । कोलोनी को पैसा मंजूर करते हैं, यह नहीं है कि इन्डिविजुअल लोगों को अलग-अलग अपने-अपने मकान बनाने के लिये किसी प्रकार का प्रावधान हो । इस प्रकार का प्रावधान न आज तक मेरी पंचायत समिति में है और न इस प्रकार का प्रावधान दूसरी पंचायत समितियों में है कि जहां से लोगों को इस प्रकार से ऋण मिल सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि गांवों के लिए इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिए, जहां से इन्डिविजुअल तरीके से लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त हो सके और वे अपने मकान बना सकें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, जब से यह यात्री कर लगाया गया है, तब से यात्री-कर एक तरह की समस्या बना हुआ है । जहां तक अभी मैंने सुना है, भाषण में यह कहा गया कि यात्री-कर लोगों में बकाया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यात्री कर किसी में बकाया नहीं है, सब ने दे दिया है । गाड़ी में बैठते ही यात्री कर दे देता है यात्री । सरकार ने जिसको अधिकार दे रखा है, उसको यात्री कर दे देते हैं और वह बिचौलिया उसको खा जाता है । उससे वसूल करने का इलाज नहीं है इनके पास । इसके लिये यात्री कर देने वाला क्या करे ? यात्री कर नाम की कोई बकाया नहीं है । सारी जनता जो बसेज़ पर चलती है, वह सब यात्री कर दे देते हैं और उसको सरकार के नाम पर दे देते हैं । सरकार ने जिसको वसूल करने का अधिकार दिया है वह अधिकार से लेने वाला व्यक्ति बीच में ही खा जाता है, तो सरकार की बड़ी दयनीय दशा है कि वह उस रकम को वसूल नहीं कर सकती है । अगर हम लगान देते हैं किसी पटवारी को और अगर वह खा जाता है तो सरकार उससे वसूल करती है और उसको जेल भेज देती है क्यों कि वह गरीब ६०-७० रु० पाने वाला है, लेकिन जब कर का हजारों रुपया मोटर-मालिकों को देते हैं, उनसे वसूल करना तो अलग रहा, उनकी मोटर का चक्का जाम नहीं कर सकते हैं, उसकी गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं । हमारी जनता से जो पहले यात्री कर के नाम से वसूल कर लेते हैं, वह खजाने में जमा नही करावे तो उसको गाड़ी चलाने का हक नहीं देना चाहिए । यह भी करने की हिम्मत विभाग की नहीं है । गाड़ी चलाने की परमिशन देने वाला महकमा अलग है । यातायात विभाग अलग कर वसूल करता है । अगर यातायात विभाग की रकम रहती है तो वह गाड़ी का टोकन न देकर वसूल कर सकते हैं और यात्री कर का कोई पैसा बाकी हो तो मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं । घूमता-फिरता है आपका इन्सपेक्टर, मगर आप वसूल नहीं कर सकते हैं । आप में हिम्मत नहीं है । यदि इस डिपार्टमेन्ट की यह दयनीय अवस्था है तो इस डिपार्टमेन्ट को नहीं रखना चाहिए आपके पास में । यदि आप सरकार के नाम पर राजस्थान की जनता का दिया हुआ पैसा बिचौलियों से नहीं ले सकते, तो आपको कोई

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

हक नहीं है कि इस विभाग को आप अपने पास रखें, जब कि पूर्ण अधिकार नहीं वित्त मन्त्री महोदय को ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यात्री कर वसूल करने के लिए एक नियम बना हुआ है कि उसका रिटर्न दिया जाय, लेकिन बरसों तक रिटर्न नहीं देते हैं और रिटर्न लेने की हिम्मत आप में नहीं है । रिटर्न देने के बाद यदि किसी ने दे भी दिया तो एसेसमेंट नहीं करते हैं । एसेसमेंट करवाने की हिम्मत आप में नहीं है । हो सकता है कि डबल हिसाब रखता हो । तीन साल के बाद वह आपको कुछ भी बता देगा और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी । ५६ वर्ष से आज तक बहुत से लोगों का एसेसमेंट नहीं करवाया है । इसको वित्त मन्त्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पता नहीं कि क्या दयनीय अवस्था है उनकी कि न तो सख्ती से रुपया वसूल कर सकते हैं और न एसेसमेंट करवा सकते हैं किसी ताकत से । अगर आप में ताकत नहीं थी तो आपको राजस्थान की जनता को लुटवाने का कोई हक नहीं था, इस यात्री कर की तरफ से इस तरह से पैसा दिलवा दें मोटर मालिकों को और खुद ले नहीं पाते ।

यहां पर यात्रीकर लगाने का जहां तक प्रश्न है, टिकट काटना मोटर मालिकों की इच्छा पर निर्भर रहता है । जयपुर शहर में यह जो सिटी बस चलती है वह यात्री कर का पैसा लेती है । चाहे वह टिकट की पर्ची भी एक यात्री को दे दे और बाद में जो काउन्टर बचा हुआ है उसको वह फेंक देता है, कई बार सड़कों पर पड़ा देखा है, तो किस तरह से तो एसेसमेंट करवाते हैं और किस तरह से रिटर्न दिया जाता है, इसका हमको पता नहीं । हो सकता है कि किसी प्रेस से आप हिसाब ले लें कि इतने टिकट की किताबें छपी हैं और उसके हिसाब से यात्री कर का एसेसमेंट विभाग से करवा लें, तो यह अच्छा नहीं है । आपको टिकट लगाने चाहिए । आप यह कानून बना दीजिये कि जब तक भी बस मालिक आपसे टिकट की किताब नहीं ले जाये तब तक टिकिट अपने प्रेस में छपवाकर नहीं काटे । तब जाकर वह बच सकता है । आपका इरादा क्या है ? या तो आपको फुरसत नहीं है या लिहाज कर जाते हैं या इन्तजाम करने का तरीका नहीं जानते हैं । इन तीन चीजों में एक चीज़ जरूर है । आप इन्तजाम नहीं कर सकते हैं तो वह खराब और आपको फुरसत नहीं मिलती है तो वह ज्यादा खराब और आपका इरादा तीसरा हो तो वह बहुत ज्यादा खराब ।

उनकी गाड़ियां प्राइवेट चलती हैं और प्राइवेट बसेज़ से यात्री कर आपका पूरा नहीं मिलता है, यह सत्य है । आजकल हजारों की तादाद में गाड़ियां और ट्रक चलते हैं । सबके मिला कर यात्री कर के रूप में ६०-६५ लाख रुपया नहीं मिलता है और ३०० और चार सौ के बीच में राजस्थान रोडवेज़ की गाड़ियां चलती हैं, उसमें आपको करीब ३० लाख रुपये यात्री कर के रूप में मिलते हैं । अब जब कि राजस्थान रोडवेज़ से इतना पैसा भी आपको मिलता है, तब यह आपको मान लेना चाहिए कि रोडवेज़ से एक ईमानदारी की आमदनी तो यह है कि उससे प्राप्त यात्रीकर का पैसा लोग नहीं खा सकते हैं, तो फिर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आप सारी रूट्स का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं? जहां राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आता है, तो धीरे-धीरे उनकी योजना सरकती जाती है। पता नहीं कि किसके लिहाज से सरकती है? एक तरफ तो राष्ट्रीयकरण का नारा लगाते हैं कि कभी इस रूट को करेंगे और कभी उस रूट को करेंगे, लेकिन हमने नहीं देखा कि इन एक दो सालों में किसी का किया हो। राष्ट्रीयकरण करने के पीछे आप नई रूट्स जो हैं वह किसी को नहीं देते हैं। आप यह कहते हैं कि हम वे रूट्स उन गाड़ियों को देंगे जो कि राष्ट्रीयकरण के बाद गाड़ियां खाली होंगी। इसलिए रोक रखा है उन रास्तों को, इनको रोकने में क्या हो जाता है कि जो बसें अभी चल रही हैं उन रास्तों में वे ओवरलोडेड चलती हैं और आपको पूरा पैसा देते नहीं हैं और हजारों-लाखों रुपया बाकी होता है। या तो जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण किया जाय या उन रास्तों पर टेम्पोरेरी परमिट दें ताकि यात्रियों को तंग न होना पड़े।

यात्री कर वसूल करने का तरीका भी अजीब है, हास्यास्पद और दुःखपूर्ण है। गवर्नमेंट जहां पर सड़कें हैं वहां पर ३ नये पैसे उनसे लेती हैं, १०० मील चलने पर ६० पैसे हो जाता है। यदि पक्की सड़क पर करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है, उस पर यात्री बस से चलता है तो १०० मील चलने पर तीन रुपये किराये के होंगे और ६० नये पैसे उसे यात्रीकर का देना पड़ेगा। और यदि कहीं आप कच्ची सड़क पर चलें, जहां एक पैसा भी आपने नहीं लगाया है और कुछ काम नहीं किया है तो उस पर बस चलती है तो ७ रुपये किराये के और १४० नये पैसे टैक्स के देने पड़ेंगे। क्योंकि उस सड़क पर आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और उस सड़क से यात्रा करने पर उससे आपने ८० पैसे ज्यादा ले लिये। वहां पर १४ पाई ली जाती है और उस पर २० परसेन्ट देना पड़ता है। तो जहां पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो उस सड़क पर चलने वालों से किराया और यात्रीकर के रूप में जो वसूल किया जाता है, उससे जहां कुछ भी नहीं खर्च करते हैं और पहाड़ी रास्ते हैं और धूल में चलते हैं, उसमें फर्क डाला जाय कि कितना पैसा पर माइल लेते हैं चलने का तो वह अनुचित है। बस मालिक कहता है कि कच्चा रास्ता है उस पर चलने से क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन वहां पर श्रीमान् मन्त्रीजी की कौनसी गाड़ी खराब हो जाती है कि वे ज्यादा कर लगायें, क्योंकि सड़क आपने बनाई नहीं और उसे वहां चलना है। इसलिए यात्री कर के तरीके को आपको ठीक रखना चाहिये।

यात्री कर की बकाया की जल्दी वसूली हो, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यात्री कर की बकाया में कहां गड़बड़ी है। जैसा कि आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ व्यक्तियों से तो यह कह कर तुरन्त वसूल किया जाता है और कुछ के साथ बिल्कुल लिहाज कर देते हैं। कानून के मामले में अब यह लिहाज नहीं चलेगा। इस सरकार ने कानून के मामले में लिहाज किया तो इस राज्य को

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

चलाना मुश्किल होगा। सरकार कर के मामले में बिना लिहाज के और ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो दूसरे महीने में कर्मचारियों की तनख्वाह चुकानी मुश्किल हो जायेगी। तो इस लिहाज को आप बन्द कर दीजिए, चाहे कोई भी इन्फ्लुएन्स वाला व्यक्ति कहे कि इसे कर से बचा दो। तो आप उसे कह दीजिए, यह दरवाजा है, इस दरवाजे के बाहर जाओ, क्योंकि इस तरह राज्य चलने वाला नहीं है। आप जिस तरह करों में लिहाज करते हैं उससे राज्य नहीं चलने वाला है। आप लिहाज करना छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं, आपने लोगों के साथ लिहाज किया है और यात्री कर वसूल नहीं किया है। जिसके लिए किसी ने कह दिया कि इसको टाइम दे दीजिए, उसको आप टाइम दे देते हैं और वह लोग आठ-आठ साल, चार-चार साल तक टैक्स जमा नहीं कराते हैं। आप राजनीति को टैक्स के मामले में छोड़ दीजिए। यह कृपा करें।

मैं इसके बाद मांग संख्या ४७ (ख) के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने और भी कटमोशन दिए हैं। ग्राम-आवास योजना के लिए मंत्री महोदय ने इस बजट में जो रखा है वह यह है कि ५३ हजार रुपए इस साल में वसूल होंगे। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि १ लाख ३ हजार रुपए का आप कर्ज देंगे गांव के मकानों के लिए और १लाख ३ हजार देने में आप ६३ हजार रुपया व्यवस्था के ऊपर खर्च करेंगे। क्या परसेन्टेज पड़ा वित्त मन्त्री महोदय? इसी तरीके से आप राज्य चलायेंगे? आप १ लाख ३ हजार रुपया कर्ज देंगे गावों में मकानों के लिए और ५३ हजार रुपया इस साल वसूल होगा और ६३ हजार रुपया वसूली करने और कर्ज देने की व्यवस्था करने वाले डिपार्टमेन्ट पर खर्च होगा। आपके साहब को गाड़ी चाहिए, गाड़ी-मोटर का खर्चा और १६ सौ रुपया यात्रा का भत्ता चाहिए और १ लाख ३ हजार रुपया कुल इस योजना पर खर्च होगा। तो ग्राम आवास के मामले में जितना पैसा आप देंगे उसका आधा से ज्यादा तो व्यवस्था पर खर्च होगा। यह मैं बता दूं कि १ लाख ३ हजार कुल कर्ज देंगे और ५३ हजार रुपया आप वसूल करेंगे और ६३ हजार वसूली करने वाले डिपार्टमेंट पर खर्च करेंगे, इस तरह खर्च सारी व्यवस्था का होगा तो फिर क्या होगा वित्त मन्त्रीजी? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, यह मुख्य शीर्षक (ख), मांग संख्या ४७ है, इसके अन्तर्गत आपने हाउस बिल्डिंग के लिए जिनको कर्ज दिया है, उस पूरे कर्ज को आप वसूल नहीं कर पाते हैं, इसके ब्याज को भी आप वसूल नहीं कर पाते हैं। मेरे से पहले जो भाषण दिए हैं सदन के माननीय सदस्यों ने, उन्होंने कहा कि ये वित्तमन्त्री जिस वक्त राजस्थान के वित्त मंत्री बने उस वक्त दो सौ करोड़ का राजस्थान के ऊपर कर्ज था और इन पांच वर्षों के अन्दर ११० करोड़ का कर्जा उन्होंने और बढ़ा दिया और इस प्रकार वह कर्ज ३१६ करोड़ रुपये का हो जाएगा। मैं उनकी राय का नहीं हूं जो यह कहें कि राजस्थान कर्जदार हो जाएगा। इसमें तो साफ बात है कि हम सौ करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ा देते हैं और राजस्थान के ऊपर

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

३१६ करोड़ का कर्ज हो जाता है तो उसके बदले में चार सौ करोड़ का सामान भी तो हमारे पास है। वित्त मन्त्रीजी, जब यह असेम्बली बनी उस समय बतलाया गया था कि दो सौ करोड़ रुपये का कर्ज है और इतने का ही सामान है। लेकिन पांच वर्ष के बाद तीन सौ करोड़ रुपये का कर्ज हो, उस स्थिति में आप बकाया और ब्याज की वसूली कर लें तो चार सौ करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास सामान हो जाएगा। ऐसी हालत में वित्तीय स्थिति राज्य की बुरी नहीं है, राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी नहीं, तो इस तरह आदमी को बिल्कुल अल्हड़ बनने की भी जरूरत नहीं है।

श्री चौसरसिंह बावेल (वैंगू): अध्यक्ष महोदय, चार सौ करोड़ का मोटा मोटा सामान तो बतादें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बता दूं। आपके पास सरकार ने किताबें दी हैं। उनको पढ़ते नहीं। बैंडेज बांध कर आ जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): यह बैंडेज क्या है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह बंधी हुई है।

एक माननीय सदस्य : वे हिन्दी पढ़े हुए हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बैंडेज सिर पर बांध कर आ जाते हैं और कहते हैं हिसाब बताइए। इनमें हिसाब दिया हुआ है, आप उनको देखते नहीं हैं। आप कह दीजिए कि हम देखते नहीं हैं तो फिर क्यों इतनी किताबें छापें, कम छापेंगे। बिना मतलब के खर्च क्यों किया जाय?

श्री चौसरसिंह बावेल : चार सौ करोड़ का सामान कहां है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सारी चीजें हिसाब देखने की सरकार देती है आपको।

श्री चौसरसिंह बावेल : सदन को समझा दीजिए। दो-चार बातें तो कहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हां, बिल्कुल समझा देता हूं। आप कह दो यह समझा दो, वही समझा दूं। क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको समझा दिया कि सारी किताबों में सब दिया हुआ है। सड़कों से कितनी आय होती है, बांधों से क्या आय होती है। आप जानकारी नहीं रखते हैं और फिर पूछते हैं। आपको आंकड़े देखने नहीं आते तो मैं सिखा दूंगा।

श्री चौसरसिंह बावेल : जानकारी है। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सीखा हुआ हूं।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ाई क्यों करें?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये न किताबें पढ़ेंगे और न देखेंगे। जो सड़कें बनीं उन पर ३५ करोड़ रुपया खर्च किया है। जिससे यात्री

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कर की आय होती है। यातायात कर का पैसा मिलता है। इसमें कोई घाटे की बात नहीं है। अभी सड़कों का नम्बर कम है इसलिए आपको सड़कें ज्यादा बनानी चाहिए।

नाई हैं, राजस्थान कैनाल और भाखरा बनाया है, मैं कह सकता हूं कि इससे कोई घाटा नहीं हुआ है। भाखरा में जितना रुपया लगाया है, आपने जमीनें वहां सस्ती बेचीं, तब भी ज्यादा पैसा आ सकता था। लेकिन आपकी लापरवाही से ज्यादा पैसा नहीं आया। यह लापरवाही रेवेन्यू विभाग की हो, किसी की हो। लोगों को फिक्स्ड रेट पर जमीन देते। लेकिन लोगों को चाहे जैसे देने पर भी, जब कि सत्तर परसेन्ट जमीन यों देदी है, उसके बाद भी भाखरा की जमीन ने नुकसान नहीं दिया है, काफी रुपया हमें आने वाला है, १३, १८ करोड़ हमारा लगा हुआ है, वसूली उससे कम नहीं होगी। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से कितना लाभ हुआ है किसानों को, इसको देखिये, जिनकी आय उनकी जेब में ३७६ रुपये पर-कैपिटा के हिसाब से आई है। वह आय इसी वजह से हुई है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है। इसी तरह से सारी चीजों में सरकार का पैसा लगा है, उससे लोगों को नौकरियां मिली हैं, सौ करोड़ रुपया लोगों को कर्ज दिया है। इसके अलावा जो विद्युत मण्डल बना हुआ है उसमें पैसा लगाती है सरकार तो लोगों को बिजली प्राप्त होती है और उससे भी पैसा आता है, इसके साथ ही हजारों आदमियों को नौकरी मिलती है। कर्ज के मामले में हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति साफ है और अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति नहीं होते हुए भी, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत में जो कर्ज दिया जाता है उसमें इतना खर्च रख लें और उसको आप चैक नहीं करें तो इस प्रकार छोटे छोटे खर्चों से ही नुकसान पहुंचा जाएगा। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये। आपके पास अब टैक्स ज्यादा आने शुरू हुए हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स देने का मतलब यह नहीं है कि खर्च अनाप-शनाप बढ़ा दें। टैक्स ज्यादा आने के बाद आपको खर्च को ज्यादा चैक करना पड़ेगा, तब जाकर व्यवस्था बैठेगी। आपका जो पचास करोड़ रुपया लोगों में बकाया है इसको आप वसूल करें। मैंने पहले निवेदन किया था कि खर्च के मामले को आप बिल्कुल कंट्रोल करें और देहाती आदमियों के लिए मकान बनाने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था जिस तरह कर रखी है उस तरह दूसरी व्यवस्थायें न करें। आपने जो देहातों में मकान बनाने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था रखी है, मैं समझता हूं, वह एक मजाक बना रखा है। एक लाख रुपया सारे राजस्थान के गांवों में दिया जायगा मकान बनाने के लिए। और शहर में क्या देते हैं? अन्दाज लगा लीजिये? आप जो देते हैं देहातों में, वह तो देने का नाम है। आपने मकान बनाने के लिए क्या दिया है? पंचायत समिति में पांच साल में दो मकान बनवा दिये, बनवाने के लिए पैसा दे दिया, तो इससे देहातों में मकानों की समस्या हल नहीं होने वाली है। आप इस तरफ ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा पैसा गांवों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

में दें और शहर वाले लोगों से कम ब्याज पर उनको दें, क्योंकि वे बिल्कुल गरीब लोग हैं। उनको आप सब्सीडी भी दें जो पिछड़ी जाति के लोगों को देते हैं। आप देखिये कि गांवों के लोगों की किस तरह की स्थिति है, उनमें इन्कम टैक्स पे करने की क्षमता नहीं है, उनकी कम आय होती है। और जो शहरों में अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनसे ज्यादा अच्छी माली हालत उनकी नहीं है। इसलिए गांव के लोगों के लिए ज्यादा पैसा देकर, उनके लिए ज्यादा मकान बनवा दीजिये, ताकि जो आज के नौजवान हैं वे पचास साल की वृद्धावस्था जैसे अवस्था को प्राप्त न हो जाय। उनके लिए न इलाज की व्यवस्था है, न रहने के लिए अच्छे मकानों की व्यवस्था है; जो पुराने मकान हैं उनमें हवा इधर-उधर जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए पुराने मकानों को नये ढंग से, अच्छी तरह के स्वास्थ्यवर्धक मकान बनाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता पड़ेगी। सारे राजस्थान की जनता का १ लाख से काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको ज्यादा बढ़ावें।

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, डिमान्ड नम्बर ५ के अन्तर्गत जो अन्य कर और महसूल का हैडिंग है, उसके सम्बन्ध में मुख्यतः इलेक्ट्रिक एक्ट के तहत जो इन्कम होती है तथा इलेक्ट्रिक ड्यूटी टैक्स और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक बिजली का सम्बन्ध है हमने राजस्थान के अन्दर यह बिजली का काम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सौंप दिया है। परन्तु अगर देखा जावे तो यह बोर्ड अभी तक कुछ भी कदम ऐसा नहीं उठा सका है जिसके कारण राजस्थान की जनता को कोई सस्ती बिजली दी जा सके। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड का किस तरह से गठन हो, किस तरह का कन्सट्रक्शन हो और सरकार के साथ किस तरह से उसका सम्बन्ध हो और पब्लिक को किस तरह से सुविधा हो सकती है, इसके लिए सोचा जाना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली का जो खर्चा आता है, वह एक माह में कुछ और दूसरे में कुछ का कुछ आ जाता है। यह टैक्स जो आता है वह उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जावे और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी फेमिली पर कभी कभी ५०-५० और ६०-६० रुपयों का बिल आ जाता है और उसके साथ साथ उसी फेमिली में दूसरे महीने में देखा जावे तो पांच और ७ रुपयों का बिल आता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका यही कारण हो सकता है कि जो लोग काम करते हैं, वे किसी तरह से बदमाशियां और चोरियां करते हैं और लाइट को इधर-उधर करते हैं, इसलिये इसकी जांच करना प्रथम कर्तव्य हो जाता है।

इसके साथ साथ पेसेन्जर टैक्स का जिक्र करूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि लाखों रुपया लोगों में बकाया पड़ा है और सरकार को बराबर निवेदन किया जाता है कि इसकी वसूली करो, मगर अभी तक कोई कदम सरकार ने उसकी वसूली के

Page No 71

(श्री गंगासिंह)

लिये नहीं उठाये हैं और टैक्स का पैसा वैसे का वैसा ही उन लोगों में बकाया पड़ा हुआ है। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के पैसे भी कई जगह दो-दो, तीन-तीन वर्षों से लोगों में बकाया पड़े हुए हैं। उनको वसूल करना कोई आसान काम नहीं है और मैं समझता हूं कि उनको अब सरकार आसानी से उनसे वसूल नहीं कर सकती है। इस वसूली का भार सब आप पर है और मैं यह निवेदन करूंगा कि आप नये टैक्स लगाते हैं उनको न लगा कर, पहले इन टैक्सों की वसूली जल्दी से जल्दी करें, जो आवश्यक है।

जहां तक डिमान्ड ४७ का सम्बन्ध है वह लोन से है। इस लोन देने के अन्तर्गत बहुत बड़ा लोन आप म्युनिसिपेलिटीज़ को देते हैं। मैं कहूंगा कि जहां तक स्वायत्त शासन का सम्बन्ध है, उनको लोन देना आवश्यक है। मगर यह भी जरूरी है कि जो लोन उनको दिया जाय, वह उनसे वापिस वसूल किया जाए। उनसे वापिस वसूल किया जाना बहुत जरूरी है। मगर जहां तक देखा गया है कि सरकार उनको लोन देती रहती है और वह लोन वापिस नहीं वसूल हो रहा है और दिनोंदिन लोन बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, नौबत यहां तक आती है कि जब म्युनिसिपेलिटीज से लोन को वसूल करने का समय आता है तो म्युनिसिपेलिटीज़ की मयाद बढ़ाई जाने की कोशिश करते हैं और सरकार उन्हीं म्युनिसिपेलिटीज़ को और लोन दे देती है और उन पर बहुत बड़ा भार लोन का चढ़ाया जा रहा है और कोई सरकार उन म्युनिसिपेलिटीज के खिलाफ कदम नहीं उठाती है।

पंचायत समितियों को लोन देने का जहां तक प्रश्न है, हमें यह देखना है कि जब वे पंचायतें काम करती हैं, तो उनको काम चलाने के लिये भी जरूरी है कि सुचारू रूप से वे अपना काम करती रहें, उनको लोन दिया जावे। और जो लोन दिया जावे उस लोन की वसूली हो और उसका उपयोग ठीक तरह से किया जावे। मगर हम देखते हैं कि राजस्थान का बहुत बड़ा काम डेवलपमेन्ट का सरकार कराना चाहती है, मगर पंचायत समितियों की कुछ कार्यवाही ऐसी होती जा रही है कि वे अपना काम पूरा करने में असफल होती जा रही हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जब पंचायत समितियों को लोन दिया जाता है डेवलपमेन्ट के कार्य के लिए, तो यह देखा जावे कि उसका सदुपयोग होता है या नहीं। पंचायत समिति में पार्टीबाजी के आधार पर जिस ग्रुप के ज्यादा सदस्य आते हैं उनको लोन मिलता है और खास आदमी को मिलता है और जिस आदमी को लोन मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है और इस कारण से कोई ज्यादा कार्य वहां पर नहीं होता है। वहां पर प्रधान के कार्य हैं वे भी अजीब से नजर आते हैं। यहां तक कि पंचायत समिति के चुनाव के बाद एक दूसरा ही रवैया प्रधान का देखा गया है। वह यह कि चुनावों के बाद प्रधान लोग गांव गांव जाते हैं और वहां पर अपने आदमियों के द्वारा लोगों को पहले से कहला देते हैं कि जो उनको मालाएं पहिनाएंगे उनको लोन आदि की सुविधा दी जावेगी। वे गांव-गांव में जाकर मालाओं के रूप में कई हजार रुपये

(श्री गंगासिंह)

इकट्ठे करते हैं और साथ में उन लोगों को उनके आदमी यह आश्वासन देते हैं कि अगर आपने प्रधानजी को मालाएं पहनाईं तो लोन दिया जावेगा। इस प्रकार से एक प्रधान ने २५-२५ हजार और ३०-३० हजार रुपया गांवों से वसूल कर लिया है। आपने डिसेन्ट्रलाइज़ेशन में एक तरफ यह रखा है कि प्रधान एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है और वह प्रधान ऐसा हो जिसके कैरेक्टर पर कोई धब्बा न हो। इसलिए मेरा भी यह नम्र निवेदन है कि प्रधान को भी जिस तरह से मिनिस्टरों के कन्डक्ट आदि के लिये रूल्स में प्रावधान है और जिस तरह से मिनिस्टरों को कन्डक्ट के मामले में समझते हैं, उसके बारे में भी सूचना भेजना जरूरी है। अगर वह गांवों में माला वगैरह पहन कर ३० हजार या ४० हजार रुपया इकट्ठा कर लेता है और वह यह कह कर कि उनको लोन दिया जावेगा और सरकार से जो रुपया दिया जा रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा बंटवारा करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मेरा यह आपसे अनुरोध है कि आप पंचायत समितियों को लोन दें और उनको डेवलपमेंट के कार्यों में आगे बढ़ावें। मगर उसके साथ ही साथ पंचायत समितियों में लोन का डिस्ट्रिब्यूशन किस तरह से होता है, इसके लिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका जरूर ध्यान रखा जावे और आवश्यकता पड़े तो इसकी जांच भी की जाए।

इसके अलावा कुछ स्कूलों में पढ़ने वालों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वे लड़के जो अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप और लोन और कुछ दूसरी रियायतें दी जावें। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोन आपने स्कॉलर्स को देने के लिए दिया है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो अच्छे लड़के हैं, एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूशन से निकलते हैं और जो टैक्निकल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिये, जिससे वे अपने ही खर्चे से एडवांस लेकर पढ़ सकें और अपने गांव का भी भला कर सकें।

जहां तक पायलॉट प्रोजेक्ट के लिए लोन देने का प्रश्न है, देखा गया है कि राजस्थान सरकार ने करीब करीब सब जगह यह आदेश जारी किये हैं कि हर कलेक्टर पायलॉट प्रोजेक्ट तैयार करे। इसलिए वैसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि यह सारा का सारा पायलॉट प्रोजेक्ट किसी टेक्निकल आदमी के जरिए तय करके हमारे सामने आ सके, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए और लोन ज्यादा से ज्यादा देना इसके लिये आवश्यक हो जाता है।

इसके अलावा जहां तक एनिमल हस्बेन्ड्री और दूसरी तकावियों के लिये लोन का प्रश्न है, हमारे नागौर में पशुओं की मेले की आमदनी होती है और वहां पर तकावी के लिये बहुत कम रकम दी जाती है। आपके द्वारा अगर बजट को देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोन दिया, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कहां ज्यादा दिया जाना चाहिये। अगर एनिमल हस्बेन्ड्री में पशुओं की प्रोग्रेस करनी है तो जहां पशु अच्छे हों वहां पर ज्यादा लोन मिले, परन्तु देखा यह गया है कि एनीमल हस्बेन्ड्री

(श्री गंगासिंह)

(२.०० म० प०)

का जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं होता है, उसमें उतने ही लोन मिल जाते हैं, जितने कि एनिमल हस्बेन्ड्री जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हैं, वहां देते हैं। इस प्रकार की नीति से जिस प्रकार का लाम इन लोन्स से मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस जिले में जिस जिस मद का ज्यादा काम हो उस मद में उन्हीं जिलों में ज्यादा लोन दिया जाना चाहिये।

अब मैं थोड़ा ट्यूब वैल्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा ट्यूब वैल्स के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह देखा गया है कि हमारी राज्य सरकार इस कार्य के लिये लोन्स के रूप में ज्यादा पैसा नहीं दे सकी है। ट्यूब वैल्स का काम सरकार करती है, पंचायत समितियों के अन्तर्गत जहां पानी का काम है वहां यदि सरकार सही माने में काफी धन–राशि दे तो पंचायत समितिगां भी इस काम को कर सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इन्डस्ट्रियल लोन्स के सम्बन्धमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज़ के लिये लोन्स, बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको मिल जाते हैं, पर जो छोटे-छोटे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इन्डस्ट्रीज़ का कार्य करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या छोटी इन्डस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, उन लोगों को बार बार मांगने पर भी लोन नहीं मिल रहे हैं। इन्डस्ट्रीज़ को पनपाने के लिये सरकार को इस और ध्यान देना चाहिये।

स्वर्णकारों के सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि इन लोगों को लोन्स दिये जा कर रिहेबिलिटेट करना चाहिये था, वह सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को लोन दिये जा कर रिहेबिलिटेट करना चाहिये।

भारत सेवक समाज को बड़ी भारी रकम दी जाती है। मेरा यह निवेदन है कि जो संस्था सुचारु रूप से काम नहीं कर सकी है, उसको लोन देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लोन्स देने की पॉलिसी के सम्बन्ध में सरकार को फिर से सोचना पड़ेगा, वर्ना जो लोन दिये जाते है उनसे कोई कार्य होने वाला नहीं हैं। राजस्थान में अब तक जितने लोन्स दिये गये हैं वे, देखा जाय, तो, फालतू ही दिये गये हैं, जि जिन कार्यों के लिये लोन दिये गये हैं उन कार्यों में उस धन का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे ट्रैक्टरों के लिये लोन दिये जाते हैं, ऐसे लोगों को दिये जाते हैं जो ट्रैक्टर चलाना नहीं जानते और इसका नतीजा यह होता है कि एक दो साल में ही वह ट्रैक्टर बेच देता है। इसलिये टैक्सेज से एकत्रित किये गये पैसे को लोन के रूप में देते समय सरकार विचार करे कि किन किन को, किस किस काम के लिये लोन देना आवश्यक है और यह भी देखना चाहिये कि वह पैसा उसी काम में लिया जाता है या नहीं।

लोन्स की वसूली के सम्बन्ध में यदि देखा जाय तो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष से लोगों में लोन्स का पैसा बकाया पड़ा है, पर राज्य सरकार उनकी वसूली की कोई कार्य–

(श्री गंगासिंह)

चाही नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी लोन्स देने की पॉलिसी के सम्बन्ध में वापिस सोचे और नये रूल्स बनाये और इस तरह से लोन्स दे, जिनसे कि सही माने में राजस्थान की प्रगति हो। पंचायत समितियों के द्वारा मिस्एप्रोप्रियेशन होते हैं, उसका सरकार को ध्यान रखना चाहिये, नहीं तो पंचायत समितियों और सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

(२.०५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इतना ही कह कर माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा सदन से कि मेरी मांग स्वीकार करें।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज कर विभाग के सम्बन्ध में बहस चल रही है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब अजमेर में फाइनेन्स मिनिस्टर थे उस समय आप अजमेर में जो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी है, उसको लेना चाहते थे, उसका नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, उस वक्त आपने यह बात सोची थी। फर्स्ट प्लान में आपने उसके लिये रुपया रखा, आप चार्ज लेने भी पहुँच गये थे, आप उस से व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हैं कि यह कम्पनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों को तोड़ कर,-दूसरी बातों को तोड़ कर, जनता से गैर–कानूनी ढंग से, गैर वाजिब तरीकों से पैसा लेती है। उसके खिलाफ जनता का एजीटेशन हुआ। नाम मात्र की बात को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया और स्टे ले आया। उसके बाद राजस्थान बन गया, राजस्थान बनने के बाद कौनसी ऐसी बात खड़ी हो गई; क्या कानूनी दिक्कत आ गई, लॉ डिपार्टमेन्ट नहीं माना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, फिर कौनसी दिक्कत आई कि अजमेर की जनता को उसी के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया ?

इसके बाद जब फिर नेशनाइजेशन की बात आई इस राजस्थान के अन्दर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना और उसमें सब आए तो कौनसा कारण है जिसकी वजह से लॉ डिपार्टमेंट की राय होते हुए भी, वहां की जनता जो तंग आ चुकी है उस कम्पनी की एक्सप्लॉइटेशन से, उसके बावजूद भी उसको दस साल के लिये फिर लीज दे दिया ? इसको नहीं लेने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूं बहुत गलत है। ठीक है, अजमेर है और आप फाइनेन्स मिनिस्टर हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह यात्री कर के लिये मोटर मालिक आपका एक एजेंट है, उसी तरह से आपने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एक दलाल बनाया है उस कम्पनी को कि वह जनता से वसूल करके आपको दे। मैं आपको आगाह करता हूं कि कहीं आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ें कि मोटर मालिकों की तरह यह कम्पनी भी कोई कानून में लैकुना देख कर आपके पैसे हड़प कर जाए।

जहां तक विद्युत निरीक्षक के कार्यालय का सम्बन्ध है, वह बिल्कुल निकम्मा कार्यालय है। जो हो जाये सो हो जाये, कोई पूछने वाला नहीं है। पॉवर के लिये लोग तरस रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मन्त्री): मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी जो आपने कहा कि वह हमारा एजेंट हैं, वह क्या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिये कहा?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: जी हां। इसके नेशनलाइजेशन का आपने नोटीफिकेशन भी निकाल दिया था, पर उसने आपको अगूंठा दिखा दिया। लाखों रुपये हमारे वे इकट्ठे करते हैं, वे हमको मिलने चाहिये।

इसके बाद में मैं यात्री कर की कहानी सुनाऊं। यह कहानी बहुत ही लम्बी होती चली जा रही है। हर साल इसकी शिकायत होती है कि उन लोगों ने यात्रियों से तो कर के पैसे वसूल कर लिये, पर आप उनसे टैक्स वसूल करने में नाकामयाब रहे और आपके लाखों रुपये उनके पास पड़े हैं। आज तक कई दफे आपने प्रश्नकाल में सदन को विश्वास दिलाया कि आप टैक्स वसूल कर लेंगे, पर आप नाकामयाब रहे। अगर आप लॉ डिपार्टमेंट से ओपीनियन लेंगे तो वह खुली लूट है कि जनता से तो वे टैक्स वसूल कर लें और उसके बाद सरकार में जमा नहीं कराएं। यह खुली लूट आज राजस्थान में हो रही है और हम मजबूर देख रहे हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं।

वह आदमी जो कर वसूल करता है, वह जनता से करता है, आप मांगने जाते हैं तो कहता है कि आप लेने वाले कौन हैं? तो फिर वे लेने वाले कौन हैं?

आपने पिछली बार कहा कि कानून और हाई कोर्ट के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस कर के दुरुपयोग से जनता को लुटवाने की साजिश चल रही है, जितनी बार आप ऑर्डिनेन्स या दूसरी चीजें यहां लाए, उसको हमने पास किया, उसके बावजूद अभी तक वित्त विभाग नाकामयाब रहा है। टैक्स वसूली में आप लोगों को इस प्रकार की छूट दे दें, यह ठीक नहीं है। मैंने लॉ डिपार्टमेंट से पूछा। वह कहते हैं, कोई इशारा करे, क्योंकि जो टैक्स जनता से लेते हैं और सरकार के पास जमा नहीं कराता उसको डकैती में लेना चाहिए, ४२० में लेना चाहिए और आप कहते हैं कि सरकार को एक्शन लेने का हक नहीं है। ऐसी हालत में लॉ डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, आपका विभाग और इधर मालिक लोग इन चारों का एक बड़ा षड्यन्त्र चल रहा है, जिससे सरकार के एक्सचैकर को नुकसान हो रहा है। आपको इस सदन को विश्वास दिलाना चाहिए कि आप एक पैसा भी किसी को नहीं छोड़ेंगे।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आज सारे अधिकार अपने पास लेते चले जाते है, जिन पर दस हजार या पच्चीस हजार के उपर बकाया टैक्स है. उनसे कोई ज्यादती नहीं। उनसे ज्यादती हो तो कुछ समझ में भी आए कि वाकई टैक्स वसूल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बजाय छोटे–छोटे लोगों पर ज्यादती हो रही है। किसी के खिलाफ ६ या ८ हजार का कर निकलता है, तो नोटिस दिया जाता है, उसकी मोटर भी उतनी कीमत की नहीं है। जब वह अपील में जाता है, तो उससे कहा जाता है कि पहले टैक्स जमा कराओ–वह भी एक मुश्त में, तब उसके रिवीज़न का एन्टरटेन्मेंट होता है। फिर वे दूसरी जगह जाते हैं कि ८ हजार नहीं, दो हजार की जमानत पर ही सुनवाई हो। उधर कुर्कियां होने लगती हैं। बड़े-बड़े लोगों की तरफ तो आपकी निगाहें ही नहीं जातीं। यदि आप उनके नाम बतालाएं तो पता चलेगा कि जनता से टैक्स लेकर उससे अपने व्यापार चलाते हैं। तभी तो मैं कह रहा था कि पूरा पूरा षडयंत्र है। कानून के जरिए इस सदन का उपयोग लिया जा रहा है और कानून लगवा कर भी रुपयों की वसूल नहीं की जा रही है और जनता का रुपया अपने पास रखा जाता है। ४ बार कानून में संशोधन करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है।

दूसरे लोन्स और एडवान्सेज़ की बात है। एक और मिसाल बताऊं। यहां पर सिटी बस सर्विस चलती है, "दि एतले अंधेरा"। यहां पर जब विरोधियों के तरफ से सवाल उठाया गया कि रात-दिन यात्रियों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं और जांच करने के बाद प्रश्नकाल में मंत्री ने हां भरी कि हां ऐसा है और कहा कि जयपुर की बसेज़ को नेशनलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आज यह हालत है कि ५ पैसे का जहां ऑर्डर दे दिया गया आर० टी० ओ० की तरफ से वहां दिन दहाड़े ८ पैसे लिए जा रहे हैं। कभी घिस्सा दिया जाता है कि पहली तारीख से कर देंगे, फिर कहते हैं कि १५ पैसे कर देंगे। पहली तारीख आ जाती है, कुछ नहीं होता है और आज तक, मैं दावे के साथ कहता हूं कि, यहां पर पांच पैसे की बजाय ८ पैसे वसूल किए जा रहे हैं, यह लुटाई किसकी हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : क्या ट्रांस्पोर्ट की डिमांड है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके अंदर कर की बात घुसी हुई है। मैं पूछता हूं कि यह जो पांच पैसे के बजाय ८ पैसे कम्पनी द्वारा लिए जा रहे हैं तो आप कर पांच पैसे पर वसूल करेंगे या ८ पैसे पर ? यह सब जयपुर में हो रहा है। इस कंपनी को सदन का मालिक मत बनाइए, इस सदन की ग्रेस को मत गिराइए, तीन तीन बार सवाल उठाए गए और आप पर चींटी तक न रेंगे। उसके ८ चालान हुए हैं। उसके पास इन्शोरन्स नहीं है, कोई आर० टी० ओ० के यहां टैक्स दिया हो, वह नहीं है, उसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन सब चीजों के ८ चालान हुए हैं। यह क्या है ? यह कोई कानून के लिए इज्जत है ? यदि लोकशाही को चलाना है तो कानून के लिए इज्जत पैदा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करो। आज तो जिसके पास पैसा है या आप लोगों का कोई रिश्तेदार हो तो उसको कानून की जरूरत नहीं है। जरूरत है ग़रीबों को, उसको आप डंडे के जोर से मनाएंगे। लेकिन इसके लिए ४-४ बार सवाल उठाए जायं। मै जानना चाहूंगा कि आप पांच पैसे पर उससे टैक्स लेंगे या ८ पैसे पर? और वह कम्पनी ८ पैसे लेती है या नहीं? आर० टी० ओ० से पूछा जाय कि ६-७ चालान करने के बाद क्या कमी निकली है, सब टैक्सेज़ दिए थे? आपने उसको लाइसेंस दिया, छाती से लगाया है, उस पर कोई कानून नहीं लगता। उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): कौन सी कंपनी?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: कमल एण्ड कम्पनी। इस जयपुर की जनता को लूट से बचाओ।

अजमेर की बिजली सप्लाई कंपनी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपने जिस समय उसका नैशनलाइज़ेशन किया, उसका क्या हुआ? इस सदन की मेज पर सारी चीजें रखें। आप की कुर्सी नहीं बदलती, आप बदलते रहते हैं। तो वे कौन से लोग हैं, जिन्होंने इस योजना को बदला है? यह अजमेर की जनता जानना चाहती है। लोन्स और एडवान्सेज़ के लिए मैंने जैसा कहा, रूल्स और कानून के जरिए कोई चीज चलती है तो वह सरकार कामयाब होती है, लेकिन इसके अन्दर आज जिस तरह का रवैया चल रहा है वह अच्छा नहीं है।

मैं एक बात बतलाता हूं कि यह जो हमारी योजनाओं के लिए नियोजन के लिए पैसा मिलता है, वह इसलिए कि सारी दुनिया के लोग यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान किसी प्रकार से गरीबी से निकल जाय और अगर हिन्दुस्तान अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे तो वह उठेगा और उठना चाहिए। यहां पर एडवान्स कैसे किये जाते हैं, और उनकी वसूली किस प्रकार की जाती है, यदि यह उन लोगों को मालूम हो जो कि हम को विकास के लिए सहायता देते हैं, ऋण देते हैं, तो फिर आपकी वे मदद करने वाले नहीं हैं। मैंने सवाल उठाया तो मालूम हुआ कि २६ करोड़ रुपया हमने कर्ज का चुका दिया। कैसे चुकाया? विकास योजनाओं को काट कर चुका दिया। सरकार पर लोन था, जितना योजनाओं पर ऋण लिया उसको चुकाना था, तो उसके लिए आपने टैक्सेज़ लिए और ज्यादा टैक्सेज़ लिए और एफिशियेन्सी आपने अपनी लगा ली कि हमने वसूल कर लिया। टैक्सेज़ लगा दिये और कर्जदार को चुका दिया। किसी तरह चुका तो दिया। चलो अच्छा हुआ। आपकी जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी दुनिया के अन्दर हुन्डी अच्छी नहीं रखेंगे, साख अच्छी नहीं रखेंगे तो बाहर से रुपया, हमारी प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए हमें मिलने वाला नहीं है। पैसा बांट देते हो, लेकिन वसूल नहीं करते हो। रूल्स हैं कुछ नहीं। चाहे पंचायत को ले लीजिये, तकावियों को ले लीजिये। जिनको पैसा दिया वसूल नहीं होता है। जिससे विकास की गाड़ी रुकती है। उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : तकाबी का जहां तक प्रश्न है । जिनको तकाबी दी जाती है उस किसान में बाकी नहीं है । एक-एक पैसा एक-एक किसान से वसूल कर लिया है । यह तो दूसरों में ही बकाया है । किसान में नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बार-बार प्रश्न आता है । आप एलर्जिक मत होइये इस बात से । यह पैसा लेकर बांटा है उनसे वसूल नहीं करते हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस जगह थोड़ा विक्षेप करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जो परम्परा है, "ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर", "ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन", इत्यादि, कह कर ही खड़े होना चाहिये । उसको बिल्कुल समाप्त न किया जाय और पर्सनल बात में, अथवा इस तरह की चीजों में न उतरा जाय । इससे व्यवस्था भी बनी रह सकती है । यह मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं कि बार-बार प्रश्न पूछे जायेंगे अथवा इस नियम को भंग करके पूछे जायेंगे तो वे रेकॉर्ड नहीं किये जायं । चाहे माननीय मंत्री हो या माननीय सदस्य हो उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : केजुअल रिमार्क्स जो आते हैं वे रेकॉर्ड में नहीं आयेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : केजुअल रिमार्क्स तो होंगे लेकिन बाकायदा प्रश्न पूछा जाय तो वह तो सदन को स्पष्ट ही मालूम हो सकता है, नहीं तो किसी प्रश्न को इस प्रकार कोई स्पष्ट समझ नहीं सकता और तब जवाब देने की आवश्यकता नहीं हो सकने जैसी ही स्थिति बनती है ।

श्री भैरोंसिंह : एक बात की गारन्टी उपाध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि बीच में सवाल नहीं कर सकते उसकी पाबन्दी क्यों नहीं लगा दें ?

श्री उपाध्यक्ष : बीच के सवाल की बात नहीं करता हूं । जो भी प्रश्न उठाना हो वह "पोइन्ट ऑफ ऑर्डर" "पोइन्ट ऑफ इफोर्मेशन" इत्यादि कह कर, ये शब्द वाक्य के पहले कह कर फिर उठाया जाना चाहिये । नहीं तो होता क्या है कि आपस में बात चलती रहती है और बिना एक दूसरे को एड्रेस किये, बीच में जो बात कह दी जाय, जो प्रश्न के रूप में न हो वह रिकॉर्ड नहीं हो सकती । जो भी बात उठ कर कहें और प्रश्न के रूप में हो तो वह रेकॉर्ड ठीक तरह हो सकती है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने तो जानकारी के लिए कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी कराने का भी तरीका है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कोई माननीय सदस्य गलत कह रहा हो, तो बीच में क्या उसको टोक नहीं सकते ? कोई बात माननीय सदस्य सदन में कहें और उससे हाउस में भ्रम हो रहा हो तो क्या पॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन से पूछ नहीं सकते ?

Page No 79

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने स्पष्ट कर दिया कि "ओन ए पोइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन," "ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन," कह कर पूछा जा सकता है। बैठे हुए नहीं। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि झट उठ कर आवेश में बिना कुछ एड्रेस किये ही बात कर दी। यह परम्परा इस सदन की नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो माननीय सदस्य को जानकारी दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर माननीय सदस्य को जानकारी दें तो उसके लिए भी तो इस सदन की परम्परा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य कहते ही चले जायं कि किसानों में तकाबी बाकी है, इसलिए मैंने कहा और उनको जानकारी दी।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतना कह कर कि ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन आदि कह कर कहा जाय, "मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह गलत है," इत्यादि।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने यह कहा कि लम्बे २ लेक्चरबाजी बीच में नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये। आपका समय इस बीच में चला गया उसके लिए तीन चार मिनट और अधिक बोल सकेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : धन्यवाद। वह जोश तो खत्म हो गया।

मैंने यह कहा था कि हमारी साख और प्रतिष्ठा इस बात पर है कि हमारी गरीबी को दूर करने के लिए पहिये पर घूमना चाहिये. तब ही समय पर आप उन रकमों की वसूली करके दुबारा उसको जनता के विकास में लगा सकते हैं। यदि आपका यह पहिया नहीं चलता है तो उससे जनता का नुकसान होता है। विकास के काम में रुकावट आती है। इसको धर्म का काम समझ कर, जो रूल्स और रेगुलेशन्स बने हुए हैं उनका कड़ाई के साथ पालन करवा कर आप वसूल करिये। उन रूल्स को तोड़ते कौन हैं ? आपके सरकारी नौकर। आपके अफसर जाते हैं वे तोड़ते हैं। आप खुली आंखों से दस्तखत किया करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, ये कहते हैं सरकारी अफसरों का। लेकिन मैं कहता हूं कि हाउस में बैठे हैं वे सब उसको तोड़ने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह सही नहीं है कि हाउस में बैठने वाले सब ही माननीय सदस्य नियमों को तोड़ते हैं। यदि कोई माननीय सदस्य तोड़ते हों तो माननीय सदस्य स्वयं बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, बिना पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाये ही बोल रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी निगाह उस ओर खींचना चाहता हूं कि लगातार रूल्स और रेगुलेशन्स को तोड़ कर जो पैसा दिया जाता है वह कब वसूल होगा ? रूल्स और रेगुलेशन्स का पालन न होने से जो पैसा दिया गया है वह वसूल भी नहीं हो रहा है और इस कारण दुबारा वह पैसा सरकारी खजाने में आकर विकास के काम में लग नहीं रहा है। इस कारण हमारे विकास के कामों को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है। रूल्स और रेगुलेशन्स की ही एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सरकारी अफसर हैं, एम्प्लॉइज हैं, आपके। आपके नियम हैं कि २० हजार से अधिक कर्जा नहीं दिया जावेगा, जब कि ३२ हजार का कर्जा दिया गया किसी सरकारी अफसर को।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : किसको ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहलवाना चाहते हैं। डिप्टी मिनिस्टर खुद देख लेंगे। फाइल निकाल कर लावेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : कम से कम यह तो बता दीजिये कि किस काम के लिए कर्ज दिया गया ? अफसर का आप नाम न बतायें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मकान के लिये। और भी आपको बतला दूंगा। फाइल मंगा लेना, तब सदन को भी अच्छी तरह से बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मंगा लूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे विश्वास है, फाइल आ जावेगी। उस केस को मुखर्जी ने रिजेक्ट किया था। उसके बाद रूल्स का रिलेक्सेशन करके रुपया दिया गया। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कानून की पूरी पाबन्दी हो, कानून का राज हो।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के अन्दर इस सरकार ने अनसर्टेन्टी पैदा कर रखी है गाड़ियों के नेशनलाइजेशन के बारे में। हर रूट वाला परेशान है। सरकार उनको धोखे में रखना चाहती है, वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि फलां रूट फलां समय तक निश्चित रूप से नेशनलाइज हो जावेगा। आज जब मन में आता है कह देते हैं, हम नेशनलाइज करेंगे। फिर कह देते हैं अभी नहीं करेंगे। उसकी कोई निश्चित रूप-रेखा नहीं है। कोई निश्चित प्लान नहीं हैं, फेज्ड प्रोग्राम नहीं है। इससे सरकारी कर की चोरियां होती हैं, सरकार को इससे नुकसान हो रहा है। ज्यादा सवारियां बसों में निजी लोगों की जो होती हैं, चल रही हैं, वहां अधिक गाड़ियां चलाने की बात कहते हैं तो जवाब देते हैं कि हम इसको नेशनलाइज करने वाले है। अब कब करने वाले हैं यह कुछ नहीं। तो होता यह है कि ज्यादा सवारियां बैठती हैं, नये रूट्स पर गाड़ियां नहीं दी जातीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और जो ज्यादा सवारियां बैठती हैं तो उनका टैक्स सरकार को नहीं दिया जाता। ये बस वाले गाड़ियों की ऊपर छतों पर सवारियों को बिठा कर ले जाते हैं। तो आप सारे रूटों के बारे में निश्चित रूप से कह दें कि फलां रूट का फलां समय तक नेशनलाइज़ हम कर देंगे। फिर इसमें कोई बदलाव नहीं हो। यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। एप्लाई करते हैं तो कह देते हैं जब तक नेशनेलाइजेशन की पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाय तब तक रूट पर अधिक बस चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो समझ में नहीं आता यह पॉलिसी आपकी फाइनल कब तक होगी ?

इस अनसर्टेन्टी को पैदा करने से दो नुक्सान हो रहे हैं। लोग डर बताते हैं कि तुम्हारे रूट का नेशनलाइज़ कर देंगे तो इस डर से वे कमाई में लगे हैं ज्यादा सवारियां बिठाते हैं, आपको उसका कर नहीं मिलता। रिश्वतें चलती हैं। ये दो नुकसान हैं। ऐसी हालत में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी साफ करनी चाहिये। कौन कौन से रूट को कौनसे कौनसे साल में आप नेशनलाइज़ कर देंगे, इसका एक फेज्ड प्लान्ड प्रोग्राम होना चाहिये और उसकी सब लोगों को इत्तिला होनी चाहिये और जहां तीन साल बाद आप नेशनलाइज़ करने वाले हों तो उस पर आज बस देनी चाहिये। आशा है, आप इन पर अमल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा !

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : कल भी देख लीजिये आपने मुझे नहीं बोलने दिया और आज भी नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदीजी, आपको अवसर मिल जावेगा। आप इस तरह का तरीका अख्तियार न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, अन्य करों पर, जिनमें मुख्यतया बिक्रीकर, पैसेन्जर टैक्स, एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स आते हैं उनके सम्बन्ध में ग्रान्ट मन्जूर करने के सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा।

राज्य के वित्त मन्त्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरूजी की छाया में एक करोड़ २५ लाख के करों का भार राज्य की दो करोड़ जनता पर लादा और इस सारे भार में उन्होंने माननीय प्रातःस्मरणीय प्रधान मन्त्री, जवाहरलाल नेहरू की छाया की घोषणा की।

लेकिन मैं राज्य के वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि जहां वह वर्ष प्रति वर्ष राज्य के लोगों को करों से लादते चले जा रहे हैं, जहां उन्होंने गरीब कुम्हार के कच्चे बरतनों की भी चिन्ता नहीं की, और उन पर भी टैक्स का भार लाद दिया, पिछले वर्ष में उन्होंने चने को भी मुक्त नहीं रक्खा, वहां अगर वे थोड़ा ध्यान इस ओर देते, बकाया को सख्ती से वसूल करते तो अच्छा था। राज्य की विभिन्न करों की मद में दो करोड़ की बकाया बाकायदा मौजूद है और अगर सारी बकाया ली जावे तो इसका आंकड़ा बहुत बड़ा आ सकता है।

पर वित्त मन्त्री से ताल्लुक रखने वाली करीब दो करोड़ की बकाया का ही जिक्र

Page No 82

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करूंगा। लगातार टैक्सों की चोरी होती चली जा रही है। बकाया टैक्सों का साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बकाया के आंकड़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ राज्य में टैक्स लगाने की वित्त मन्त्री की मनोवृत्ति भी विकास पाती जा रही है।

यह ठीक है कि आप उदयपुर के अब्बास साहब को ३।। लाख की लकड़ी दे दो। पानरवा जंगल से ठेके की मियाद गुजर जावे और ३।। लाख की अब्बास साहब को लकड़ी लाने की इजाजत दे दो। जंगल में वे मौजूद रहें और टर्म्स को एक्स्टेन्ड कर दो। अजन्ता होटल के नाम से ३।। लाख का और एक्सेस इनायते करम फरमा दो। वे ऐसे ही राज्य में प्रिविलेज्ड व्यक्ति होंगे। उनका ऐसा ही महान् सम्बन्ध होगा। ऐसा ही मेल जोल होगा। पर पैसेन्जर टैक्स का उनके जिम्मे जो ८१-८२ हजार की बकाया है उसके लिए राज्य के वित्त मन्त्री बाकायदा जिम्मेदार हैं। एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, तीन तीन वर्ष गुजर गये। आपने एक वक्त बड़े तपाक से कहा था जब मैंने प्रश्न उठाया था····

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अब नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अभी बाकी है और बढ़ता जा रहा है। गुलाम अब्बास साहब के जिम्मे ८२ हजार है और बसन्तकुमारजी के जिम्मे? यह ठीक है कि राज्य में बसन्तकुमारजी नाबालिग हैं तो हों, पर आपके "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" के तहत राजस्थान की सेवा में कूद पड़े हों हल लेकर। उस धरती को जोतकर ज्यादा अन्न उत्पादन गुढ़ा के बान्ध में कर रहे हों। यह ठीक है ऐसे कृषिकार की सहायता के लिये ३.२५ हजार की योजना को २४ लाख की योजना कर दी जावे। मैं इसका जिक्र नहीं करने जा रहा हूं। पर यह जरूर कहूंगा बसन्तकुमारजी के सम्बन्ध में कि उनको कृषि उत्पादन के लिये कम से कम आप तो उनके जिम्मे २६ हजार का टैक्स मत छोड़िये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): किसमें?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: बसन्तकुमारजी बारे में।

श्री बालकृष्ण कौल: पैसेन्जर टैक्स का जिक्र कर रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: २६ हजार बाकायदा। इसके अतिरिक्त सारे राज्य में पैसेन्जर टैक्स की बहुत भारी बकाया है जो तीस लाख से भी ऊपर है।

अब यह किन-किन बड़े लोगों में है। उसका जिक्र करके सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। पर इतना अर्ज कर दूं कि ५६-५७ से इस बकाया के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यात्री टैक्स देता है। मालिक बराबर वसूल करता है। मालिकों का कर विभाग से सम्बन्ध है। टोकन उनको लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, पचासों किस्म की चीजें परमिट वगैरह कागज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

वगैरह लेने पड़ते हैं, लाईसेन्स रिन्यू कराना पड़ता है, इन सबके बावजूद वे पैसेन्जर टैक्स का वसूल किया हुआ रुपया आज तक लगातार ६ वर्षो से अपने प्रयोग में ला रहे हैं, सरकार को जमा नहीं करा रहे हैं। आखिर राज्य के इन वित्त मन्त्री महोदय की इतनी इनायते करम इन मालिकों पर क्यों ? आखिर क्यों आज्ञा देते हैं इस तरह के सिस्टम की कि जिसके जरिये वे वसूल की गई धनराशि सरकार को जमा नहीं कराते और अपने काम में लाते रहे हैं। इससे पहले बहुत से राज्यों ने बहुत से सिस्टम इवॉल्व किये हैं जिससे यह टैक्स का पैसा मालिकों के पास न जाकर सरकार को मिले। एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स का आपका तजुर्बा आपके सामने मौजूद है। पहले यह टैक्स भी इसी तरह से वसूल हुआ करता था जो सिनेमा वालों की जेब में चला जाया करता था। आज बीस हजार से ज्यादा बकाया नहीं है। आपने बाद में इसके लिये टिकट सिस्टम इवॉल्व किया। वही सिस्टम राज्य के पैसेन्जर टैक्स के वसूल करने के लिये भी इवॉल्व कर सकते हैं। बाकायदा यहां भी टिकट छपवा सकते हैं।

मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ट्रान्सपोर्ट विभाग की तरह ध्यान दें ; आज इस विभाग के कारण बहुत सी हानि टैक्सों की सरकार को हो रही है। ऐसी सौ बसें राजस्थान में मौजूद हैं जो विभिन्न बस स्टेण्डों पर बाकायदा खड़ी हैं। अकेली ४५ मरसेडीज बसें खड़ी हैं। इसके अलावा २८ बैडफोर्ड खड़ी हैं, ये आर.जे. एल. की हैं। आर.डबलू.एल. की डॉज ११ खड़ी हैं। फार्गो १४ खड़ी हैं। इन सबके इस तरह खड़े रहने से जहां एक तरफ आमदनी का नुकसान हो रहा है, ट्रान्सपोर्ट विभाग को, वहां वित्त मन्त्रीजी आपका टैक्स का नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप इस ओर भी ध्यान दीजिये कि जोधपुर के बस स्टैंड पर बस के सेक्शन हेड्स क्रैक हो जावे तो उसका भी आप पर इम्पेक्ट है। बस की बैटरियों में डिस्टिल्ड वाटर न गिरे और इस कारण वह एक साल में ही नाकारा हो जावे। बस के चेम्बर में ऑथोराइज्ड नम्बर का मोबाइल नहीं गिराया जावे और इस कारण चेम्बर बर्स्ट हो जाये। जिस वक्त जावे बस, ब्यावर में खराब हो जावे, रास्ते में रुक जावे, लीड बैटरी का निकल जावे और तीन-तीन दिन खड़ी रहे। चालान हो जावे तो छः-छः महीने थाने में जमा रहे और जमानत करने कोई नहीं जावे। कोर्ट में प्रोड्यूस हो जावे तो तीन-तीन महीने बस कोर्ट में खड़ी है। आपको इन सब से घाटा है। यह भयंकर अव्यवस्था है। आप इसे सुधारिये। आपको इससे पसेन्जर टैक्स का नुकसान है।

आप जरा इस बात की जांच करवाने तो कोशिश करिये कि जब बाकायदा फोरमैन का फिटनेस सर्टीफिकेट लेकर बसों को स्टॉप छोड़ना चाहिये, पर अगर कोई भी ड्राइवर फोरमैन से सर्टीफिकेट मांगे तो फोरमैन ड्राइवर के गले पड़ जावे और बिना ही सर्टीफिकेट के रवाना कर दे और बस आगे जाकर बाणगंगा की दरिया में बह जावे। सौ गज दूर जाकर ब्रेक टूट जावे, एक्सीडेन्ट हो जावे तो ड्राइवर जेल जावे। ड्राइवर की आप जमानत नहीं करायें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसके भाई-बन्धु आवें और जमानत करावें और बस की हानि हो जावे और आपको पैसेन्जर टैक्स की भी हानि हो जावे। वित्त-मन्त्रीजी, आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। आप इस तरफ भी ध्यान दें कि आपके ८१-८२ हजार पैसेन्जर टैक्स से गुलाम अब्बास साहब खुला व्यापार करे। उनको खुली छूट दे दें कि वे दो मरसीडीज़ गाड़ियां नई और उस पैसे से खरीद ले और फ्लोट कर लें और एक्स्ट्रा कमाई कर लें। आपने इस तरह से इल्लीगल बिजनेस करने का अधिकार दे दिया है।

अब में एन्टर-टेनमेन्ट टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा। इसका जो इम्पेक्ट इस राज्य में रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, ६०–६१ में पचास नये पैसे पर २० नये पैसा है। तीन रुपये तक २५ नये पैसे। तीन से ऊपर ३० नये पैसे। ६१–६२ में २० की जगह २५ कर दिये। २५ की जगह ३० कर दिये और ३० की जगह ३५ कर दिये और इसके बाद ६२–६३ में २५ के ३०, ३० के ३५ और ३५ के ४० कर दिये।

अब एक रुपया तक वित्तमन्त्री ने एन्टर्टेनमेंट टक्स ३५ पैसे दो रुपये तक ५० पर्सेन्ट और उससे ऊपर ६० पर्सेन्ट कर दिये। आप जरा इसका रेश्यो देखियेगा कि गरीब सिनेमा देखने वालें का भी वही अनुपात है और बड़े का भी वही रेश्यो है। वित्त मन्त्री ने वही अनुपात बाकायदा रखा है। मुझे तो इससे कोई ऐतराज नहीं कि दो रुपये से ऊपर टिकट खरीदने वाले पर आप दो सौ पर्सेन्ट लगा दीजिये। अगर भारत सरकार ने सौ लगाया है तो आप भी ऐसा कर दीजिये। पर आपने ऐसा नहीं किया।

आप बड़े गौरवशाली हैं, मुगले आजम हैं, इस राज्य की शान हैं। कम से कम दरिद्र लोगों के ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि, वित्तमन्त्रीजी की होनी ही चाहिये। दिन भर की कमरतोड़ मेहनत से पैदा हुई थकान को दूर करने के लिये कोई सस्ता एन्टर्टेनमेंट करने के लिये इसके सिवाय उसके पास कोई रिक्रीएशन नहीं। आप उस पर तो इस तरह का डाका मत डालिये। उन पर तो आपका रहमे-करम होना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या मिसाल इनायत की है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मुगले आजम की तस्वीर देखकर कितने खुश नजर आते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपमें भी वही तस्वीर नजर आ रही है मुझे तो। वही गन्ध नजर आ रही हैं; बल्कि इनसे कुछ ज्यादा ही नज़र आ रही है।

श्री मथुरादास माथुर : दो मुगले आजम नहीं हो सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : तीसरे तो आप हैं फिर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो गरीब आदमी हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गरीब आदमी का भी फार्म है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये अबूबकर बोल रहे हैं ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसको कि आप समाजवाद का नाम देते हैं, वह ढांचा बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी पैदा कर रहा है। ८ लाख बेरोजगार हैं आपकी दूसरी योजना के अन्त में और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप उनको रोजगार दें नहीं, रिक्शा वालों को लाइसेन्स दें नहीं। आपका इकोनॉमिक स्लैब-जेनरेटिंग इकोनोमी नहीं बनी और गरीब थका-हारा इन्सान पचास नये पैसे का टिकट लेकर सिनेमा देखे तो वित्त मन्त्रीजी का टैक्स वहां भी उसकी छाती पर मौजूद हो और उतने ही अनुपात में मौजूद हो, जितना कि मेरे माननीय मथुरादासजी माथुर अपनी श्रीमतीजी को लेकर २.२५ पैसे का टिकट लेकर सिनेमा देखने जावें। तो इन पर भी वही टैक्स का अनुपात और एक गरीब पर भी वही। एक रिक्शा वाले पर भी वही टैक्स, और वित्त मन्त्रीजी खुद चले जावें तो उन पर भी वही टैक्स। और कभी सिनेमा वालों पर भी आपने गौर फर्माया कि वे किस कदर चोरी करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी श्रीमतीजी कभी सिनेमा जाती हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी श्रीमती जी जाती हैं और २.२५ का टिकट लेती हैं और री श्रीमतीजी पर भी वही टैक्स लगाया गया है ।

श्री मथुरादास माथुर : झगड़ा इसी बात का है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि ब्लेक में टिकट बिकते हैं, आपके पास कोई कानून नहीं है कि उनके खिलाफ केस बनाये जावें; पुलिस वालों के पास कोई कानून नहीं है। सिनेमा गोअर की जेब से १.२५ पैसे का टिकट का ५) निकाल लिया जावे और आपको भी एन्टरटेनमेंट टैक्स का घाटा हो और इस बात की चिन्ता नहीं हो कि आपको इन्सपेक्टर भी बाकायदा पासेज लोगों को दें, उस पर एन्टरटेनमेंट टैक्स चार्ज न हो। अधिकारीगण टिकट लें उस पर चार्ज नहीं हो और आपका विभाग जो है इस सम्बन्ध में कोई केस आज तक न बना पावें तो मैं वित्त मन्त्री महोदय से जरूर इस बात पर भी ध्यान देने के लिये जोर दूंगा ।

इसके अलावा, मैं बिक्री कर के आंकड़ों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। ३ करोड़ बिक्रीकर का बकाया है। और केसेज जो इस राज्य ने बिक्रीकर की चोरी के पकड़े हैं, वे ६२-६३ में ११८० हैं और ६३-६४ में ११३४ रह गये। केसेज के आंकड़े पकड़ने के भी घटते जा रहे हैं। बिक्री कर की चोरी बढ़ती जा रही है।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वे इस बात को देखें कि उनकी पैसेन्जर टैक्स की चोरी का इम्पेक्ट कितना है। वे नेशनलाइज्ड बसों की इन्कम को देखें, उनसे कितना पैसेन्जर टैक्स आता है और उसी अनुपात में जो प्राइवेट बसें हैं उनसे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कितना टैक्स कलेक्ट होता है। इनके प्रोपोर्शन को देखें तो जहां आपका प्रोपोर्शन १।५० से भी ज्यादा होगा, वहां उनका १।४ का है। यानी कम से कम छः सात गुना टैक्सों की चोरी बाकायदा हो जाती है। आप इस इम्पेक्ट को देखें।

अन्त में मैं लोन के बारे में निवेदन करूंगा। राज्य के कर्मचारियों के लिये पिछले वर्ष जहां कर्जे के लिये ६७ लाख रुपये रखे थे वहां उन पर इस साल वित्त मन्त्री की महरबानी घट कर एक लाख पर आ गई। कीमतों पर राज्य का कन्ट्रोल नहीं। किसान अनाज पैदा करे, बाजार में लावे तो कीमतें गिर जावें और जब किसान अनाज बेच दे और गोदामों में वे भर दें व्यापारी, तो कीमतें बढ़ जावें।

रियासतों के समय में यह व्यवस्था थी कि अनाज आने के समय दो-दो महीने की तनख्वाह दे-दी जाती थी जिससे वे काफी अनाज अपने लिये खरीद कर रख लेते थे। आज उसका भरोसा नहीं। जिस प्रकार की राज्य की आर्थिक स्थिति चल रही है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप करना नहीं चाहते, ऐसी हालत में मुझे कोई रस्ता नजर नहीं आता कि कीमतों पर आप किस तरह से कन्ट्रोल कर पायेंगे? ब्लैक मनी पर आप कन्ट्रोल कर नहीं पाते। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जादू के डंडे से कोई कीमतें कम नहीं हो जाने वाली हैं। आपने पांच रुपया अपने कर्मचारियों का बढ़ाया तो १.२५ लाख के टैक्स लगाने का जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया। कम से कम आपने लाख, डेढ़ लाख कर्मचारियों पर इतना तो इनायते करम रखा होता कि ६०-७० लाख से घटा कर एक लाख रुपया नहीं रखते। उनको और कोई राहत नहीं दे सकते...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जो लोन्स का रखा था पहले ६७ लाख रुपया, अब केवल एक लाख का प्रोवीजन है इसके सम्बन्ध में अर्ज कर रहा हूं।

जो लैंड आप एक्वायर करते हैं उसके सम्बन्ध में एक ही पॉलिसी आपकी सारे राजस्थान में चल रही है। सड़कें निकालते हैं, नहरें निकालते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं चीप रेट पर। पर उस इलाके की जमीन की कीमतें होती हैं भारी। आप कट करके लैंड एक्वायर करें तो उसे मार्केट वेल्यू देने की तो तकलीफ गवारा करें।

मैं निवेदन करूं कि म्यूनिसिपैलिटी को, कच्ची बस्तियों के लिये कहिये या यों कहें कि म्यूनिसिपैलिटी को एडवान्स करते हैं वे काफी नहीं है।

आज सारे राजस्थान में तो क्या सारे भारतवर्ष के अन्दर स्लम्स की समस्या बड़ी गम्भीर हो गई है। आज उन स्लम्स में जिस दिशा में इन्सान रह रहे हैं वह बड़ी भयानक दशा है। खुद आपके जयपुर को ही ले लें नारी के नाके में, हसनपुरे की बस्ती में चले जाइये, वहां जो लोग रहते हैं वे वहां पर आज बीस-तीस और तीस-तीस साल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

से बसे हुए हैं, उनकी जमीनों को आज खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको आप मालिकाना हकूक नहीं देना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई ऑल्टर्नेटिव स्कीम नहीं रखते और अकेले जयपुर में ही नहीं गंगानगर को ले लें। आपकी यह पोजीशन है कि गंगानगर चारों तरफ बड़े बड़े लोगों के द्वारा घेर लिया गया है। वहां पर भट्टे और कारखाने अब इल्लीगल तरीके से जमीनों के ऊपर बना लिये हैं, आप उनको एक्वायर नहीं कर सकते, न आप उनको एक्वायर करना चाहते हैं और न स्लम्स को जो कि शुगर मिल के पास नारकीय दृश्य उपस्थित करती है। जब तक स्लम्स को दूर करने के लिए आपके पास स्कीम नहीं होगी और न उसके लिए आप लोन एडवांस करना चाहते हैं–इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि आपको काफी तादाद में लोन एडवान्स करना चाहिए ताकि ये लोग जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये लोग कुछ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

अब मैं अन्त में एक आंकड़े की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने लो इनकम ग्रुप के लिए जितना बजट प्रोवीजन रखा है, उतना ही बजट प्रोवीजन मिडिल इनकम ग्रुप के लिए रखा है। ४० लाख रुपये का बजट प्रोवीजन आपने इनकम ग्रुप के लिए रखा है, तो ४० लाख का ही प्रोवीजन मिडल इन्कम ग्रुप के लिए रखा है। कम से कम आपको लो इन्कम ग्रुप और मिडल इन्कम ग्रुप में कुछ न कुछ डिफरेन्शियेट करके चलना चाहिए; तिगुना नहीं तो दुगुना अवश्य होना चाहिए। फिर क्या कभी आपने एग्ज़ामिनेशन करवाने की कोशिश की है कि मकान बनाने के संबन्ध में जो लोन्स आपने दिये हैं, कार खरीदने के लिए जो लोन्स आपने दिये हैं, उनका क्या यूज़ हो रहा है? राज्य के जितने भी अधिकारियों ने आपसे लोन्स लिये हैं, उन्होंने मकानों के अन्दर खुद ने निवास नहीं किया बल्कि उनको रेन्ट–आउट किया है। मैं चेलेन्ज करके कहता हूं कि उनके मकानों में आपके गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ बने हैं। आप इसका एग्ज़ामिनेशन करा लीजिए कि राज्य के कर्मचारियों ने आपसे लोन लिया, मकान बनाये और उन्हीं को आपको किराये पर ऑफिसेज के लिए दे दिये। आप इसके लिए बाकायदा इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो लोन आपने दिये है उनका प्रोपर यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की बात कहना चाहूंगा। आप पंचायत समितियों को राशि देते हैं लेकिन गंगानगर जिले का यह हाल है कि वह जिला एक कृषि प्रधान जिला है और गंगानगर का ७ लाख एकड़ रकबा गंग कैनाल से सिंचित होता है और इतना ही एकड़ रकबा बाकायदा भाखरा कैनाल से सिंचित होता है। यह रकबा ३० लाख एकड़ से ज्यादा कल्चरेबल रकबा है। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जब राजस्थान कैनाल आ जायेगी तो ३६ लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी, उससे उसका

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अधिक रकबा गंगानगर में होगा। जो लोन्स आप तकावी के लिए देते है, चूहे मारने के लिए देते हैं, भैंस पालने के लिए देते है, मुर्गियां पालने के लिए देते हैं तो मौके पर जाकर आप देखें तो उसका यूटिलाइजेशन आपको मिलेगा "जीरो अपोन जीरो"। उसके स्थान पर यदि आप मेरे जिले में एक प्रकार का लोन दें और वह पक्की नालियां बनाने का, सबसे ज्यादा लोन दें आप इसके लिए, तो गंगानगर आपको अधिक अन्न पैदा करके दे सकता है। गंगानगर में वाटर एब्जोर्ब्शन काफी होता है। तो हमारी नहरों को और अच्छे वाटर सोर्सेज को पक्का बनाने के लिए किसानों को लोन दें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आपका प्लानिंग कमीशन का स्टडी दल आया था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन दिया है, उसके यूटिलाइजेशन के सम्बन्ध में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसने बताया है कि ४० पर्सेन्ट आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ निल पड़ी हैं। उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि आपको जहां १८ लाख रुपये के लोन गरीबों में वितरित करने चाहिए थे, आपने केवल १० करोड़ के लोन ही वितरित किये हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि आपके जो टार्गेट्स थे वे एचीव नहीं हुए और आम किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। इसका फायदा मिला है तो अच्छे खाते-पीते लोगों को, खुशहाल किसानों को या फिर मण्डी के कुछ लोगों ने इन लोन्स का एक्सप्लोइटेशन किया है। अगर आप मेरे जिले में वाटर सोर्सेज को पक्का करने के लिए लोन दें, फर्टीलाइजर के लिए लोन का क्वेन्टम बढ़ा दें, जितना प्रॉवीजन रखा है उससे तो वह जिला जो सारे राजस्थान को अन्न खिलाता हैं, वह प्रॉडक्शन के मैदान में ज्यादा प्रॉडक्शन करके बता सकता है। इसके साथ ही साथ मैं अर्ज कर दूं कि हमारे नहर के पानी को और बढ़ाने की कोशिश करें तो अन्न के उत्पादन को बढ़ाने में काफी सफलता मिलेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इतना कहकर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यह डिमाण्ड जो कि वित्त मन्त्री महोदय ने रखी है, वह पास तो नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आज तक जितनी भी डिमाण्ड्स वित्त मन्त्रीजी ने रखी हैं, जितने वायदे वित्त मन्त्रीजी ने किये हैं उनमें से न तो कोई वायदा पूरा हुआ है और न डिमाण्ड्स के फण्ड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है। बड़े बड़े कर्जों के रूप में, बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के रूप में धनी किसानों के जेबों में और रिश्तेदारों के जेबों में पैसों का संकलन होता जा रहा है-अगर आपने आदिवासी और समाज कल्याण के लिए २ करोड़ रुपये बांटे हैं तो वह बोहरों की जेबों में चला गया है-आदिवासी या गरीब लोगों की जेब में नहीं गया है। इसलिए आपको अधिकार नहीं रह जाता कि इस प्रकार की डिमाण्ड रखें और पास करवायें। और मैं अन्त में एक शेर अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता इस शेर के जरिये उनको कुछ कहना चाहती है :

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

"मुगले आजम वादों में कट गई
और कुछ वादों में कट जायेगी,
अरे आंख भर आयेगी
मेरी वफा जब याद आयेगी।"

राजस्थान की जनता तुमको कुर्सियों पर बैठाती है और आप उसको कुछ नहीं देते। उसको इतना मजबूर मत करो कि वह आपके नीचे से कुर्सी खींच ले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चोसरसिंह बाबेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स के सिलसिले में मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं और इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि यह सरकार लगातार १५ सालों से हर साल तीन-चार करोड़ के टैक्स लगा रही है और टैक्स का हिसाब लगाया जाये तो वह सारा गरीबों के ऊपर पड़ता है। इस सरकार को समाजवादी सरकार कहने के लिए बड़ी-बड़ी आवाजें लगाई जाती हैं और बड़े-बड़े नारे लगाये जाते हैं और कहा जाता है कि यह समाजवादी सरकार है। लेकिन वे सारे टैक्स गरीबों से वसूल किये जाते हैं और इसका सारा वजन गरीबों पर आता है। तो समाजवादी सरकार में मालदारों पर टैक्स लगाना चाहिए और गरीबों पर उसका वजन नहीं पड़ना चाहिए। अभी तक जितने टैक्सेज लगाये हैं वे गरीबों पर ज्यादा लगाये हैं। जहां तक मैं सोचता हूं इसके बारे में अगर सरकार के पास कोई आंकड़े हों, तो बताया जाये कि मालदारों के ऊपर इसका असर कितना है और यह सरकार लगातार टैक्स लगाने के ऊपर चल रही है। इस सरकार का नाम यदि समाजवादी सरकार के बजाय टैक्सी सरकार डाल दिया जाये तो कोई हर्ज नहीं है, यहां तक कि सिनेमाओं के ऊपर पहले से ही टैक्स था और अब और लगाया जा रहा है। अब गरीब लोग क्या सिनेमा देखेंगे ? रिक्शा वाले बेचारे आये और चिल्ला-चिल्ला कर मर गए, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। खैर, आज यह चर्चा का विषय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पंचायत समितियों में सिनेमा हैं, वहां पंचायतों को टैक्स वसूल करने का अधिकार आपने दिया है। लेकिन वहां पर एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल नहीं हो रहा है। राणाप्रताप सागर में एक सिनेमा है, उसमें एन्टरटेनमेन्ट नाम का कोई टैक्स वसूल नहीं हो रहा है और वहां पर १०-१५ हजार रुपया एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के नाम से लिया गया है और वह दो-तीन साल से जमा नहीं हो रहा है। वहां के प्रधान महोदय का उसमें हिस्सा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राणा प्रताप सागर मे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ? इसको कोई देखने वाला नहीं है। पंचायत समितियों को जो आपने अधिकार दिये हैं, उसके आधार पर उनको टैक्स वसूल करना चाहिये। इसी तरह से बेंगू में भी ऐसा ही हो रहा है तो मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों रुपया इस तरह से गबन हो जाने की बात है...

(३.०० म. प.)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : राणा प्रतापसागर में सिनेमा हाउस है क्या ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : सिनेमा हाउस है वहां पर और एन्टरटेनमेंट टैक्स के नाम से वसूल नहीं होता है। सरकार ने वसूल करने के अधिकार दिये हैं पंचायत समितियों को, छोड़ने के अधिकार नहीं दिये हैं। उनको पॉवर्स इस बात के लिए दिये गये हैं। और कोई बात हो तो बता दूं ?

श्री परसराम मदेरणा : बता देंगे, और बातें बाद में।

श्री चौसरसिंह बाबेल : इस तरह से यात्री–कर के बारे में उसको जो लोग दबाते हैं, मोटर के मालिक। उसके कलेक्शन की रिपोर्ट सरकार के सामने या आफिसर के सामने एक दिन नहीं महीनों तक नहीं भेजते हैं और फिर नये नये कलेक्शन फॉर्म भर कर सरकार की रकम हजम करते हैं। सरकारी ऑफिसर उनसे मिले हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है। आपकी पार्टी के सदस्यों ने भी बड़े जोर से कहा था कि इस तरह से यात्री–कर लोग हजम कर रहे हैं। गये साल भी यह बात हुई थी और सदन में उसके सुनने के बाद वही साल हो गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी रकम गबन होती है। इस तरह से पक्षपात करते हैं। करोड़ों रुपयों का बकाया है तो क्यों टैक्स लगाते हैं ?

आप राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते हैं। आपने पाठ्य–पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो छोटी पूंजी लगाकर लाखों रुपया कमा लेते हैं।

आपकी सरकार का समाजवाद यही है, लोगों के हवा खाने पर भी टैक्स लगा दें। न मालूम कल से आप वह टैक्स लागू कर दें। हम गरीब हवा खाने को भी महरूम हो जायें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कानून मत बनाइये, जिससे कि गरीब लोगों को नुकसान पहुंचे। आज किसान लोग चिल्ला रहे हैं। आप लगान बढ़ा देते हैं। उनको हार कबाड़ा नहीं मिलता है। काश्त के लिए कोई सामान नहीं मिलता है। उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप जाकर देखिये, पंचायत समिति के दफ्तर के सामने, या जंगलात के दफ्तर के बाहर देखिये कि हजारों किसान वहां पर खड़े रहते हैं। आप नाजायज कब्जा करने के लिए कहते हैं। आज नाजायज कब्जा करने के लिए तहसीलदार और पटवारी उनको तंग करते रहते हैं। आपने कानून पास कर दिया, लेकिन वे बेचारे चिल्लाते रहते हैं। बेगूं तहसील में कटाता पागता गांव जो मध्यभारत से आये हैं, वहां पर लोगों का ४०-५० साल का कब्जा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप टैक्स क्यों वसूल करना चाहते है ? सरकार टैक्सों की भरमार लगा रही है। यह १ करोड़ २५ लाख जनता पर लादना चाहते हैं। यह नहीं लगाना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस तरह से टैक्स नहीं लगायें। यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवलियाराम। जिनका कटौती का प्रस्ताव है उनको पहले मौका मिलेगा। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवलियाराम (रूपवास–सु०) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३ पर करों की वसूली करने में भूल रही है, उसके सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के लिए कटोती प्रस्ताव रखे हैं ।

तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में जो सरकार कर वसूल करती है मैं समझता हूं कि वह इस नीयत से लेती है, इस उद्देश्य से लेती है कि हम राजस्थान का विकास करेंगे, हम राजस्थान की उन्नति जो है वह करेंगे, इस उद्देश्य से लेती है। लेकिन अफसोस यह है कि उस टैक्स की कभी किसी तरफ से वसूली नहीं होती है और कभी किस तरफ से । जब हम लोग जो है उनका समर्थन करते हैं उस टैक्स को पास कराने में और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य इस बारे में काफी सुझाव देते हैं और विरोध भी करते है, इसके बावजूद भी हम टैक्स को पास कराते हैं। लेकिन बावजूद इसके होता क्या है कि राजस्थान में टैक्सों का करोड़ों रुपया बकाया है । वह किन पर ? गरीबों पर नहीं, गरीबों से तो वह टैक्स आ चुका है । वह बकाया अमीरों पर है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में सरकार करोड़ों रुपया लगाकर सड़कें बनाती हैं और उन सड़कों पर बगैर टैक्स दिये ट्रक और लॉरियां चलती हैं । ट्रक और लारियां भी किस तरह से चलती हैं, वह भी मैं आपको निवेदन कर दूं कि कुछ ट्रक इस प्रकार के हैं कि न तो रोड टैक्स देते हैं और न लोडिंग टैक्स देते हैं। उनके पास एक कारण है और वह यह है कि बस को मिस्त्री के गैराज में बताकर ६-६ महीने का टैक्स नहीं देते हैं । आपके टैक्स वसूल करने वाले अधिकारियों को वे बता देते हैं कि उनकी गाड़ी इतने समय तक मिस्त्री के गैराज में खड़ी रही और चली नहीं । उनका लोडिंग टैक्स दिया नहीं और रोड टैक्स दिया नहीं । किसी प्रकार टैक्स नहीं देकर खाना पूर्ति कर देते हैं । यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, क्योंकि मैंने भी यह काम किया है । इसलिए उसका मुझे अनुभव है । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से टैक्स की चोरी होती है ।

इसी प्रकार से जो पिछले टैक्स हैं, उनको वसूल करने में सरकार की ढीली पॉलिसी है क्योंकि नया कर जो लगाया जाता है, उन सबको हम पास कर देते हैं, लेकिन जो अग्रिम टैक्स है....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : आपने ट्रक चलाया उसके विषय में चोरी करने का बता दें ।

श्री सांवलियाराम : आपने सुझाव दे दिया । मैं अपने बारे में कह दूं । मैंने चोरी नहीं की है, आप जांच करा लें । टैक्स विभाग का एक पैसा भी चोरी नहीं किया । मैंने शुरू से आखिर तक टैक्स दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : मेम्बर कहता है वह चोरी करता है, वही कहता है क्या ?

श्री श्रवणलाल : आपने कहा इसलिए कहना चाहता हूं ।

श्री सांवलियाराम : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे निवेदन करने का मतलब सिर्फ यह था कि लाखों, करोड़ों रुपयों की टैक्स

Page No 92

(श्री सांवलियाराम)

की बकाया है, उसको वसूल किया जाय जाय क्योंकि इस सम्बन्ध में विधान सभा में समर्थन करने वाले यह समझते हैं कि वह तो पास करते हैं और वह टैक्स बकाया रह जाता है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा टैक्स है जो करोड़ों रुपयों पर पहुंचा है ?

श्री सांवलियाराम : रोड टैक्स, यात्री कर और एन्टरटेनमेंट टैक्स है। कई प्रकार के टैक्सों में करोड़ों रुपया बकाया है, आप चाहें तो आंकड़े बता दूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो आज टैक्सों के मामले में मांग आई है उसके बारे में मेरा माननीय मंत्रीजी को सुझाव है कि मोटर या ट्रक जिनके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है तो जिस दिन लगाया, उस दिन भी मैंने सरकार से निवेदन किया था कि ये टैक्स गलत तरीके से लगाये जा रहे हैं, और जिस तरह से टैक्स लगाना चाहिए उस तरह से सरकार टैक्स नहीं लगाती है। लोग जो कि आज यह ट्रक चलाते हैं, वह ट्रक चलाने वाले मालिक इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस चलाने वाले मालिक इतने ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। जिस तरह से टैक्स लगाकर वसूल किया जा रहा है वह बहुत ही गलत तरीका है। अगर सीट के ऊपर टैक्स लगा देते तो आज सरकार का पैसा भी वसूल हो जाता और जो काफी रुपया बकाया है करीब ४०–३० लाख का वह भी नहीं रहता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : १ करोड़ ६७ लाख का बकाया है।

श्री भ्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष, हाउस में कोरम पूरा नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज एक ट्रक को चलाता है, कल दूसरे को बैठा देता है...

(गणपूरक घन्टी के पश्चात् पुनः)

माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब है कि आपकी बात सुनने में हाउस की दिलचस्पी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अभी मालूम हुआ तो हम आ गये !

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आप से कह रहा था कि कई लोग बाहर के नाम से ट्रक लेते हैं, कोई कलकत्ता के नाम से लेते हैं, कोई बम्बई के नाम से लेते हैं। और उसके बाद कोई बम्बई में जाकर ट्रक बिक जाता है और कोई कलकत्ता में जाकर ट्रक बिक जाता है और कोई कहीं जाकर बिक जाता है। इसलिए सरकार का इस मामले में काफी नुकसान होता है।

इसके अलावा जो टैक्स की हालत है, उसके लिए भी मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज पांच-पांच, और चार-चार टैक्स जब सरकार ने लगाये हैं और उन्हें एक साल में साल का साल

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

वसूल करना शुरू किया है। वह अगर एक साल में लोगों से वसूल करना है, तो साल का साल वसूल हो जाय, तिमाही का तिमाही वसूल हो जाय या महीने के महीने वसूल हो जाय तो उसमें न सरकार को तकलीफ हो और न टैक्स देने वालों को। न लेने वाले को तकलीफ हो और न देने वाले को। इसमें दोनों को तकलीफ नहीं होगी। परन्तु जो सरकार में बैठे हैं, वह यह नहीं सोचते कि जितना टैक्स लगाया है उसको पूरी तरह से वसूल करें। वह यह सोचते हैं कि यह तो जनता है और अभी राजस्थान की जनता पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है। जनता जो राजस्थान की है उसमें से अट्ठाईस या तीस पर्सेन्ट तो एजुकेटेड हैं और बाकी के अनएजुकेटेड हैं और इस अनएजुकेटेड जनता के मुंह बन्द हैं। जैसे गाय और भैंसों का मुंह बन्द रहता है उसी तरह आदमी का मुंह भी बन्द है। इसलिए जितना टैक्स लगाना है यह लगा दो, बोलने वाला तो कोई है नहीं। इस तरह का विचार राजस्थान सरकार ने मनुष्य के बारे में कर रखा है। इसीलिए आज राजस्थान सरकार टैक्स लगाती है, जैसे आज बिजली करीब आठ आना यूनिट, सात आना यूनिट में दी जाती है, जो घरों के अन्दर या दूसरी जगहों में जलती है। परन्तु जो कोटा के अन्दर बिनायल एण्ड केमीकल फेक्ट्री खुली है, जिसके अन्दर इतना ज्यादा प्रोफिट होता है उसको आपने तीन नये पैसे युनिट के हिसाब से बिजली दी है। पहले अगर इस रेट पर फेक्ट्री स्टार्ट करने के लिए दी तो वह तो ठीक है, किन्तु आज उसके अन्दर चार-पांच चीजें बनती हैं, एक तो बिनियल बनती है, दूसरे गैस बनती है और तीसरे कॉस्टिक सौडा बनता है। ये जो चीजें इसके अन्दर बनती हैं उस पर सरकार ने कितनी ड्यूटी लगाई है और उससे सरकार को कितना फायदा हुआ है? आज जो जयपुर में बॉल बेयरिंग फेक्ट्री है इसको जिस रेट पर बिजली जयपुर स्टेट के जमाने में दी जाती थी उसमें आपने कितनी बढ़ाई है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यही एक बॉल बेयरिंग फेक्ट्री है, इसका जो माल है वह यहां बेचा जाता है और बाहर जाता है। हिन्दुस्तान में कोई दूसरी फेक्ट्री है नहीं। इसके ऊपर जयपुर स्टेट के बाद राजस्थान सरकार ने कितना टैक्स लगाया है ? क्योंकि बिड़ला बहुत बड़े आदमी हैं और बिनायल एण्ड कैमिकल फेक्ट्री के मालिक है वे बहुत बड़े आदमी हैं–श्री राम, इसलिए ठीक तरह टैक्स नहीं लगाया है। उस चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। भारत सरकार ने अभी एक कमीशन जरूर अपॉइन्ट किया है। उसी तरह से राजस्थान सरकार भी एक कमीशन अपोइन्ट करे जिससे यह पता लगे कि इन फेक्ट्रियों से कितना पैसा आता है और उसमें से कितना पूंजीपति फायदा उठाते हैं। अगर राजस्थान सरकार समाजवाद लाना चाहती है तो वह समाजवाद इस तरह से नहीं आयेगा। वह समाजवाद तब ही आयेगा जब जिस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन मुकर्रर किया है, प्राइस फिक्स करने के लिए, उसी तरह से राजस्थान सरकार भी कोई कमीशन अपाइन्ट करे, जो इस बात की जांच करे कि राजस्थान के अन्दर जो मिल और फेक्ट्रियां हैं जो राजस्थान सरकार से बिजली का फायदा लेना

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चाहती हैं, जो राजस्थान सरकार से जमीन का फायदा लेना चाहती हैं और राजस्थान के अन्दर जो बाहर से मशीनरी आवें उस पर ड्यूटी का फायदा लेना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान की इन मिल और फेक्ट्रियों में चीजें बनेंगी, वह राजस्थान के प्रदेश के अन्दर और राजस्थान के बाहर जाकर हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में बिकेंगी। तो जिस तरह फोरिन से चीजें आती हैं उन पर सरकार ड्यूटी लगाती हैं और फिर वह चीजें बिकती हैं, उससे कितना प्रोफिट होता है? उसी को देख कर राजस्थान सरकार को ड्यूटी लगानी चाहिए। इस तरह करेंगे तभी हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवाद आयेगा। लेकिन यह नहीं करके राजस्थान के किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। राजस्थान में मोटर बस वगैरह में जाते हैं उन पर राजस्थान सरकार ने पैसेन्जर टैक्स लगा दिया है। लेकिन उनमें कौन लोग बैठते हैं? उनके अन्दर गरीब आदमी ही बैठते हैं। जिनके लिए राजस्थान सरकार कहती है कि राजस्थान में पर-कैपिटा इन्कम तीन सौ रुपये होगी। लेकिन जो एक गरीब आदमी है उसके यहां पर कम से कम दस आदमी, आठ आदमी खाने वाले होंगे। तो उनके खाने के लिए ही रुपया नहीं होता है। उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने यह पैसेन्जर टैक्स और लगा दिया है। मैं तो राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा कि यह जो पैसेन्जर टैक्स है इसे बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसके बजाय टैक्स उन लोगों के ऊपर लगना चाहिए, जैसा कि मैंने माननीय मंत्री जी ने अर्ज किया, जो एक चीज को आज सात रुपये में खरीद कर दो हजार रुपये के अन्दर बेचते हैं बना कर...

श्री परसराम मदेरणा : क्या चीज है?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह बिनायल है। वह दो हजार में ही नहीं बल्कि दो हजार से भी ज्यादा में बिकती होगी। कास्टिक सोडा, जो इतना सस्ता पड़ता है, वह इतना महंगा बिकता है! तो इस चीज को देखा जाय कि उनको कितनी सस्ती वह चीजें पड़ती हैं, लेकिन उनको कितनी महंगी बेचते हैं। आज बॉल बेयरिंग जो बाल बेयरिंग फेक्ट्री में बनती हैं, उनको कितनी सस्ती पड़ती हैं लेकिन उसको कितनी महंगी हिन्दुस्तान के अन्दर बेचते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए, जब तक आप जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपोइन्ट किया है, उसी तरह कोई कमीशन अपोइन्ट नहीं करेंगे, उसके बाद उन लोगों पर ड्यूटी नहीं लगायेंगे, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। इसके अलावा रैयन फेक्ट्री खुली है राजस्थान के अन्दर। ठीक है, मैं यह मानता हूं कि उसको आप बिजली की फेसिलिटी दीजिये, उसको आप जमीन भी दीजिये और ड्यूटी न लेने की फेसिलिटी दीजिये। परन्तु जब वह प्रोफिट उठाने लग जाती है तो उस प्रोफिट को देखते हुए कुछ ड्यूटी लगा दें। यह ठीक है कि राजस्थान उनको फैसिलिटी दे, वह फैसिलिटी देनी चाहिए फेक्ट्री लगाने के लिए, किन्तु जब एक रुपये की चीज को दस रुपये में बेचते हैं तो वह दस रुपये का फायदा राजस्थान सरकार उसको नहीं होने दें। आज सीमेन्ट के अन्दर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी अभी तो पांच मिनट हुए हैं। कल मुझे नहीं बोलने दिया। आज छः दिन के बाद बोला हूं। मैं तो राजस्थान के फायदे की बात बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चालू रखिये, चालू रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, आज सीमेन्ट है वह कितनी मंहगी बिकती हैं और इस सीमेन्ट फेक्ट्री को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने और राजस्थान सरकार ने ६० लाख रुपया लोन दे रखा है। कितने ही करोड़ रुपये का लोन दे रखा है वह इस बजट में बताया नहीं है। जितना लोन स्टेट के वक्त के अन्दर और स्टेट के खत्म होने के बाद राजस्थान सरकार ने दिया है, और जो शेअर्स उन फेक्ट्रीज में हैं, उन पर कितना प्राफिट हुआ राजस्थान सरकार को वह इस बजट में नहीं बताया है। उन शेअरों की कीमत क्या है। और अगर उन शेअरों की कीमत नीचे गई है तो राजस्थान सरकार के उनमें डाइरेक्टर्स हैं वे क्या कर रहे हैं? जिप्सम के अन्दर शेअर्स हैं और कई ऐसी फेक्ट्रीज़ हैं जिनके अन्दर राजस्थान सरकार के शेअर हैं। उनके लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है? और उनकी रॉयल्टी के सम्बन्ध में विचार करने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही हैं?

मेरी समझ में नहीं आता कि आज राजस्थान सरकार छोटे छोटे मामलों को लेकर छोटे छोटे मामलों के अन्दर टैक्स लगाती है, जैसा कि आज सिनेमा के लिये कहा गया, मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी सिनेमा नहीं देखा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : देखा नहीं या दिखता नहीं होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप यह बात समझ लीजिये कि दिखता नहीं है। मैंने आज तक सिनेमा देखा नहीं है, परन्तु फिर भी मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सिनेमा में पूंजीपति लोग कम जाते हैं और गरीब आदमी ही ज्यादा जाते हैं। इसलिये जो यह टैक्स लगता है वह छोटे तबके के लोगों पर ही लगता है, बड़े लोगों के तबके पर नहीं लगता है। ठीक है अगर आपको टैक्स ही लगाना है तो आप कोई बिल्डिंग २० या २५ हजार की होती है उस पर टैक्स लगाएं। वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट लगाती है नहीं, न हमारी सरकार लगाती है। इस पर तो कोई टैक्स नहीं और गरीब लोग जो सिनेमा देखने जाते हैं उन पर यह टैक्स। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर टैक्स लगाते हैं, कि आज जिसके लिये आपके ऑफिसर भी परेशान हैं और टैक्स वसूल करने में भी परेशानी होती है। अगर इस तरह से हमारी सरकार बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाएगी तो सरकार को रुपयों का घाटा नहीं रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हमारी सरकार यह चाहती है कि हम समाजवाद नहीं लावें, पूंजीवाद ही राज-

Page No 96

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

स्थान में पनपे। वे ही हवाई जहाज में चलें, फर्स्ट क्लास और एयर कन्डीशन्ड में चलें और रिक्शा चालक थर्ड क्लास में भी नहीं चले और पैदल पैदल चलता रहे।

(समय-समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट। अभी तो बोलना शुरू किया है।

इसलिये आज सरकार जो लोन देती है इसके लिये मैं कहूंगा कि जितना लोन दिया जाता है, वह भी बड़े बड़े आदमियों को दिया जाता है। बड़े बड़े आदमियों को ही लोन मिलता है और शहरों के अन्दर मकान बनाने के लिये लोगों को लोन दिया जाता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में भी आपको लोन देना चाहिये, जिससे गरीब किसान भी लोन लेकर अपना गांवों में मकान बना सकें। इसके अलावा जो लोग गांवों को छोड़ छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं उनको गांवों में बसाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान केनाल बन रही है। इसमें ३६ लाख एकड़ या जितनी भी जमीन की सिंचाई होगी, होगी। मगर आज अगले साल के लिये जब राजस्थान केनाल में पानी आवेगा, उसके लिये अभी तक हमारी राजस्थान सरकार अन्धेरे में बैठी है और एक लाख एकड़ में पानी आवेगा उस भूमि को अभी तक उसने वितरित नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कृषि की मांग नहीं है। यह टैक्स की मांग है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पैसा तो आवेगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन मांग अलग है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि किसी प्रकार के टैक्स लगाती है तो उसको चाहिये कि छोटे तबके के लोगों पर टैक्स नहीं लगावे। ५००० से कम इनकम होगी उस टैक्स नहीं लगे। जिसके ५ या ७ या ८ बच्चे हों वह अपने बच्चों को क्या तो पढ़ावेगा, क्या लिखावेगा, क्या करेगा ? इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि इसको भी मान ले जैसा ३००) और २५०) वालों को माना है। और जो गांवों में टैक्स वसूल किया जाता है वह गरीब आदमियों से वसूल न करके बड़े बड़े आदमियों से ही यह वसूल किया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं और मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमारी सरकार टैक्सों को हर साल बढ़ाती हुई चली जाती है। गये साल तो यहां तक कहा कि खाने पीने की वस्तुओं पर, अनाज और मिट्टी के बरतनों पर भी टैक्स लगा दिया। आज हमारी दो करोड़ जनता है वह टैक्सों के भार के मारे दबी हुई है और आगे दबती हुई चली जा रही है। एक तरफ हमारी सरकार टैक्स लगाती

(श्री श्रवणलाल)

हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार के अलावा म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है, उधर पंचायत समितियां। और ग्राम पंचायतें टैक्स पर टैक्स लगाती चली जा रही हैं और गरीब जनता जो इन टैक्स के बोझ के मारे दबी चली जा रही है। टैक्सों का भार पब्लिक पर इतना बढ़ गया है कि वे उस भार को सिर पर सहन नहीं कर सकते। इसके विपरीत अगर देखा जावे तो हमारी सरकार जो टैक्सेज़ लगे हुए हैं उनको वसूल करने में दिलचस्पी लेते हुए भी उनको वसूल करने में बहुत घबराती है। हमारी सरकार टैक्स विभाग पर करीब ७० लाख सालाना खर्च करती है, जिसके अन्दर करीब ६०० के करीब अधिकारीगण हैं जो टैक्स विभाग की देख रेख करते हैं। लेकिन जो वे देख रेख करते हैं वे गरीबों की ही देख रेख करते हैं। जो अमीर आदमी हैं वे लाखों रुपयों को खाकर बैठे हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि गुलाम अब्बास में ८२ हजार रुपया बाकी है, दूसरे बसन्तकुमार है जिनमें २६ हजार का यात्री कर का रुपया बाकी है। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा और कहूंगा कि जो टैक्स के १।।। करोड़ रुपये के आस पास बाकी हैं उनको पहले वसूल करे और एक एक आदमी में ८२ हजार रुपया बाकी है, जिस व्यक्ति ने ८२ हजार रुपया दबा कर रखा है उससे रुपया वसूल किया जाए। यात्री कर का १।। करोड़ रुपया बाकी है और यह काफी अर्से से बाकी है और सन् ५६ से लेकर ६४ तक चला आ रहा है। यह बकाया आये दिन बढ़ती चली जा रही है पिछले साल में इसकी बकाया ६ करोड़ के आस-पास थी वह अब १।।। करोड़ के आस पास हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नया टैक्स नहीं है। सरकार के खजाने में यह पैसा शीघ्र आना चाहिये। वह जनता से उसी वक्त ले लिया जाता है और हमारी सरकार के जो खास आदमी हैं उनसे वसूल नहीं कर सकते। यह टैक्स हमारी पब्लिक डेली देती है किन्तु उनसे वसूल नहीं कर सकते। उनको सरकार अपनी निगाह उठा कर देखती नहीं है। आप जयपुर की सी. टी. एस. बस चलती है उसको देखें। कमल एन्ड को. की बसें चलती हैं। उसमें बैठ कर हम आते हैं तो हम उनको ५ नये पैसे कर के रूप में देते हैं और एक मन्त्री या कोई अधिकारीगण अगर जीप में या कार में बैठ कर आया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वे टैक्स क्यों नहीं देते? क्यों यह उन पर लागू नहीं होता? क्या उनकी गाड़ियां रोड पर नहीं चलतीं? जो एक आदमी कार या स्कूटर में आता है और दूसरा जो सी. टी. एस. में बैठ कर आता है उसमें क्या अन्तर है? जो सी.टी.एस. बस में बैठ कर आता है वह तो ५ पैसे टैक्स के देता है और यह दूसरों पर नहीं। यह बड़े शर्म की बात है। जितना टैक्स आप वसूल करते हैं गरीबों से वसूल करते हैं और गरीबों से इकट्ठे किये हुये पैसों का, धन का आप इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं कि ५६ से आज तक आप अपने उन लोगों से रुपया वसूल नहीं कर पाते जिनमें बकाया है। इस तरह से यदि आपका पैसा किसी किसान पर, किसी गरीब पर बकाया रह जाता है तो कलेक्टर लिखता है तहसीलदार के लिए और तहसीलदार कुड़कियां करता है।

(श्री श्रवणलाल)

गिरदावर जाता है, उस गरीब की भैंस, जानवर, मकान तक को नीलाम कर देता है, ये आपके सारे कानून गरीबों के लिए, किसानों के लिए लागू हैं, हमारी सरकार गरीबों के लिए इस प्रकार सख्ती के नियम बनाती है, हमारी सरकार के आदमी हों, उनके लिए यह कानून नहीं, यह नियम नहीं, गुलाम अब्बास में, बसंत कुमार में ८२ हजार रुपया और २५ हजार रुपया बकाया है, उनसे इस प्रकार वसूल करने का आप नहीं सोचते।

गाड़ियों के टैक्स के बारे में मैं बताऊं कि किस प्रकार धांधली चलती है। गाड़ी टैक्स के बारे में मैं एक अधिकारी के ऑफिस में पहुंच गया तो उन्होंने देखा कि यह गरीब आदमी है, इससे जरूर पैसा वसूल करना चाहिए। जितनी गाड़ियां चलती हैं तो बगैर लिये दिये ये लोग कुछ नहीं करते। यदि देने में कोई आनाकानी करता है तो पैनल्टी वसूल करते हैं। बाकायदा कोई आदमी टैक्स भर रहा है और अगर किसी वजह से दो तीन दिन की भी देर हो जाती है, तो उस गरीब से पैनल्टी वसूल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो छोटे छोटे लोग हैं उन लोगों पर तो पैनल्टी लगाते हो तो गुलाम अब्बास और बसंत कुमार से क्यों नहीं पैनल्टी वसूल करते ? तो आज इन टैक्सों का भार गरीबों पर पड़ रहा है, जो सरकार वसूली करती है, गरीबों से वसूल करती है, जो इन लोगों के आदमी हैं, इस तरह के उन लोगों से वसूली नहीं करती है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जो टैक्स आप दिन ब दिन बदस्तूर लगाते ही जा रहे हैं, जितनी दिलचस्पी आप टैक्स बढ़ाने में लेते हैं, उतनी ही इस प्रकार जो टैक्स की बकाया है उसको वसूल करने में दिलचस्पी लीजिए, जो पौने दो करोड़ रुपया टैक्स का बकाया है, उसकी वसूली करिये, ताकि और ज्यादा टैक्स लगाने में कमी आये।

कुछ मामले ऐसे हैं कि लोन के रूप में हमारी सरकार शहरी आदमियों के लिए पैसा देती है, जो जयपुर शहर में रहते हैं उनको मकान बनाने के लिये लोन मिल जायगा, पर जो गांव में रहता है उसे मकान बनाने के लिये पैसा नहीं मिल सकता। थोड़ा सा प्रोविजन रखा है पंचायत समितियों में, पंचायत समितियों से थोड़ा ले सकते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो आप हाउस लोन देते हैं इसे शहरों तक ही सीमित न रखा जाय, गांवों तक पहुंचाया जाय, ताकि गरीब लोग भी मकान बनायें, अपनी मकान बनाने की इच्छा को पूर्ण कर सकें। लोनजो आप उनको देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, किश्तों के द्वारा उसे देना ही पड़ेगा, तो फिर आप गांवों के लोगों को इससे क्यों महरूम रख रहे हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह लोन सिर्फ शहर वालों को ही नहीं, देहात वालों को भी देना चाहिए ताकि वे अपनी झोंपड़ी की जगह पक्का मकान बना कर जो अधिकारी लोग रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं उसी तरह से रह सकें।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मांग को लेकर इस सदन में चर्चा की जा रही है, वे मांगें राजस्थान के विकास से सम्बन्धित है । राजस्थान के विकास के लिये हम भारत सरकार से कर्ज लेते हैं और उन पैसों को विभिन्न कामों के लिये जनता में वितरित कर, उनके द्वारा विकास के काम हों इस प्रकार की अपेक्षा करके चलते हैं। राजस्थान सरकार की आज की स्थिति के अनुसार हम इस समय लगभग ३१० करोड़ रुपयों पर ब्याज देते हैं और इस वर्ष के बजट प्रावधानों के अनुसार हम लगभग एक साल का साढ़े चार करोड़ रुपया ब्याज का चुकाने वाले हैं । ३१० करोड़ रुपया जिस सरकार पर कर्ज हो, उस सरकार के समक्ष इस बात की आवश्यकता रहती है कि जो हमने कर्जा लिया है उस कर्ज का दुरुपयोग न हो । हम उस कार्य को पूरा करने के लिये जितने भी साधन जुटा सकें वे साधन हम जुटायें । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कर्ज लेने को तो तैयार है और यदि सरकार को पता लग जाय कि भारत सरकार के अमुक मद से कोई कर्ज का प्रावधान रखा गया है तो राजस्थान सरकार भी उसके लिये काफी प्रयत्न करेगी और उसी प्रकार राजस्थान सरकार कर्जा देने में भी काफी तैयार रहती है । यह बात सही है कि जितनी मात्रा में हम कर्जा लें या जितनी मात्रा में कर्जा देने का प्रावधान रखा गया है, उतनी मात्रा में न हम कर्ज ले सके हैं और न उस कर्ज का उपयोग कर सके हैं । पर प्रश्न सबसे बड़ा यह आता है कि इस कर्ज के द्वारा जितना विकास का काम करना चाहते हैं उनकी किस प्रकार की प्रगति है, कर्ज का चुकारा किस प्रकार कर सकते हैं ?

जहां तक ब्याज का सवाल आता है हमारी सरकार मनी लैंडर्स से भी बुरी है। भारत सरकार से कम ब्याज पर लेकर किसानों से ज्यादा ब्याज वसूल करना, यह हमारी सरकार की पद्धति कुछ अर्से से बनती जा रही है ।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहूंगा कि रूरल हाउसिंग स्कीम के नीचे भारत सरकार की नीति है कि राजस्थान सरकार किसानों से ब्याज वसूल करे, उसमें उससे हाफ परसेंट ज्यादा वसूल कर सकती है । पर राज्य सरकार पंचायत समितियों से साढ़े छ परसेंट ब्याज वसूल करती है और भारत सरकार को चुकाती है ४ परसेंट । बाकी बचे ढाई परसेंट को अपने पास रख कर गोलमाल हमारी सरकार करती आ रही है । केवल रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ही अगर इसकी नजीर तैयार की जाय कि भारत सरकार की नीतियों के अनुसार जो आदमी कर्ज लेकर उसका उपयोग करता है तो उससे कितना इन्ट्रेस्ट लेना चाहिये, कितना इन्ट्रेस्ट भारत सरकार को चुकाना चाहिये, तो इस इन्ट्रेस्ट के गोल-माल में राजस्थान सरकार अपनी आमदनी के जरिये ढूंढ रही है । यदि कोई मनीलेंडर

(श्री भैरोंसिंह)

नियमों और नीतियों के विपरीत किसी तरह कर्ज पर ज्यादा व्याज वसूल करता है तो हमने कानून बना रखा है कि उसका प्रोसीक्यूशन किया जाय । मैं राजस्थान सरकार से पूछता हूं कि उस हालत में वह दूसरों का तो प्रोसीक्यूशन करने को तैयार हो जाय और यदि कानून उसके हाथ में नहीं हो तो प्रोसीक्यूशन के कारण पर्याप्त है । भारत सरकार से कम व्याज पर कर्ज वसूल करना और किसानों से ज्यादा व्याज लेकर भारत सरकार को कम चुकाना बाकी रुपये को अपने खजाने में रखना यह अनुचित है । मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोके ।

जहां तक कर्जे देने का सवाल है, इस सवालमें भी बड़ा अन्तर है । रूरल हाऊसिंग के अंदर साढ़े छः प्रतिशत पर कर्जा देंगे लेकिन आज कोई उद्योगपति या कोई पूंजीपति हमारी राज्य सरकार से कर्जा लेना चाहे तो उसको कम व्याज पर कर्जा मिलेगा । आज की जो प्रिवेलिंग रेट है उसके अनुपात में कम व्याज पर राज्य सरकार देगी । मैं एक पुरानी बात कहता हूं, जिससे राज्य की जनता का संबंध है । राजस्थान में जयपुर स्पिनिंग मिल है. उसमें लगभग १६ लाख के शेयर्स सरकार के हैं, १२ लाख के प्रिफरेंशियल शेयर्स और ४ लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स । इन शेयर्स का हमें पहले भी व्याज मिलता था लगभग ५ प्रतिशत । इस व्याज को भी वे चुका नहीं पाए । हमारी राजस्थान सरकार ने, ७ वर्ष का एक्युमुलेटेड फिगर होता था उसको फोरगो किया और उसके बाद में शेयर्स को लोन के अंदर कन्वर्ट किया और उसके बाद व्याज ७ परसेंट का रखा ।

मैं वित्तमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जरा भारत सरकार और बाकी की बैंक्स के दरों पर तुलनात्मक दृष्टिकोण अपने दिमाग में रखें । किसी भी शिड्यूल्ड बैंक से कोई उद्योगपति कर्जा लेंगे तो सिक्योर्ड अमाउंट होता है, उस हालत में साढ़े नौ प्रतिशत पर कर्जा मिलता है और फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से लेना चाहेंगे तो साढ़े सात प्रतिशत । लेकिन यदि राजस्थान का उद्योगपति और राजस्थान के उद्योग के एम्पायर का मालिक श्री रामनाथ पोद्दार लेंगे, जो फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन के चेयरमैन है और जो बाकी के लोगों को साढ़े सात परसेंट पर रकम देता है, यदि स्वयं को राजस्थान सरकार से कर्जा लेना होगा तो वह केवल ७ प्रतिशत पर ले सकेंगे । एक तरफ आपने भारत सरकार से कमिटमेंट किया है, किसान को कर्जा देते समय केवल आधा परसेंट ज्यादा लेंगे, वहां साढ़े चार के बजाय आप साढ़े छः परसेंट वसूल करते हैं । और दूसरी तरफ उद्योगपति को सात परसेंट पर देते हैं । भारत के अंदर बैंक रेट साढ़े नौ प्रतिशत, फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन का रेट साढ़े सात परसेंट, लेकिन रामनाथ पोद्दार को ७ परसेंट के अंदर व्याज पर रकम देने के लिए आप तैयार हो जायेंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार पूंजीपतियों की बनी है या सरकार उनके पोलिटिकल प्रेशर में काबू होकर ऐसा कर रही है या उन किसानों के लिए अच्छा कर

(श्री भैरोंसिंह)

रही है जिनकी भी भलाई के लिये यह विधान सभा सारी की सारी लगी हुई है।

(३.४२ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

चाहे कितना कर्जा हमने गांवों को दिया हो लेकिन बदकिस्मती कर्जा देने से नहीं है, जिन्होंने रकम ली उसको वे कैसे चुकाएंगे, उसके रिटर्न्स कैसे आयेंगे उसकी चिंता सरकार को नहीं। हमने कई उधोगो के अन्दर शेयर्स के द्वारा शेयरहोल्डर बनाया है और कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं; किसी प्रकार के डिवीडेन्ड्स नहीं मिलते, उनकी निगरानी करना हमने अपना काम नहीं समझा। मैंने कई बार राज्य सरकार से निवेदन किया है कि राज्य सरकार कम से कम उन उद्योगों के अन्दर जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनमें सेफगार्ड के लिए कोई एजेन्सी अपनी रखे। लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती। इसलिए जिन कामों के अन्दर हमने अपना पैसा लगा रखा है, उनके ऑडिटेड अकाउंट्स और रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने चाहिए और उसके साथ साथ एक मांग यह भी करना चाहूंगा कि हमने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में अपने दो अधिकारी नोमीनेट कर रखे हैं, लेकिन आज तक दुख के साथ कहना पडता है कि राजस्थान के अधिकारियों ने इन मीटिंग्ज़ में जाकर पार्टीज़ अटेंड की होंगी, ऐशोआराम किया होगा लेकिन राज्य सरकार के एक्सचेकर की उन्होंने चिन्ता नहीं की, कइयों को एजेंडा का पता नहीं, मीटिंग में क्या कन्ट्रीब्यूशन करना है, पता नहीं। सरकार का हित किस प्रकार से सेफगार्ड किया जा सकता है, उसको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं और उसका क्युम्युलेटिव रिज़ल्ट यह है कि जो कुछ हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके कोई रिटर्स नहीं आते, सरकार को घाटा रहता है, नॉन–टैक्स रेवेन्यू बढ़ता नहीं और मजबूर होकर टैक्सेज़ बढ़ाने पड़ते हैं। मैं मान कर चलता हूं कि हमारी जो आफिशियलडम है या सरकारी अधिकारी हैं वे और किसी बात पर फेल हुए होंगे या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे इस हित को सेफगार्ड करने में वे शत प्रति शत फेल हुए हैं। यदि इस प्रकार दो नोमीनेटेड मैम्बर्स जाते रहें, तो वह इन्टरेस्ट भविष्य में भी सेफगार्ड नहीं होगा। इसलिए जहां जहां काफी मात्रा में पैसा दे रखा है वहां पर विधान सभा के सदस्यों में से किन्हीं को नोमीनेट किया जाना चाहिए, ताकि उनकी रिपोर्ट पर सदन में जिस समय विचार होगा जानकारी दी जायगी। तो निश्चित रूप से जो हमारा इन्वेस्टमेन्ट है, उसके रिटर्न्स समय पर मिलते जाएंगे।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां के एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ एरियर्स के बारे में पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि ३१ मार्च १९५० को जिस समय सब रियासतों का विलीनीकरण हुआ उस समय रियासतों की बकाया ४२ लाख थी, उसमें से हमने वसूल किया २६ लाख और उसके

(श्री भैरोंसिंह)

बांद में १३ लाख की बकाया रहती है। ये १३ लाख कहां गए ? वसूल क्यों नहीं हुए ? इसमें से कोई केसेज़ पी० डी० आर० में नहीं चल रहे हैं, लोग खाकर बैठ गए। उन लोगों से हम रुपया वसूल नहीं कर सकते तो कौन करेगा ? यदि उसमें अच्छी पर्सोनेलिटीज़ हैं और उद्योगपति हैं, तो रुपया वसूल क्यों नहीं होता ? उस वसूली में जो पूंजीपति थे, जो मालदार थे उनसे रकम वसूल नहीं हुई, बाकी के लोगों से वसूल हो गई, जो छोटे मोटे लोग थे उनसे पी० डी० आर० के तहत वसूल कर दी, कानून के जरिए वसूली की। आपको गरीबों को सताने की चिन्ता होती है, लेकिन जितने अमीर लोग थे या तो उनका पैसा राइट ऑफ किया गया या वसूल नहीं हो रहा है और न मालूम क्यों यह सरकार पूंजीपतियों का मुकाबला करने में एलर्जिक है। जिप्सम कंपनी में हमारे ४० प्रतिशत शेयर्स हैं, ठीक प्रकार से नहीं चलती हैं, रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, उनके कुछ शेयर-होल्डर्स राज्य सरकार से मन्त्रियों से मिले कि हमारे शेयर्स और आपके शेयर्स मिला कर जिप्सम कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहिये पर सरकार उसका मैनेजमेन्ट अपने हाथ में नही ले पाती; बल्कि उसके करप्शन के केसेज जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे जिप्सम कंपनी कितना खर्चा करे वकीलों के अन्दर, वह भी हमारे माथे, जितने मैनेजर्स ४-४ जगह ऑफिसेज़ रखें, गाड़ियां रखें वे भी हमारे माथे। इसलिए आज विधान सभा के सदस्य चाहे यह महसूस करते चलते हों कि हम किसी कंपनी के अन्दर जिसमें राज्य सरकार ने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है उसके शेयर होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन एज ए टैक्सपेयर, एज ए लेजिस्लेटर कहता हूं कि क्योंकि राज्य सरकार हमारी है, हम इसके खजाने को पूंजी देते हैं और राज्य सरकार उस खजाने से यदि पूंजी का इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्डाइरेक्टली उस कंपनी का एक शेयरहोल्डर मैं होता हूं और उसके नाते मैं राज्य सरकार से जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि वह हमारी इन्वेस्टमेंट को ठीक तरह से लगाने और वसूल करने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ? आपने ६७ करोड़ का कर्जा दे रखा है, उसके अगेन्स्ट में आपने कितनी वसूली की ? आज भी २६ करोड़ बकाया ऐसी पड़ी है जो आप वसूल नहीं कर पाते, जिनका व्याज तक आप वसूल नहीं कर पाते। आप कह सकते हैं कि यह बकाया ऐसी है जो धीरे धीरे आ रही है, उसको हम रेग्युलर बकाया में शुमार नहीं करते, लेकिन यह कर्जा तो बढ़ता जा रहा है।

उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि किस प्रकार से कर्ज़ा दिया जाता है। पिछले दिनों में हमने गोडाउन्स के लिए कर्जा दिया सहकारी समितियों को, जिनका नारा बहुत लगाया जाता है, उनको १६५६ से लेकर १६६१ तक २६ लाख का लोन दिया गया, ८ लाख की सबसिडी दी गई, टोटल ३४ लाख। हमने ३३ गोडाउन्स बनाने के लिए कर्जा दिया। गोडाउन्स बनाने के लिए नियम है कि जिस समय लैंड एक्वायर की जाय उस समय कर्जा दिया जाय।

अब कम से कम ३३ गोडाउन्स के लिये तो कर्जा दे दिया लैंड एक्वीजिशन के तहत

(श्री भैरोंसिंह)

और छः को कर्जा दे दिया दीवारें खड़ी होने से पहले और आज हालत यह है कि ये सब मकान जो छः महीने में बन कर तैयार होने चाहिये, २० सितम्बर, १९६१ तक जिनकी मियाद थी, आज तक १९६५ तक भी गोडाउन्स नहीं बने हैं, जिन लोगों को कर्जा पहले से ही दे दिया गया है। राज्य सरकार कह सकती है कि उनसे कर्जा वसूल करेंगे, लेकिन भारत सरकार से रकम इसलिये नहीं दी जाती कि इन्डिविजुअल उस रकम का फायदा उठायें, सस्ते ब्याज पर रकम लेकर बाकी के लोगों को ब्याज पर देते रहे और व्यक्तिगत फायदा उठाते रहें। आज हालत यह है कि कोई सस्ती दर पर रकम ले ली जाय और उसके द्वारा व्यापार किया जाय या उसके द्वारा दूसरा फायदा उठाया जाय, जब कि कहा तो यह जाता है कि ब्याज शुदा रकम जमा करा देगा। वही हालत है आज रूरल हाउसिंग स्कीम के गोडाउन्स के लिये। वहां पर स्टोर खोलने के लिए रकम देते हैं, उसका भी यही हाल हुआ। उसका दुरुपयोग हुआ और परिणाम अन्ततोगत्वा यह मिलता है कि भारत सरकार का कर्जा बढ़ता जाता है और ब्याज की रकम से लोग अनुचित फायदा उठाते है, अनुचित मुनाफा कमाते हैं और राज्य सरकार उसको किसी प्रकार रोक नहीं पाती है। इससे ब्लेक मनी भी बढ़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकार लोन के माने में डिसेन्ट्रलाइज एजेन्सी रखे डिस्ट्रिब्यूशन के लिए, लेकिन जिस परपज के लिये लोन दिया गया है वह उस काम में आता है या नहीं यह सेन्ट्रल एजेन्सी देखे। वह रिकवरीज का ही ध्यान नहीं करेगी, लेकिन जो कर्जा दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं, वह जिस परपज के लिए लिया जाता है वह उसी काम में आता है या नहीं? जिससे होगा यह कि वह रुपया विकास के काम में लगता हुआ नजर आयगा।

दूसरा एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का प्रश्न आता है। कितना लिया और कितना नहीं लिया, इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात निश्चित कहना चाहूंगा कि जिस समय एन्टरटेनमेन्ट टैक्स बिल प्रस्तुत किया गया था, कई माननीय सदस्यों ने कहा था इस आमदनी पर सरकार का अधिकार न होकर नगरपालिका का अधिकार हो। आज नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति खराब है, वे टैक्स लगा नहीं पातीं टैक्स लगाती हैं तो जनता उनका विरोध करती है, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपने सब अपने हाथ में ले लिये। अब आप नगरपालिकाओं को राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज एक्ट के टेक्सेशन के प्रावधान के अन्तर्गत किसी नगरपालिका को आप हाउस टैक्स लगाने के लिए मजबूर करते हैं, किसी नगरपालिका को ओक्ट्रोय आदि लगाने के लिए मजबूर करते हैं, ड्यूटी में एनहान्समेंट के लिये मजबूर करते ही। एक तरफ पब्लिक से टैक्स लिया जायगा, दूसरी तरफ नगरपालिकाओं की जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स आदि की आमदनी थी उसको सरकार खा जाय और ऊपर से उनको टैक्स लगाने के लिए मजबूर करे यह नहीं हो सकता। पहले यह कहा था कि तीन वर्ष के अन्दर का जो एवरेज एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का आता है, उसका हिस्सा नगरपालिका को दिया जायगा, यह आपने उस समय घोषणा की थी जब

(श्री भैरोंसिंह)

कानून बना था, उससे पहले के तीन साल के एवरेज को मान कर एन्टेरटेनमेन्ट टैक्स का हिस्सा जो नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये था वह दिया है क्या ? मैं उस राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बार बार अपने फाइनेन्स मेमोरेन्डम के द्वारा भारत सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर के पास जाकर कहती है – हमको हमारे टैक्सेज़ का इतना हिस्सा मिलना चाहिये, टैक्सेज़ बढ़ गये हैं, वसूली भी ज्यादा हुई है, उस राज्य सरकार का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि जिस सिद्धान्त को लेकर वह भारत सरकार के पास जाकर उस पर दबाव डालती है, उसी सिद्धान्त के आधार पर नगरपालिकाओं की जो रिसोर्सेज़ है, उनको इस राज्य सरकार ने दबोच रखा है उसको तो रिलीज़ कर दे। उनको रिलीज़ करके नगरपालिकाओं को दे यह मैं उस राज्य सरकार को कहना चाहता हूं जो सिद्धान्तों की दुहाई देकर भारत सरकार के पास दौड़ती है और हिस्सा मांगती है।

इसी प्रकार पंचायतों का सवाल आता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका और पंचायत ये चार एजेन्सीज़ हैं इसके बीच पचायत समिति भी आ जाती है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, बजट का मोटा पोथा तो आपने बना दिया, यह तो कह दिया कि १, ५५ लाख के टैक्सेज़ लगाये गये हैं, कभी राज्य सरकार ने इस बात की चिन्ता की कि राजस्थान की जनता जो पंचायतों में रहती है, जो नगरपालिकाओं में रहती है; कितना कितना टैक्स देती है, भारत सरकार का बर्डन कितना आता है और राजस्थान सरकार टैक्स इम्पोज करने जा रही है उसका कितना आता है, जिस मद में ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं उसकी पोटेन्शियलिटी क्रियेट की जाय उसकी आप कोशिश करते हैं ? मैं वित्त मन्त्रीजी को चुनौती देकर कहता हूं कि आपके पास एक घन्टे का समय है, आप टेलीफोन करके पूछ लीजिये कि पंचायत ने कितना टैक्स लगाया, नगरपालिका ने कितना लगाया और आपने कितना लगाया और टोटल टैक्स बर्डन जनता पर कितना आता है, आप नहीं बता सकते। बाकी टैक्सेज़ की जानकारी नहीं रखते हुए आप जनता पर टक्स लगाते जाते हैं। यह कन्सोलिडेटेड स्थिति है कि राज्य सरकार की टैक्सेज़ केपेसिटी कितनी है, पब्लिक की टैक्सेज़ केपेसिटी कितनी है और किस किस पर लगा दिया यह डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। जिसकी मर्जी में आया उतना टैक्स लगा दिया। इस प्रकार टैक्सेज़, जितना जिसकी मर्जी में आया लगा दिया, लगा कर जनता का शोषण करना चाहती है राज्य सरकार। इसलिए ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि टैक्सों के लिए नगरपालिकाओं के पास साधन छोड़ना आवश्यक है, टैक्सों की वसूली भी बड़ी आवश्यक है और लोन्स ले रहे हैं और ले रखे हैं और हमें चुकाने हैं, उन सब के लिए राज्य सरकार को बड़ी सावधानी से चलना होगा। वर्ना आप कह कर चल दिये कि मैं चुका दूंगा। जिस प्रकार वित्त मंत्रीजी श्री हरिभाऊजी ने कहा था कि मैं कर्जा ले रहा हूं, वह मैं पाई पाई चुकाऊंगा, वे तो बीच में चले गये बिना चुकाये

(श्री भैरोसिंह)

हुए ही और आपने भी, ३०० करोड़ का कर्जा ले लिया, आप भी कहीं चले जाओगे और सन् ६७ के चुनाव आ रहे हैं, कौन जाने आप फाइनेन्स मिनिस्टर रहोगे या नहीं, लेकिन राजस्थान की जनता और उस पर ३०० करोड़ का कर्जा तो यों का यों बना रहेगा। कर्जा का चुकारा कर पायें, उसका दुरुपयोग न हो और समय पर रियलाइजे़-शन हो, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनका रियेलाइजे़शन बराबर हो, रिटर्न बराबर मिले, इसके मद के अन्तर्गत जो व्यवस्था हम कर सकते हैं हमें करनी पड़ेगी, और व्यवस्था नहीं कर सकते. जो चालाक हैं, चतुर हैं, होशियार हैं, जिनका पोलिटिकल बैंकिंग है, वे टैक्स का इवेज़न करते हैं और गरीब हैं वे पकड़े जाते हैं। आपकी राज्य सरकार या भारत सरकार कितनी ही रिपोर्टें तैयार करे लेकिन जो लो-इन्कम ग्रुप का समाज है वह टैक्स का इवेजन नहीं करता है, टैक्स का इवेज़न तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े ऑफिसर करते हैं।

मैं सरकारी अफसरों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। हमारे बड़े बड़े अफसरों ने बंगले बना लिये हैं। प्यारे न लगते हों, ऐसी बात नहीं; अच्छे बंगले बनने चाहिये। राज्य सरकार से कर्जा लिया। किसी ने २० हजार कर्ज लिया, किसी ने १५ हजार कर्ज लिया, किसी ने २५ हजार कर्ज लिया और बंगलें की एस्टीमेटेड कोस्ट, किसी की जाकर देखिये ८० हजार, किसी की ९० हजार, किसी की जाकर देखें तो १ लाख। २० हजार का कर्जा लिया, तनख्वाह से कर्जा चुकाया जा रहा है, मकान ८० हजार का कहां से बन गया ? यह रकम आयी कहां से ?

(४.०० म. प.)

आज मैं यह नहीं कहता कि रिश्वत लेकर आये हैं, या लूट कर लाये हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह रकम आयी कहां से ? रकम कर्जा लिया। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने कॉमशि-यल बैंक से कर्जा लिया २० हजार का। यदि इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्जा लिया गया है तो वे चुकायेंगे कहां से ? तनख्वाह के साधन तो सीमित है, तो फिर कर्जा चुकायेंगे कहां से ? आज आप चिन्ता नहीं करेंगे तो मैं एक ले मेन के तौर पर नहीं बल्कि रेस्पोन्सिबीलिटी के साथ कह सकता हूं कि जिन आदमियों के इस प्रकार के अकाउन्ट्स हैं वे ब्लैक मनी के हैं, आप उनको निकलवाने के लिए इश्तिहार भले ही छाया करें वह निकलने वाला नहीं। आपको देखना होगा कि एक अधिकारी या एक मंत्री सर्विस में आता है, उस समय उसके पास कितनी प्रोपर्टी थी मूवेबल और इम्मूवेबल, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। हम पोलिटिशियन्स हैं जो बचे हुए हैं। हमें डिक्लेरेशन देने के लिए पाबन्द नहीं कर रखा, यह बुरा है। हम यदि अपने ऊपर कन्ट्रोल करके चलेंगे तो सरकारी मशीनरी भी जागरुक रहेगी। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या उन सबने अपनी प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन दे रखा है या नहीं ? यदि दे रखा है तो यह जो एनहान्समेंट हो रहा है वह किस प्रकार से

(श्री भैरोंसिंह)

हो रहा है ? यदि ब्लैक मनी से होता है तो उसका इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए । इस इन्वेस्टीगेशन का नैतिक आधार यह होगा कि उनके सर्विस में एन्टर होने से पहले कितनी प्रोपर्टी थी । केवल झोपड़ी थी, तो आज इतनी प्रोपर्टी बनाने के लिए कहां से साधन आ गये, कहीं इसके लिए रोंग मीन्स तो एडोप्ट नहीं किये, यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो आप फाइनेन्सेज़ पर कन्ट्रोल कर पायेंगे। अगर आप फाइनेन्सेज़ पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये तो यह मान कर चलिये कि निश्चित रूप से ब्लेक मनी क्रिएट होगा । फिर आप जिस पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे । इसीलिए मैंने उदाहरण के रूप में इन हाउसेज़ के बारे में जिक्र किया. राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और विचार करने के बाद में आवश्यक कदम उठायेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदया, आज हम एक मद पर चर्चा कर रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा जो ऋण दिया गया है, जो पेसेन्जर टैक्स का बकाया है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में राज्य सरकार की नीति क्या है इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । मैं भी सभापति महोदया, जहां तक बिजली का प्रश्न है चूंकि इस पर बहुत कम कहा गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली की चोरी को रोकने में बिल्कुल सजग नहीं है । जितने भी इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर कायम कर रखे हैं चाहे वे सरकार के हों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हों, बिजली की जो चोरियां राजस्थान में हो रही हैं, उनको रोक नहीं पाये हैं । मुझे अफसोस इस बात का है कि राज्य सरकार के सामने कोन्क्रीट उदाहरण रखे गये, मीटर्स तोड़ दिये जाते हैं, रीडिंग बदल दिया जाता है, सारे फैक्ट्स बताने के बावजूद भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ कार्यवाही नहीं कर पा रहा है । बीकानेर के दस केसेज इस प्रकार के दिये, विद्युत अधिकारियों के ध्यान में लाये गये । तीन साल तक लिखा-पढ़ी की, सदन में सवाल तक पूछे गये, लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं फिर भी राज्य सरकार और स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है ।

आपने ५२ करोड़ रुपया राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, दिन प्रति दिन और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा । क्योंकि गांवों में बिजली देनी है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में बिजली देनी है । इसलिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसी हालत में हमारा बिजली विभाग सजग नहीं रहेगा तो लाखों रुपयों का नुकसान सरकार को प्रतिवर्ष उठाना पड़ेगा । इसके ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि समय का अभाव है । यदि माननीय मंत्री चाहेंगे तो कोन्क्रीट केसेज़ भी मैं उनके सामने रख दूंगा ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : किस बात के ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मीटर टूटने के, बिजली की चोरी के । क्योंकि

Page No 107

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इलेक्ट्रिसिटी पर ड्यूटी के बारे में विवाद चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से किस प्रकार इन्कम हो सकती है? ड्यूटी तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर कायम होगी। यूनिट की ही चोरी हो जाती तो ड्यूटी पर इसका डाइरेक्टली असर पड़ रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वित्त मंत्री महोदय आपका अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ा हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा हुआ है ही। लेकिन अधिकार-क्षेत्र में जो बाधायें हैं वे ज्यादा पॉवरफुल हैं। हमारे वित्त मन्त्री महोदय बहुत बार महसूस करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार द्वारा जो ऋण देने की नीति है वह बड़े आदमियों को करोड़पति बनाने की, गरीब आदमी को नजरन्दाज की नीति है।

सभापति महोदया, मेटल कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया और जामसर कम्पनी में ४० प्रतिशत शेयर्स सरकार के हैं। जामसर में जो मैनेजिंग एजेन्ट हैं वे ही मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया के मालिक हैं। इसी कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। आज मैटल कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया को जो जामसर कम्पनी के भी मालिक हैं एक करोड़ रुपये की गारन्टी दी है और उसको ६५ लाख का लोन दिया है। आपने गारन्टी और लोन किस बात के लिये दिया? क्या उसके पास इसको खड़ी करने के लिए पैसा नहीं? मैं आपसे कह देता हूं आप आगे चल कर फिर इस कॉर्पोरेशन को दो करोड़ तक के लोन देने के लिए मजबूर होंगे। इतनी बड़ी गारन्टी देकर किस इन्डस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं? ६५ लाख का लोन देने के बाद फिर उसके लिए १ करोड़ की गारन्टी एडवान्स कर दी। क्या आवश्यकता थी इस कॉर्पोरेशन को इतना रुपया देने की? आप खुद इतनी पूंजी लगाकर शेयर होल्डर्स इकट्ठा करके आपको इस कम्पनी को पब्लिक सेक्टर में डालना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने व्रत लिया है; बंगाल के पूंजीपति हैं, राजस्थान सरकार उनको करोड़पति बनाने जा रही है और इसी पर सुखाड़िया सरकार कहती है हम राज्य में उद्योग-धन्धे पनपा रहे हैं।

देवस्थान विभाग का ३० लाख का ऋण स्वदेशी काटन मिल को आपने दिलाया, बीस लाख रुपया किशनगढ़ टैक्सटाइल मिल को दिलाया, १२ लाख रु. भीलवाडा टेक्सटाइल मिल को देकर आप उसको खड़ा रख रहे हैं। इतना रुपया इनको लोन देकर आप यह कहते हैं कि हमने राजस्थान में इतना पब्लिक सेक्टर क्रिएट कर दिया। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना दिया। यह जो आप लाखों रुपयों का ऋण बड़ी-बड़ी कम्पनियों को दे रहे हैं, यह राजस्थान की जनता के लिये और राज्य के औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं है।

राजस्थान में औद्योगिक विकास करना ही है तो राज्य में पैदा होने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वाले कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने से ही होगा। राज्य की छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ को लाख, पचास, पचीस हजार रुपया का लोन दिया जा सकता है और जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सरकार को चाहिए कि वह अपने हाथ में ले उसको पब्लिक सेक्टर में डालिये। तब कहीं जाकर राजस्थान में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ठीक ढंग से काम कर सकता है।

इन सारी नीतियों के सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपका इस पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल है या बिल्कुल नहीं है? मेटल कोर्पोरेशन के बारे में साफ तौर से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इनको दो करोड़ रुपया ऋण शेयर के रूप में कर देने का निर्णय किया है। क्या इस तरह का प्रोपोज़ल हो गया है? आप, हो सकता है अभी तो यह कह दें कि जिस वक्त में मैं जवाब दे रहा हूं उस वक्त तक कोई प्रोपोज़ल सामने नहीं था, बाद में हो गया। अभी नहीं भी हो, लेकिन मैं यह कह सकता हूं इसके बाद में भी साफ तौर से राज्य सरकार की क्या नीति है? इस बारे में भी वित्त मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं वित्त मंत्री का ध्यान कुछ ऐसे कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो बेक डेट्स में हो चुके हैं। विजयनगर शुगर फेक्टरी को आपने पांच लाख रुपया ऋण दिया है। वह शुगर फेक्ट्री बन्द पड़ी है, उसको आप किस तरह से वसूल करेंगे? टैक्सटाइल मिल पर भी बहुत ऋण था उसको भी आपने १५ लाख का कर्जा दिया है उससे टैक्सटाइल मिल कुछ चलने लगा है। शुगर मिल और टैक्सटाइल मिल दोनों के मालिक एक हैं। आज शुगर मिल बहुत रद्दी हो चुकी है जो स्क्रेप में बिकने लायक है, उसको पांच लाख रुपये का लोन आपने किस आधार पर दे दिया, यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं जिनमें आप लाखों रुपयों का ऋण देते हैं हम उसका ऑडिट किस तरह से कराते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराने मात्र से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें जितना खर्चा उनके अनुसार किया गया है आप ठीक मान लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात योजना मंत्रीजी से संबंधित है, सरकार अगर किसी कम्पनी को लाखों रुपयों का ऋण देती है आपके जिसमें शेयर हैं, उसका ऑडिट हमारे राज्य सरकार के ऑडिटर द्वारा होना चाहिए। नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधन करवाया जाना चाहिये। ताकि इसका ऑडिट होने पर मालूम हो सकेगा कि कम्पनी में कितना घोटाला है, यह राज्य सरकार का आडिटर है वह देख सकता है उसका निरिक्षण कर सकते हैं। आपके डाइरेक्टर जाते हैं, आई० ए० एस० अधिकारी हैं; दो तीन मीटिंग्ज़ अटेन्ड करते हैं उनकी खातिर तवज्जोह की जाती है; बहुत बड़ी कम्पनियों के डाइरेक्टर हैं इस खातिर तवज्जोह में वे भूल जाते हैं, कि उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है। उन कम्पनियों में जो सिम्पल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तरीके से नाजायज़ खर्चा होता है उन खर्चों पर वे डाइरेक्टली कभी बोलते नहीं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : इससे मेरा क्या मतलब है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन है कि मेवाड़ टेक्सटाइल जो आप स्टेट अन्डर्टेकिंग में हैं उसके द्वारा पिछले कई सालों में चन्दा दिया गया है, उसी तरह जामसर कम्पनी द्वारा भी चन्दा दिया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट अन्डर्टेकिंग मेरे पास नहीं हैं; मेवाड़ टेक्सटाइल मिल मेरे पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मिला-जुला सब्जेक्ट है, आपका भी रेफरेन्स है चूंकि इन कम्पनियों में चालीस प्रतिशत शेयर्स हैं, अगर वह कम्पनी किसी को २५ हजार रुपया चन्दा देती है, उसका चालीस प्रतिशत बर्डन स्टेट एक्सचेकर पर पड़ता है। स्टेट एन्टरप्राइज़ेज़ में पोलिटिकल पार्टीज़ को चन्दा दिलाने की नीयत नहीं रखनी होगी। जिसमें आपके शेयर्स हैं, उन अन्डर्टेकिंग्ज से पोलिटिकल पार्टीज को चन्दा दिया जाता है वह बन्द करवाइये। इसके साथ ही जहां तक पेसेन्जर टेक्स का सवाल है, आपकी सरकार को इस बात में क्या कठिनाई है कि आप खुद टिकट छपवा दें, उन टिकटों को एडवान्स में जिन ऑपरेटर्स को बस चलानी हो, कानून के अन्तर्गत लाजिमी कर दिया जाय कि वे आपसे उतने टिकट खरीदें। उसमें जहां जहां के टिकट बनें उसका किराया और पेसेन्जर टेक्स का इतना, दोनों शामिल करके छपवा लें। इस तरह से हमारी सरकार प्रेसेज़ से छपवाकर उन टिकटों को एडवान्स में पार्टीज़ को दे दे। इसका नतीजा यह होगा कि किसी में एक पैसा भी पेसेन्जर टेक्स का बकाया नहीं रहेगा। अगर कोई फर्जी टिकट इश्यू करता है तो उस बस का परमिट केन्सिल कर दीजिये या उसका प्रोसीक्यूशन कीजिये। उसके साथ-साथ आप यह भी ध्यान रखिये कि कोई बिना टिकट तो बस में नहीं बैठा है। आज आपकी तीस लाख की पेसेन्जर टेक्स की बकाया है, पहले साठ-सत्तर लाख की थी लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार आपको पेनल्टी लगाने का अधिकार नहीं, इसलिये वह तीस लाख रुपया रह गया। जो भी है उसमें मुख्य मंत्री के साले में पांच सात हजार रुपया है, गुलाम अब्बास हैं उनमें पैनल्टी के अलावा २२ हजार रुपया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बसन्तकुमार में २८ हजार रुपया बकाया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टिकट छपाने की तो हमारी सरकार को फुरसत नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा : बस मालिकों में कुल ३३ लाख रुपये की बकाया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, पैसेन्जर टैक्स की जितनी रकम

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ऑपरेटर्स में बाकी हैं ? जितनी रकम गुलाम अब्बास में बाकी है उतनी रकम किसी भी बस ओपरेटर में नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : श्री बसन्तकुमार में भी तो पैसेन्जर टैक्स का बकाया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बसन्तकुमार की बात मत करो उसने तो १२ साल की उम्र में ही ग्रो मोर फूड के अन्तर्गत जमीन बोनी शुरू कर दी थी।

श्री मथुरादास माथुर : आप उनके कामदार हैं क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं यह नहीं समझ सका कि श्री बसन्तकुमार ने जो अपना एड्रेस दिया है उसमें ठिकाना जाकिरहुसेन गुलाम अब्बास लिखा है। मैं नहीं समझ पाया उन्होंने केअर ऑफ उनका कैसे लिखा ? फिर मैंने पता लगाया तो यह मालूम हुआ कि दोनों इन्टर रिलेटेड हैं और दोनों फर्म्स एक ही प्रकार की है; जिसमें चीफ मिनिस्टर महोदय डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड हैं।

आप उनसे तीस हजार रुपये की रकम वसूल करेंगे, लेकिन जो चार साल तक रकम रोक रखी है, उसके ब्याज का क्या होगा ? इसके अलावा दूसरे बस ऑपरेटर्स में जो रकम बकाया है, उसके लिये आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन में दो साल पहले वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इन बकायात को मैं तीन महीने में वसूल कर लूंगा, वित्त मंत्री बैठे हैं और रकम खड़ी है।

श्री मथुरादास माथुर : रकम खड़ी है, डूबी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और आपकी चौकड़ी भी मौजूद है।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार भी डूबी नहीं है, अभी खड़ी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरी सरकार आयेगी तब पता चलेगा कि आपने जो रकम उधार दी उसमें से डूबत खाते में कितनी है ? अभी तो आपकी सरकार है इसलिये आपको पता नहीं। दूसरी सरकार आयेगी बेलेन्स शीट बनायेगी, तब पता चलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंह जी कह रहे थे, सरकार तो आपकी और हमारी है; और आप हमारी-तुम्हारी कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : और दूसरी आने वाली नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके साथ ही रकम और आप सब एक साथ ही डूबेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस समय आप अलग थोड़े ही होंगे। मेरा निवेदन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह है कि आप इस ओपरेटर्स को सब को टिकट अपने यहां से छपे हुए दे। पैसेन्जर टैक्स के पैसे एडवान्स में वसूल किये जायें। आयन्दा सदन के सामने पेसेन्जर टैक्स की रकम बकाया है। ऐसी कोई बात नहीं आने पावे।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स को हजारों रुपया कभी कुछ सब्सिडी के रूप में देते हैं, बिल्डिंग खड़ी करने के लिये आदि इस प्रकार कई केसेज़ ध्यान में आते हैं, लाखों रुपयों की रकम दी गई उनका तीन साल तक उपयोग नहीं किया। चाइल्ड वेलफेयर की स्टेट कौन्सिल है उसको पचास हजार रुपया दिया गया, उस रुपये को कौन्सिल ने अपने पास रखा, चूंकि भवन नहीं बनाया, इसलिये तीन साल बाद उस रुपये को वापिस लौटा दिया, लेकिन जो पचास हजार रुपया तीन साल तक रहा उसका जो ब्याज लगा वह कहां गया ? इस तरह से ब्याज न मिलने के कारण उस रुपये का दुरुपयोग हुआ। इससे स्टेट एक्स-चेकर को नुकसान हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इन्टरेस्ट का नुकसान होता है इसकी तरफ भी राज्य सरकार को बहुत तवज्जोह देनी चाहिए, क्योंकि आखिर इन्टरेस्ट जो लगता है, इन्वेस्टमेन्ट पर जो हम को इन्टरेस्ट चुकाना पड़ता है, वह हम पर एक बर्डन है और यदि हमने उसके इक्वीवेलेन्ट इन्टरेस्ट वसूल नहीं किया, तो हमारे राज्य की रेवेन्यू में एक प्रकार का अनावश्यक नुकसान हो जायेगा। इसलिए जितने इन्स्टीट्यूशन्स को आप सब्सिडी देते हैं और जो अपने मनी को यूटीलाइज़ नहीं करते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके ऊपर भी डाइरेक्ट विजिलेन्स रखा जाये और हमारे वित्त मंत्री जी जो करोड़ों रुपया अलग अलग इन्डस्ट्रीज को लोन के रूप में देते हैं पंचायत समितियों के थ्रू, म्युनिसिपैलिटीज़ के थ्रू, इन्डस्ट्रीज डिपार्ट-मेंट के थ्रू इसका एक कन्सोलीडेटेड स्टेटमेंट इस सदन की मेज पर रखें। निकट भविष्य में यह मैं उनसे मांग करना चाहता हूं, उसका डिटेल्ड स्टेटमेंट रखें और जो कार्पो-रेशन्स आपने बनाये हैं फाइनेन्स कार्पोरेशन बना दिया, वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन बना दिया, अब आप सर्किट हाउस का कोर्पोरेशन बना रहे हैं इसमें करोड़ों और लाखों रुपये लोन के दे देते हैं और हम उनके बारे में कभी कुछ कहते हैं तो कह दिया जाता है यह स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे योजना मंत्रीजी ने कहा था कि कुछ विज्ञापन वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन ने दे दिये अब वह एक स्टेचुटरी बॉडी हैं—मैं कहता हूं कि इस तरह से हाथ झड़काने से काम नहीं चलेगा जिन कार्पोरेशन्स में हम करोड़ों रुपये लगाते हैं, उनकी बेलेन्स शीट और उनके प्राफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट्स के आंकड़े आपको चाहिए कि आप उनको इस सदन के माननीय सदस्यों को प्रतिवर्ष सप्लाई करें और वेयरहाउसिंग के ऊपर फुल डिस्कशन होना चाहिए। इन सुझावों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट तो उनकी आ जाये ठीक है, रिपोर्ट आने के

(श्री मथुरादास माथुर)

बाद में आप तो प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट्स देख कर यहां विवाद करें, लेकिन हम कैसे रोकें कानून में, यह तो बताओ ? आपने कहा था कि एडवर्टाइज़मेंट का, वेयरहाउसिंग का सवाल लाये, मैंने निवेदन किया था कि डाइरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स को आपने अधिकार दे रखे हैं और जो कोर्पोरेशन्स बनते हैं, वे कम्पनीज़ एक्ट के तहत बनते हैं, उसके बाद में आप यहां उनकी बेलेन्स शीट मांगें और प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट्स मांगें, सदन में वह पेश हो जायें तो आप उनको क्रिटिसाइज़ करोगे कि घाटा हुआ; यह हुआ, वह हुआ, जो कि कानून के अन्तर्गत हो नहीं सकता। अब आपने वेयर-हाउसिंग के एडवर्टाइज़मेन्ट के लिए कहा, जो कि कुल ही १३०० रुपये के थे....

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनका तो मैंने केवल रेफरेन्स ही दिया था।

श्री मथुरादास माथुर : यह मिनिस्टर कैसे रोके, सदन कैसे रोके ? आपने पॉवर्स तो उनको दे दिये। रूल्स के लिए राज्य सरकार क्या करे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा निवेदन है कि आप यह कहकर अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते कि ये स्टेचुटरी बॉड़ीज़ हैं और इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और उन पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : पिंड तो आपने कानून में बांध दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कहने से काम नहीं चलेगा। इस सदन की इमदाद की आवश्यकता है, तो यह सदन उन कानूनों में आवश्यक संशोधन लाने के लिए तैयार है। हम स्टेट गवर्नमेंट की पॉवर्स को बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि इन स्टेचुटरी बॉड़ीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेन्स होना चाहिए राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार का कन्ट्रोल नहीं है तो इस सदन का भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन बॉडीज़ पर कन्ट्रोल रखने के लिए किसी प्रकार का प्रावधान कानूनों में करना आवश्यक है, तो वह संशोधन माननीय मंत्री महोदय करायें और विरोधी दल इसमें आपका बराबर साथ देगा। लेकिन आप एक सेल्फ सफिशियेन्ट बोर्ड की तरह से खड़ा कर दें जिसमें आपका इन्टरफियरेन्स नहीं हो सकता, तो मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिसी का कोई मसाला हो तो बराबर इस राज्य सरकार का और सदन का उनके ऊपर कन्ट्रोल होना चाहिए। आज करोड़ों रुपये उनके द्वारा खर्च हो रहे हैं, उनके ऊपर कन्ट्रोल नहीं हो, यह कतई वाज़िब नहीं है। इसलिए वह कन्ट्रोल होना आवश्यक है। इसलिए आप जो नियमों में इसके लिए संशोधन करना चाहते हैं तो करा लें, राज्य सरकार उस तरह का संशोधन नियमों में ले आये और ऐसा हम करने के लिए तैयार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपके डाइरेक्टर्स उसमें बनते हैं, चैयरमैन उसमें बनते हैं, लेकिन आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते। जिस दिन आपके हाथ से दस्तखत हो गए तो काक साहब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

डाइरेक्टर हो जायें, दूसरे हो जायें जब आप नोमीनेट करते हैं; ये आपके हाथ में डाइरेक्टली पॉवर्स हैं तो फिर आप जिम्मेदार कैसे नहीं हैं, आप बतला दीजिए उसके लिए। आपका कहना है कि चेयरमैन गड़बड़ करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोनोमस बोडी है। आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कक्कड़ साहब, उसको तो आप अपने दस्तखतों से करते हैं वह गड़बड़ी करता है तो क्यों नहीं आप एक्शन ले सकते? आप कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है और आप इस तरह की आड़ नहीं ले सकते। कोई रूल्स के बदलने की जरूरत है तो आप उसको बदलिये। आप उनके काम को देखने वाले हैं, आप मिनिस्टर हैं उसके। इसके बाद जब आप ही तो नोमीनेट करने वाले हैं तो आप यह कैसे कहते हैं कि कोई एक्शन नहीं ले सकते।

श्री मथुरादास माथुर: भाषण तो आपका अच्छा लगा। हम डाइरेक्टर्स को गवर्नमेंट की तरफ से नोमीनेट करते हैं। इसका हक है राज्य सरकार को। खास तौर से मैं उन एन्टरप्राइजेज के बारे में कहता हूं, जिनमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेन्ट है और प्राइवेट लोगों का भी है उसमें डाइरेक्टर्स को मुकर्रर कर देते हैं और जिसमें मैजोरिटी में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं तो नेशनलाइज हो जाय। डाइरेक्टर्स जहां वाच डॉग की तरह से काम करते हैं लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में न तो मिनिस्टर कुछ कर सकता है न यह सदन। यह कम्पनी लॉ और कोर्पोरेशन एक्ट सेन्ट्रल एक्ट है। आप वकील हैं इसलिए कह रहा हूं। आपने (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा) जो कहा वह भावात्मक बात कही...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं कोई भावात्मक बात कहता हूं ?...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन का एक्ट तो अपना एक्ट है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपको अधिकार है। दूसरी कम्पनीज की जैसे आपने बात कही मैं मान सकता हूं आपका हाथ नहीं हो सकता, यह समझ में आता है, लेकिन यह जरूर होता है किसी के ऊपर प्रिफरेन्शियल शेयर के पैसे हो जायें तो आप शेयर को बदल दो लोन में। यह आपके ही हाथ में होता है. नोमीनेटेड के हाथ में नहीं होता है, फाइनेन्स मिनिस्टर के हाथ में होता है; उनको बदले या नहीं। जो कर्ज की रकम है उसके शेयर बनाते चले जायें यह भी फाइनेन्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी है...

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक तो कम्पनी की बात है, जिसमें हमारे मैजोरिटी शेयर्स नहीं हैं और एक कोर्पोरेशन जो कि सेन्ट्रल एक्ट के तहत है, तो जो इस विधान सभा द्वारा कोर्पोरेशन का एक्ट बनाया गया उसमें तो डाइरेक्टली नियम बना सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: यह सदन तैयार है क्या कि जो कोर्पोरेशन्स बनाये जायं स्टेचुटरी कोर्पोरेशन्स ऑटोनोमस उनके

Page No 114

(श्री मथुरादास माथुर)

ऊपर गवर्नमेंट को अधिकार दिया जाये कि वह इन्टरफियर कर सकती है, इस तरह की भावना है सदन की ?

कुछ माननीय सदस्य : बिलकुल !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप यही कहलवाना चाहते थे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बहुत आवश्यक है और आपका कन्ट्रोल नहीं है तो हमारा कन्ट्रोल क्या है, क्योंकि हमारा कन्ट्रोल तो आपके ऊपर हो सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसीलिए तो मैंने यह रखा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम तैयार हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आप तैयार हैं तो ठीक है मैं भी ले आता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हम चाहते हैं कि कोर्पोरेशन्स राष्ट्रीय हित में काम करें और उनका परिणाम अच्छा निकले और इसीलिए वे बनाये जाते हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्यों परेशान हो रहे है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह हम सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वहां घोटाला हो जाये और माननीय मंत्री महोदय बहाना बनाते चले जायें।

श्री मथुरादास माथुर : फिर यह यूनीवर्सिटी में भी आयेगा और कोर्पोरेशन्स में भी आयेगा। इसलिए सदन इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर लें और तीन-चार पढ़े-लिखे वकील लोग विचार कर लें, चर्चा कर लें। भावनात्मक नहीं हों, वे चले गये अभी। तो मैं चाहता हूं कि आपस में बातचीत करके रास्ता कोई निकाला जाये। कोर्पोरेशन्स में इन्टरफियरेन्स राज्य सरकार का नहीं होना चाहिए, ये भाषण उसी तरफ से आते हैं कोई इस तरफ से तो आते ही नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यूनीवर्सिटीज को और कोर्पोरेशन्स को एक साथ मत मिलाइये। यूनीवर्सिटी की बात और है और कम्पनीज और कोर्पोरेशन्स की बात और है। हम चाहेंगे कि सरकार कोर्पोरेशन्स के ऊपर पूरी तरह से अपना स्ट्रिक्ट विजिलेन्स रखे, यह पूरा पब्लिक सेक्टर में भी जाये, अच्छा है, आपका चैक-अप बढ़ेगा और पर्सनल जो प्रोफिटियरिंग है वह भी नहीं होगा, इसके लिए हम कहते हैं आप एक बिल लाइये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यूनीवर्सिटी के बारे में अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुला कर बातचीत करें, लेकिन फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन्स के लिए तो राय बिलकुल साफ है कि आपका कन्ट्रोल, इन्टरफियरेन्स, सुपरवीज़न पूर्ण रूप से होना चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय सभापति महोदय ....

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय उत्तर देंगे। (वित्त मंत्री से) आप अपना उत्तर प्रारम्भ करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं एक-दो पाइंट कह दूं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : I am sorry.

श्री मथुरादास माथुर : अगले साल भी बजट सेशन आवेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : चेयरमेन महोदया, यह जो डिमान्ड आज सदन के सामने पेश की हुई है, उस पर १० कटमोशन्स पेश हुए थे। उनमें से ८ कट मोशन्स तो पेसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्स से सम्बन्धित और दो कटमोशन्स लोन्स एण्ड एडवान्सेज़ से सम्बन्धित थे।

चेयरमेन महोदया, बहुत कुछ जो भाषण हुए उसका मैं अगर एक जिस्ट लूं और उनको केटेगोराइज़ करूं, उसके हिस्से करूं तो मुनासिब होगा और जवाब भी उन्हीं दिशाओं में हो सकेगा।

मैं इसलिए पहले जितने भी गुड्स एण्ड पेसेन्जर टैक्स के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उनका विश्लेषण करना चाहता हूं। चेयरमेन महोदया, मैं इतना निवेदन करूं कि पेसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स जब से लगा है उक्त वक्त से आज तक उसमें कितनी आमदनी हुई, कितनी रेवेन्यूज है, वह माननीय सदस्यों को जानकर इतनी जरूर खुशी होगी कि रफता रफता हर साल उसमें तरक्की हुई है और तरक्की होने के साथ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टैक्स की रेट बढ़ती रही तो आमदनी में तरक्की होती रही और बकाया भी उतने ही ज्यादा बढ़ते रहे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसीलिए इस बात पर आ रहा था कि जहां तक उसकी रेवेन्यूज का ताल्लुक है वहां तक तो कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं कहेगा कि उसकी आमदनी में कोई खराबी है, कोई कमी है और उसमें कोई गलती है। लेकिन जितना जोर माननीय सदस्यों ने दिया वह एक तरफ था जिससे यह मालुम होता था कि माननीय सदस्यों ने यह देखा कि उसमें बहुत से एरियर्स हैं पुराने जो कि वसूल नहीं होते हैं, उसमें कुछ अनिमितताएं होती हैं, कुछ उसमें गलतियां होती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने आज ही नहीं, पहले भी मेरा ध्यान इधर आकर्षित किया, और यह उनका हक है कि जितनी त्रुटियां हों, जो कुछ कमियां हों वे सरकार के सामने रखें। जहां तक उनका यह ध्येय था, उससे कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं तकरीरें उनकी सुन रहा था, जब भी वे अपने पोइन्ट को आगे बढ़ा रहे थे, बढ़ते बढ़ते कुछ वेग में आ जाया करते थे और इतने आ जाया करते थे जिसमें कि उनका अटेन्शन थोड़ा उनका ध्यान थोड़ा केन्द्रित हो जाता था एक-दो शख्सों के ऊपर। पेशतर इसके ऊपर आगे चलूं मैं यह मुनासिब समझूंगा कि मैं कम से कम उनकी गलत-फहमी जो अब तक है वह दूर कर दूं।

रायसिंहनगर से आने वाले हमारे श्री हान्डाजी ने इतने जोर से एक बात रखी

Page No 116

(श्री बालकृष्ण कौल)

तो मुझे शक होने लगा उनके जोर को देखते हुए कि जो आंकड़े मेरे पास हैं कहीं उल्टे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, या उनके पास जो आंकड़े थे वे कुछ अर्से के पुराने आंकड़े हैं। मैं नहीं कह सकता कि वे जान-बूझ कर बहुत लम्बे आंकड़े दे रहे हों। यह मैं जरूर मानता हूं कि उनके आंकड़े हों....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ताजा अण्डा मुहैया करिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं ताजा हण्डा करूं या अण्डा यह समझ में नहीं आता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर हण्डा कर सकते हैं तो वह कर दें और अण्डा कर सकते हों तो वह कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल : चेयरमैन महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीन सदस्य ने जो बड़े जोर से आंकड़े रखे उनमें कुछ मुगालता था मुझे आंकड़ों के लिहाज से। गुलाम अब्बास जाकिर हुसेन में जो बकाया है वह ३६,०००) रु० है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : बहुत कलील रकम है, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है कि यह भी हो। मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं। एक पैसा भी सरकार का जिसके ऊपर है वह गलत है, खराब है और मैं उसको ईमानदार नहीं समझता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६४ के बाद वसूल कर लिया गया हो तो आप बता दें। मैंने ६४ के आंकड़ें ८२ हजार के पेश किये हैं और यह कह कर पेश किए हैं कि ६४ के अन्दर गुलाम अब्बास के अन्दर ८२ हजार बकाया था और बसन्तकुमार के ऊपर २८ हजार बकाया था। कुछ वसूली हो गई हो तो मैं आपको मुबारिकबाद दूं। मेरे आंकड़े गलत नहीं हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि आपकी नीयत खराब है, लेकिन आपकी इन्फोर्मेशन गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चूंकि मैं वित्त मंत्री नहीं हूं, फाइनेन्स दफ्तर मेरे हाथ में नहीं है। मैंने ६४ के आंकड़े पेश किये। आपने वसूली कर ली हो तो बता दें। लेकिन वसूली बहुत बाकी है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैं मानता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी सुबुकदोष नहीं होना चाहता। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उन आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ठीक कर देना चाहता हूं।

दूसरा चेयरमैन महोदया,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बसन्तकुमारजी कहां हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा था उसके लिए कि जो दूसरे एक ऑपरेटर हैं जिसका नाम बसन्तकुमार है और मैं समझता हूं कि बसन्तकुमार के नाम के साथ और कुछ निस्बत उनकी रहती है जब वे तकरीर करते हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और निस्बत तो छोड़िये । मुझे यह इत्तिला दें कि यह वसूली कब हुई और किस तारीख को हुई ! आपके पास फाइल है, आप बराय महरबानी वसूली की तारीख बता दें। गुलाम अब्बास साहब और बसन्तकुमार महोदय ने कब रकम अदा कर दी राज्य को यह बता दें ?

श्री बालकृष्ण कौल : इस वक्त जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वह ले लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर आप यह नहीं बतायेंगे कि रकम कौनसी तारीख को दी है तो मेरा आंकड़ा खड़ा रहेगा और वह सही आंकड़ा है, क्यों तीन लाख....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपका खड़ा रहेगा कलंगी की तरह सिर पर ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल खड़ा रहेगा मुर्गी की तरह ।

श्री बालकृष्ण कौल : दूसरे बसन्तकुमार ऑपरेटर का जिक्र किया। उसके भी जो आंकड़े हैं एरियर्स के, वह आज तक के हैं सिवाय एक पांच हजार के आंकडे के, जिसका कि मामला अदालत में है। उस ऑपरेटर का यह मानना है कि यह जो ४८००) रु० उसके ऊपर लगाया है, जिसकी कि उसने अपील या रिव्यू किया हुआ है इसके लिए कि यह गलत है। उसका यह मानना है कि यह बस जिसके ऊपर कि एसेसमेंट किया है वह बस चली ही नहीं थी। जिस वक्त का उसका यह एसेसमेंट माना जाता है वह नहीं चली। मगर यह अदालत की बात है उस पर कोर्ट फैसला करेगी वह होगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खैर है कि उसने यह नहीं कहा कि वह बस दुनिया में नहीं थी। वह तिलस्मी बस थी।

श्री बालकृष्ण कौल : चेयरमैन महोदया, मैं इस वक्त माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे मुझे इजाजत दें कि आप इस वक्त और कोई अपनी टिप्पणियां न करें और जो मैं कहना चाहता हूं उसको सुनें।

इसलिए आज के दिन उनके पास उनके नाम जो दाखिला है हमारी बुक्स में...

(४. ३८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

वह ५० हजार या ४० हजार है और वह एक अदालत के सामने हैं। उनका यह मानना है कि गलत एसेसमेंट है और हमारा यह कहना है कि ठीक एसेसमेंट है। इसलिए २८ हजार, २६ हजार या ४० हजार, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-मु०) : माननीय सदस्यों का भ्रम दूर हो जायेगा, यदि आप तारीख बता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बसन्तकुमारजी दो किस्म के हैं। एक बसन्तकुमार हैं; बसन्तकुमार केयर ऑफ जाकिर हुसैन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गुलाम अब्बास और एक बसन्तकुमार सन ऑफ दीनानाथजी है। एक तो यह समझाइये कि दो बसन्त; एक ही बसन्त हैं, लेकिन दो बसन्तों के जिनमें आंकड़ें हैं बकाया के, एक तो बसन्तकुमारजी केयर ऑफ जाकिर हुसैन गुलाम अब्बास उनके कितने है और बसन्तकुमार सन ऑफ दीनानाथ के कितने आंकड़ें है, ये अलग अलग बताइये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता, कौन से बसन्त कुमार हैं, जाकिरहुसैन वाले हैं या कोई दूसरे हैं। मैं सिर्फ उनके व्हीकल नम्बर दे सकता हूं। बसन्तकुमार के दो गाड़ियां है- आर. जे. वाई. ११६६ और १७३६। अब यह किस बसन्तकुमार की हैं यह मालूम आप खुद कर लीजिये। इन दो गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स था उसका जिक्र मैंने किया....

श्री परसराम मदेरणा :(उप-मंत्री,गृह) इसके अलावा कोई गाड़ी हो तो आप बता दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : गाड़ियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इनको तो सिर्फ कहना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, नहीं तो आप रिकवरी डेट बतायें ?

श्री मथुरादास माथुर (योजना-मंत्री) : You can't say that

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :मैंने जो आंकड़े आपको बताये वे १९६४ के बताये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं वही कह रहा हूं। १९६४ के आंकड़ों की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके आंकड़े ठीक होंगे, लेकिन वे किसी जमाने के थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी। वह जमाना अभी गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य को यह एतराज है कि पांच हजार बाकी क्यों रहे, अट्ठाईस हजार क्यों नहीं रहे। यह सरकार ने वसूल कर लिये और अब नहीं रहे तो इसमें वित्त मंत्री क्या करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषण का तारतम्य न बिगाड़ें। इसलिए भाषण के बाद स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अर्ज करूंगा कि कल भी इस प्रकार की इस सदन में रूलिंग हुई थी कि मंत्री महोदय के भाषण के बाद स्पष्टीकरण कर लें....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन उसके बाद उस मांग को वोट पर रख दिया गया

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

था । हमारी यही इल्तजा है कि कल की तरह नहीं होगा, तब तो आखिरी में सवाल पूछ लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होगा । मैं आपसे निवेदन कर दूं । आॅर्डर प्लीज; माननीय सदस्य इतना सहयोग देंगे कि बीच में इन्टरप्शन नहीं होंगे तो मैं अवश्य ही मौका दूंगा, अन्त में क्लेरीफिकेशन के लिए मौका दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज पन्द्रह मिनट या आधा घंटा रख लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटा ? क्वेश्चन अवर तो उसे नहीं बनाना है । लेकिन यह जरूर है कि जो खास खास प्रश्न आपके होंगे उनके लिए मैं जरूर समय दूंगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इसमें दो राय नहीं है कि यह आर. जी. आर. टी. टैक्स है वह हमारा काफी एरियर में था और पिछले सत्र में मैंने यह निवेदन किया था इस हाउस में कि करीब चालीस, पचास लाख रुपया हमारा एरियर में हो गया है । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर दूं कि जो चालीस-पचास लाख रुपये का जिक्र मैंने किया था पिछले सत्र में कि इतना हमारा एरियर है आर .जी. आर. टी. का मुझे यकीन है कि इस साल के खत्म होने तक उसमें से जो रहेगा वह बारह-तेरह लाख रहेगा.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पौने दो करोड़ में से ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पैसेन्जर टैक्स की बात कह रहा हूं । लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए । पर यह आज का नहीं है, यह तो पुश्तैनी था और सरकार का यह एरियर का रवैया था....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पुराने वित्त मंत्री नाकाबिल थे ?

श्री बाल कृष्ण कौल : मैं पुराने वित्त मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं । मैं किसी पर कोई एस्पर्शन नहीं कर रहा हूं । आप इतने विजिलेन्ट न हों, होशियार न हों और इतना जोर न दें जितना इब्दता के साथ रेस्ट्रेन किया–यह बात मैंने कही, क्योंकि उसका असर पड़ता है । आपके कहने का असर पड़ा और इतनी रिकवरी हुई ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हम तो आपके हाथ मजबूत करते हैं...

श्री बालकृष्ण कौल : हाथ तो मजबूत करते हैं लेकिन टांग खींचते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : हाथ तो मजबूत करते हैं लेकिन टांग खींचते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह जो रुपया हमारे टैक्स का नहीं वसूल हुआ है, क्योंकि जनता ने टैक्स दे दिया, उसने जो पेमेन्ट कर

(श्री बालकृष्ण कौल)

दिया, फिर यह जो रख लिया अपने पास उस आपरेटर ने तो उसके साथ कोई सख्ती होनी चाहिए। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सख्ती होनी चाहिए और जितने कानून में हमको अख्तियारात दिये हुए हैं, उन अख्तियारात को देखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने काफी सख्ती की और उसी का नतीजा है.......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : और करें।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक कहते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : करीब ५० लाख में से आकर जब तेरह लाख रह जायेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : रह जायेंगे। ताली क्यों बजाते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ताली बजाने वाली बात कहां होती है...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पचास लाख कहते हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन्टरप्शन है ! मेरा यह कहना हैं कि तेरह लाख यह रह गये लेकिन कभी आपने लॉ डिपार्टमेंट से पूछा...

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आ रहा हूं उस पर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो लूट रहे हैं, जो टैक्स देते नहीं, जनता से लूट लेते हैं तो क्या ताकत है आपके पास उसको रोकने की....

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आ रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या आपने इस तरह डाका डालने और लूटने के सम्बन्ध में लॉ डिपार्टमेंट से जांच कराई कि क्या सख्ती लगाई जाय ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is a clear case of embezzlement.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आ रहा हूं उस पर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह पब्लिक से वसूल कर लेते हैं और आप यह कह कर ताली बजवा लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर इस प्रकार से सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वही हो जायगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि भाषण का तारतम्य न बिगाड़ें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि जो बात मैंने शुरू की है उस चीज को खत्म हो जाने दें।

श्री भैरोंसिंह : नहीं होगा !

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा निवेदन करना यह था कि आज तक जो कानून है उसमें यह एम्बेजलमेंट नहीं माना जाता। यह सिविल लाएबिलिटी है, इसको क्रिमिनल लाएबिलिटी नहीं माना है। यह इस सदन का अधिकार है कि इसे कानून में क्रिमिनल लाएबिलिटी कर दें...

श्री भैरोंसिंह : आपको अधिकार है, आप सदन में अमेंडमेंट मूव क्यों न कर दें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह अधिकार आपका है। आपको ऐसा फील हुआ तो अमेंडमेंट कर दें।

श्री भैरोंसिंह : आप कर रहे हैं या नहीं, यह बताइये ?

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज की तिथि तक जब तक यह कानून है, उस वक्त तक सिविल लाएबिलिटी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप रिट्रो-स्पेक्टिव इफेक्ट से क्रिमिनल लाएबिलिटी कराइये और जाकिरहुसैन और बसन्तकुमार ने रकम रोकी है उस पर केस चलाइये।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : चालान कर दीजिये और जेल में रख दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के आगे वाकयात रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन की अपनी क्युम्युलेटिव मजमूई अक्ल से...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शक्ति दे रहे हैं !

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार को मजबूर करें कि हम क्या करें।

श्री भैरोंसिंह : कैसे मजबूर करें ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : किस प्रकार मजबूर किया जाय, यह आप बता दीजिये। आपको मजबूर करने के लिए क्या करें, जिससे आप मजबूर हो जायं।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं, ये इन्टरप्शन चलते रहे....

श्री भैरोंसिंह : चलते रहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी समझ में ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : किस तरह मजबूर करें, यह उसका उपाय बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : शब्दों को न पकड़ें। उससे भाषण का सिलसिला टूट जाता है। एक बार आप सुन लें और उसके बाद जो पूछना हो वह पूछा जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे जानना चाहते हैं कि वह कौनसी नाजुक शक्ल मजबूरी हो, जिससे इनको मजबूर करें ? यह जानकारी चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह नाजुक मजबूरी अन्त में लाइये ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसका स्वागत किया जायगा आप बता दें, किस तरह मजबूर किया जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे खबर नहीं थी, माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि क्या तरीका हो ? तरीका तो आपके पास हर वक्त है, हर वक्त तकरीर कर सकते हैं, नॉन ऑफिशियल बिल ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं । मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप जो चीज महसूस करते हैं, जिसको बड़े जोरों से रखते हैं, उसे आप तरीके से रखिये । अगर यह देखा जायगा, गवर्नमेंट को मालूम हो जायगा कि वाकई आप लोग दिल से चाहते हैं कि क्रिमिनल लाएबिलिटी रखी जाय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल चाहते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को मजबूर होकर करना पड़ेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Very good.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या कह दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : तो इतना ख्याल आप रखें । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे सामने दिक्कतें क्या आ रही हैं । आप दिक्कतें समझिये । जो आज की हालत में वसूल किया, वह कोई आसान काम नहीं था और इसे माननीय सदस्यों को मानना चाहिए, मैं समझता हूं, वे दिल में मानते होंगे, ख्वाह हाउस में मानें या न मानें, क्योंकि हाउस का एक वतीरा हो गया है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दिल तो हाउस में है ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हाउस में जब माननीय सदस्य घुसते हैं, तो मैं नहीं समझता कि क्या हाउस का असर है, इसका असर होता है कि हाउस में आते ही दूसरी भाषा हो जाती है और बाहर मिलते हैं तो और भाषा होती है...

श्री उपाध्यक्ष : It is a sovereign House and they are in a sovereign mood.

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि वाकई माननीय सदस्य यह बात ही चाहते हैं कि इसमें क्रिमिनल लाएबिलिटी मानी जाय तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कल ही मोशन लायें ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं क्यों लाऊं ? आप लायें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं विरोधी दल की ओर से आश्वासन दिला सकता हूं और आप चाहें तो दस्तखत कराके दे सकते हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

किसी कागज पर दस्तखत करा दूं कि इसे क्रिमिनल लाएबिलिटी कर दें !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे हाथ खड़े करवा देंगे !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस सदन में ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो इसका विरोध करेगा । आप लाइये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार इस बात का विचार नहीं करती कि एडवांस में उनको बुक्स और स्टाम्प छपवा कर दें ताकि क्रिमिनल लाए-बिलिटी बनने की नौबत ही पैदा नहीं हो ।

श्री बालकृष्ण कौल : इस सुझाव को जो माननीय सदस्यों ने दिया है वह आज से नहीं व मुतवातिर दे रहे हैं कि स्टाम्प उस पर लगा दिया जावे ताकि रुपया भी हमारा वसूल हो जावे । मगर यह मैं नहीं मानता कि स्टाम्प लगाने से चोरी नहीं होगी । चोरी तो स्टाम्प लगावेंगे तो भी होगी । लेकिन कम होगी और हमको पैसा मिल जावेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Printed books...

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों ने जो अब तक सुझाव दिये थे उसमें स्टाम्प का ही था...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैंने किताबों का सुझाव बहुत पहले दिया था ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांड़ल) : मैंने गत वर्ष भी आपको यह सुझाव दिया था और पहले भी दिया था । इसके लिये मैं तीन वर्षों से कह रहा हूं और बराबर यह कह रहा हूं कि टिकट और किताबें छपवा कर उनको दे दी जावे ।

श्री बालकृष्ण कौल : बुक्स का मुझे ख्याल नहीं है । ठीक है स्टाम्प के होने से चोरी तो कम होगी और हमें रुपया भी मिल जावेगा और उस दिन मैंने आश्वासन दिया था कि यह होगा और मैं चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी हो । उस दिन से मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को इस बात के लिये तैयार किया कि टिकट भी वह छपा कर दे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर : आप छपवा लीजिये और मालिकों से पैसा ले लीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी आपका जो दूसरा सुझाव है कि किताबें छपवाई जावें और किताबों के छपवाने में कितनी दिक्कत होगी और उसमें चोरी हो सकती है या नहीं । ये सारी बातें मैं एग्ज़ामिन कराऊंगा । लेकिन यह मेरा ख्याल है कि जुलाई से टिकट हमारे पास आ जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो क्रिमिनल लाएबिलिटी की बात बतावें ।

श्री बालकृष्ण कौल : अभी आपकी तरफ से जो सुझाव दिया गया है...

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रिमिनल लाएबिलिटी नहीं मानी गई है वह सिविल लाएबिलिटी है, इस बात को उन्होंने मंजूर किया और आयन्दा वे टिकट के द्वारा व्यवस्था करने वाले है। प्रश्न यह है कि जो रकम उलझ गई है और लोग उसको देना नहीं चाहते और हमारे कमजोर कानून का लाभ उठा कर रकम को जमा नहीं करते हैं, उस कमजोर कानून का लाभ नहीं उठाया जाए इसके लिये क्या कर रहे हैं ? जैसा उनका खुद का विचार है कि वे लोग रकम देना नहीं चाहते और नहीं देंगे। उन लोगों से रुपया वसूल करने का क्या तरीका है ? क्या सरकार उन लोगों से रुपया वसूल करने के लिये कानून में कोई संशोधन लाकर इसको क्रिमिनल लाएबिलिटी डिक्लेअर करेगी ?

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, वह कानूनी चीज सामने आई है। इसमें कई बातें और सामने आ सकती हैं। आज हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकते हैं या नहीं इसलिए इसको एग्जामिन करके देखा जावेगा। यह मैं अभी इसके लिए कह सकता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हाई कोर्ट ने स्टे दिया। इसलिए यह तो जानते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : हाई कोर्ट ने रिट मंजूर करके फैसला दिया कि यह टैक्स ले रहे हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह टैक्स उसने वसूल कर लिया जावेगा और जितनी दफे गाड़ियें चली हैं, जितने महिने चली हैं, वह सब उनको देना होगा। किताब छपे या टिकट छपे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी कोई चिन्ता न करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या यह संभव है कि गवर्नमेंट ब्याज भरती रहे और उन लोगों के घरों में हमारा पैसा पड़ा रहे और वे लोग ब्याज कमाते रहें और सरकार ब्याज देती रहे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपको इतना कह दूं कि जिनके एरियर्स हैं मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि एरियर्स हैं उन पर इन्ट्रेस्ट हमको मिलता है और हम उस पर इन्ट्रेस्ट चार्ज करते हैं। इसलिए यह नहीं समझा जावे कि बिना इन्ट्रेस्ट के रुपया उनके पास पड़ा हुआ है। जहां तक पैसेन्जर टैक्स का ताल्लुक है, इतने प्रश्न हुए, उसमें दिमाग की श्रृंखला में कोई रह गया हो तो माननीय सदस्य मुझे बता दें।

१५० गाड़ियों के बारे में जो कहा गया उसके लिए मैं यह बता सकता हूं कि जो गाड़ियें चल रही हैं उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। यह एक ऐसी चीज है जिससे हम परेशान हैं। कभी यह सोचना पड़ता है कि इन्सटालमेंट के साथ जिन्होंने सिक्योरिटी दी है उनको हमने इजाजत दे दी वह क्यों दे दी ? मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अटेन्ड गाड़ियां हैं उनको जब सिक्योरिटी दे देते हैं, तो उनको यदि काम में नहीं लेने दिया जाय तो जहां से गाड़ियें चलती हैं वहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी

(श्री बालकृष्ण कौल)

उनको ग्रामदनी की परेशानी और हमको भी पैसा वसूल करने में परेशानी होती है....

एक माननीय सदस्य : आपकी गाड़ियें चलती होंगी।

श्री बालकृष्ण कौल : आप क्या चाहते हैं ? आप यह चाहते हैं कि १५० गाड़ियां रोड से उतर जावें। अगर मुझे अधिकार होता तो मैं १३ लाख रुपया वसूल कर लेता।

एक माननीय सदस्य : आपको अधिकार नहीं तो किसको है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इन सारी चीजों से आप वाकिफ हैं और फिर आप इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न उठाना न्यायसंगत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ को आपने रोक दिया है और कुछ का इन्स्टालमेंट मुकर्रर किया है उनको रिलीज कर दी है। अगर ये भी इन्सटालमेंट देने को तैयार हो तो क्या आप उनको भी रिलीज करने को तैयार हैं ? उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपने सुझाव दिया है, देखा जावेगा किस को अटेच्ड किया और रोक दिया है उनको रिलीज कर सकते हैं या नहीं ?

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में बात कह देना चाहता हूं और मुझे स्वीकार करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। माननीय सदस्यों ने कहा और मुकाबला किया, राजस्थान रोडवेज से आमदनी आती है टैक्स की, उसके मुकाबले में जो प्राइवेट बसेज से आमदनी आती है, कुछ कम आती है। मैंने यह देखा और उसके लिए चिन्तित हुआ कि भाई हमारे टैक्स जा रहे हैं इसको कैसे वसूल करना चाहिए दिमाग इधर ही लगा हुआ है क्योंकि जो कोर्पोरेशन की गाड़ियां हैं उनकी वसूली ग्रासानी से हो जाती है और उनकी नहीं। इसलिए मुमकिन है स्टाम्प जारी होने के बाद इतना फर्क नहीं ग्रावे और भी जो चीज मेरे दिमाग में उठी सारा डिपार्टमेंट इस सोच में है कि प्राइवेट गाड़ियों की ग्रामदनी है उसका टैक्स इतना कम नहीं होना चाहिए। उनकी जो ग्रामदनी है उसके प्रपोर्शन से कम नहीं होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : तीन आदमियों को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दीजिये तो सारी वसूल हो जावेगी।

(५.०० म० प०)

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि तीन गाड़ियों को छोड़ देने से हमारी आमदनी बढ़ जायगी। अगर ऐसा है तो वह भी यह सदन ही सोच सकता है, लेकिन मुझे तो इस प्रकार के अधिकार दिये ही नहीं हैं। हां, अगर सदन यह समझता है कि तीन गाड़ियों को छोड़ने से स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी तो सदन ऐसा कर सकता है, मुझे इसमें एतराज नहीं है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का है—

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि टाइम समाप्त हो गया है इसलिये जब तक कि यह मांग पूरी नहीं हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री बालकृष्ण कौल : इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ सवाल उठाये गये। जहां तक ड्यूटी का सवाल है, इस मांग से ताल्लुक है पर ड्यूटी के साथ दूसरी बातें जोड़ दी गईं, बिजली के एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध भी इससे जोड़ दिया, पर गवर्नमेंट को चाहिये कि हर बात की जानकारी करे, मैंने जानकारी कर लीं और मिनिस्टर कन्सर्न्ड हैं उनसे बात करके माननीय सदस्यों ने जो तकलीफें बताई हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश की जायगी।

मैं इतना निवेदन कर दूं कि बिजली की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई थी, पहले साल कानून में ३ पैसे रखे, उसमें एग्जेम्प्शन दिया इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को, दूसरे साल आपने उस एग्जेम्प्शन को हटा कर १ नया पैसा किया। यह सरकार की नीति थी कि इन्डस्ट्रीज़ पर नहीं लगाया जाय, फिर देखा कि थोड़ा सा लगा दिया जाय। अच्छा मालूम नहीं होता। उससे हमें करीब २०–२५ लाख की आय हुई।...

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रीज पर १ नया पैसा लगाने से ?

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं सब ड्यूटी मिला कर।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान एक-दो बातों की तरफ खींचा और पोइन्टेडली चाहा कि मैं जवाब दूं। चूंकि वे अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आये हैं वे हक समझते थे कि मैं उनको जवाब दूं....

श्री भैरोंसिंह : हम लोगों का हक नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपका भी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : थोड़े बहुत हिस्सेदार हम भी हैं कौल साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने कहा कि जब अजमेर गवर्नमेंट थी तो वहां इलेक्ट्रिक कम्पनी है। वह प्राइवेट लिमिटेड है, काफी अर्से से चली आ रही है, और यह कहा कि मैं उस वक्त उसका नेशनलाइजेशन चाहता था। मैं इस वक्त भी चाहता हूं और उस वक्त भी चाहता था : जितनी दिक्कतें आई प्रोसीजर में उनको हटाया। कायदे से लिमिटेड कम्पनी के उसके कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक नेशनलाइज़ करना था तो दो साल पहले प्रेसीडेन्ट को नोटिस देना चाहिये था। इस लिये अजमेर के मर्ज होने से पहले प्रेसीडेन्ट की तरफ से नोटिस दे दिया गया और करीब १ करोड़ रु० का प्लानिंग कमीशन ने प्रावधान भी कर दिया उसे टेक ओवर करने के लिये। लेकिन उसके बाद वक्त खत्म होने से

(श्री बालकृष्ण कौल)

पेश्तर अजमेर का विलय हुआ राजस्थान में। यहां थोड़ा माननीय सदस्य टाइम में गलती कर गये। अजमेर के समय में वह टाइम पूरा नहीं हुआ। ज्यों ही अजमेर का विलीनीकरण हुआ जुनेजा ब्रांदर्स इस कम्पनी के मैनेजर थे, उन्होंने कोशिश की कि इसका एक्सटेन्शन मिल जाय, एक तो सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी और कोशिश की कि नया कन्ट्रैक्ट उनके साथ हो जाय। तो इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि अजमेर गवर्नमेंट का जहां तक सवाल था नेशनलाइजेशन का पूरा फैसला कर लिया था, उसके लिये १ करोड़ रुपया आ गया था, जब इन्टीग्रेशन हुआ, वह रकम राजस्थान में आ गई। क्या दिक्कत थी राजस्थान सरकार के सामने, क्यों वह दिक्कत बनी यह राजस्थान सरकार जाने। फिर उसके लिए शायद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। आज स्थिति यह है कि वह बल्क में इलेक्ट्रिसिटी लेती है और अजमेर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये, आप फाइनेन्स मिनिस्टर बने। उसके बाद इस कम्पनी को टेक ओवर करने के प्रोपोजल्स आपके पास नहीं आये ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास ऑफिशियली कोई प्रोपोजल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : अनऑफीशियल हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : अनऑफिशियली तो आप भी कहते हैं।

तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जितना जल्दी नेशनलाइज़ेशन इसका हो जाय उतना ही अच्छा है। हमारे मिनिस्टर महोदय भी चाहते हैं कि हो जाय तो अच्छा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कम्पनी से जो मुआहदा हुआ है क्या उसको सदन की मेज पर रखेंगे ? पहले यह प्रश्न रखा तो पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। हमारे वित्त मन्त्री की नीति है कि नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये। बार बार सवाल करते हैं तो पता नहीं चलता है, हमारा एक करोड़ रुपया है, वह भी गया, नेशनलाइजेशन भी नहीं हुआ, आपको पता नहीं, आप सरकार चलाते हैं। आपको पता होना चाहिये कि एक करोड़ रुपया गया कहां ?

श्री बालकृष्ण कौल : जितना मुझसे सम्बन्ध है उतना मैंने अर्ज किया। मुझे अगर यह खबर होती कि आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो फाइल मंगा कर देख लेता, वरना इसमें किसी को पर्सनल इन्ट्रेस्ट थोड़े ही है ? कानूनी दिक्कत आ जाती है तो उसको तो दूर करना ही पड़ता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी आपसे किस भाव से बिजली लेती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना निवेदन कर दूं कि भाव का मुझे पता नहीं। एक सवाल माननीय सदस्य ने किया था, उनकी चिन्ता वाजिब थी कि यह पार्टी बड़ी चालाक है, वह हमारी एजेन्ट है, इसलिये

(श्री बालकृष्ण कौल)

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का कहीं आगे जाकर हमें धोखा न हो। जिस तरह की कंम्पनी है उनको डर हुआ, पर मेरे पास खबर है कि अभी उन्होंने लिया है तो २,७६,४२३ रुपया ६३–६४ में वसूल हो गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खैर, आप तो उससे समझे हुए थे जो वसूल कर लिया, पर दूसरे नहीं जानते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : हमने एरियर्स उनमें नहीं रखे हैं, पैसा वसूल हो रहा है। मुझे कहने में खुशी है कि माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, कि कहीं मेरे दिमाग से यह चीज निकल न जाय। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि उनके रुपये की कितनी वसूली हो रही है। एन्टरटेनमेंट टैक्सेज़ पर माननीय सदस्यों ने कहा। मैं समझता था कि जब एन्टरटेनमेंट टैक्स पर जनरल डिबेट हुई थी, तो मुझ पर असर हुआ था कि हर पार्टी के माननीय सदस्य यह साफ तौर से चाहते थे कि जिस क्लास में मिडल क्लास वाले जाते हैं, उसमें कुछ रद्दोबदल किया जाय और इसी सुझाव से और एक दबाव से मैंने अपने जवाब में, जो कुछ कर सकता था किया। मैंने ३० के बजाय ३५ कर दिया और ३५ के बजाय ४० कर दिया और दो रुपयों के ऊपर वालों के लिए ६०।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निचले तबके पर इम्पैक्ट कम कीजिए।

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि जो पंचायतों के नीचे सिनेमा हॉल हैं, उन पर हम लोग कोई टैक्सेज़ नहीं लेते। पंचायतों के एरिया में हमारा टैक्स नहीं है। यह नगरपालिकाओं के एरिया में है और वहां के पंचायत एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार है कि वे टैक्स लगाएं; उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, अगर वे टैप करें तो कर सकते हैं।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैंगू) : आपने उनको वसूल करने का अधिकार दिया है या छोड़ने का ?

श्री बालकृष्ण कौल : कानून में उनको अधिकार है, हम छोड़ने वाले कौन ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : मैंने पहले भी जिक्र किया था कि १५ हजार रुपये के गबन का सवाल है। पंचायत समिति को २००) रु० लगाने का अधिकार है, वह भी एन्टरटेन्मेंट टैक्स के नाम से नहीं है। खाली उनको वसूल करने का अधिकार है। सदन को आप गलत बता रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि उनको कानून में अधिकार है; लगाएं, छोड़ें, बढ़ाएं, घटाएं, वे कर सकते हैं।

श्री चौसरसिंह बाबेल : कौन से कानून से अधिकार है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्योंकि पंचायत समिति के चुनाव में कोई आपका आदमी जीत कर नहीं आया, उससे जलन हो उठी है, आप गांव वालों को लुटवाना चाहते हैं ?

श्री चौसरसिंह बावेल : मुझे कोई जलन नहीं है, पहले भी आपके आदमी थे और अब भी आपके हैं। सरकार का नुकसान है और पंचायत समिति का नुकसान है, आपके साथी खा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस वक्त हमने एक्ट बनाया उस वक्त प्रावधान कर दिया कि जो पंचायत समिति के अन्दर सिनेमा हैं, उन पर टैक्स लगाए या नहीं, हम मना करने वाले कोई नहीं। अगर किसी का ख्याल है कि हमने मना किया है तो बताए, हम उसकी शंका का समाधान करेंगे।

श्री चौसरसिंह बावेल : कोई आज्ञा तो बताइए कि कौनसा एक्ट है ?

श्री बालकृष्ण कौल : एन्टरटेन्मेंट टैक्स का सेक्शन २६ (ए) है उसमें लिखा हुआ है। शायद माननीय सदस्य ने उस टैक्स की अंग्रेजी वाली किताब पढ़ी है और हिन्दी वाली नहीं देखी है। उसमें यह अधिकार दिया हुआ है।

श्री चौसरसिंह बावेल : मैंने अच्छे अच्छे वकीलों से सलाह ली है।

श्री बालकृष्ण कौल : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एन्टरटेन्मेंट टैक्स के सम्बन्ध में सुझाव रखा, वह पहले भी एक दफा रख चुके हैं। वह यह कि यह टैक्स नगरपालिका का है और सरकार को यह टैक्स नहीं लेना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने इस सदन में कहा था कि तीन साल के पुराने हिसाबात को देखकर....

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह कानून बना था यह शर्त थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझसे पहले थी।

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं मानता हूं कि जो पहले इसमें प्रावधान दिया हुआ है और जो फैसला है हमारा नगरपालिकाओं के साथ, कि इस एक्ट के आने से पहले जिस शहर में एन्टरटेनमेंट टैक्स था उसके तीन साल का एवरेज देखा जाय। माननीय सदस्य ने कहा कि हम भारत सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि जिन एक्साइज ड्यूटीज़ को वे बढ़ाते हैं, तो हमें भी बढ़ी ई टैक्सज़ का हिस्सा मिलना चाहिए। उसी तरह से हमें भी बढ़ी हुई टैक्सज़ का प्रोपोर्शन नगरपालिकाओं को देना चाहिए। सुझाव बहुत ठीक है और होना भी यह चाहिए। लेकिन जब हम बजट बनाते हैं कुछ आय रखते हैं अपने खर्चों के मुकाबले में. अगर वे कह दें कि वह आय दे दी जाय तो उतना नुकसान सरकार को हो जाता है उसकी पूर्ति कैसे करें ? इसलिए यह कह देना कि हो जायगा, यह संभव नहीं है; लेकिन वे जरूर सोचें कि अगर नगरपालिकाओं को फायदा नहीं होता है तो कितनी कैटेगरीज़ में हम से वे मदद ले लेती हैं, वह भी रुपया तो इन्हीं टैक्सेज़ में से जाता है। जब हम उनके इखराजात में मदद कर रहे

(श्री बलकृष्ण कौल)

है, जयपुर में ऐसी कई सड़कें है, जिनकी मरम्मत और मेन्टीन्स पी० डब्ल्यू० डी० करता है। इस तरह से बहुत सी चीजें है। अब हमारे सामने स्ट्रीट लाईटिंग का सवाल आया। उसमें हम सोच रहे हैं कि शायद उनको उसमें भी मदद दें, तो हम किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते हैं तो अगर एन्टरटेनमेंट टैक्स का सिलसिला चला आ रहा है उसमें बड़ा भारी फायदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : यह बात सही है कि मनोरंजन कर की रकम देने से ही नगरपालिकाओं का काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक राज्य सरकार के टैक्सेज़ और नगरपालिकाओं के टैक्सेज़ कौन कौन से होंगे और कौन किसके अधिकार-क्षेत्र में घुस नहीं सकता, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आप केवल मनोरंजन कर लेते हैं, यह बात नहीं है और भी टैक्सेज़ पर आपने कब्जा कर रखा है और मनोरंजन कर आपने यदि किसी विचार से तय कर दिया तो वह डिस्क्रशन नहीं होगा, बल्कि सरकार पर ओब्लीगेशन होगा कि इतनी रकम दी जायगी। बाकी सब राजनैतिक दृष्टिकोण से दिए जा रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो मैं नहीं जानता कि जो कुछ डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट्स उनको दिये जाते हैं वे राजनैतिक हैं।

श्री भैरोंसिंह : बहुत ज्यादा हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : क्योंकि मेरी फाइल पर नहीं लिखा हुआ है कि इसके पीछे राजनैतिक विचार है।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर को और नगरपालिकाओं के मुकाबले ज्यादा मिलता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो जयपुर भी कर सकता है। अब जयपुर लाडला बच्चा नहीं है। आज जयपुर को कोई रोक नहीं है कि ओक्ट्रोय न बढ़ा कर अपने पैरों पर खड़ा हो। अजमेर का जहां मुकाबला आता है, माफ करिये अजमेर के लिए कहना चाहता हूं, अजमेर का जहां सवाल आता है आप उठा कर यह देख लीजिये कि जितनी चीजें होती हैं जयपुर में ही होती है, अजमेर में नहीं होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : दम नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : दम नहीं है या शरीफ हैं। बदमाश हैं। किसी को मिलता है या नहीं मिलता, जयपुर को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, ओक्ट्रोय अजमेर के मुकाबले में लगानी पड़ेगी तब ही यह अच्छा शहर बन सकेगा। यहां सदन में नहीं आवेंगे। २०-२५ हजार आदमी रो रहे हैं। उनका सवाल है। वह नहीं दिखेगा तब। यह जो म्युनिसिपैलिटी के दायरे में है उसके लिये तो सोचा नहीं जाता। सरकार ही सब कुछ करे। इलेक्शन कराये, उसका काम चलाये। फिर इस म्युनिसिपैलिटी को रखने से ही क्या फायदा है ? कह दीजिये कि जयपुर वालों को नहीं चाहिये, जयपुर वाले नहीं चला पाये, हमारी हिम्मत नहीं है, काबिल नहीं है। इसलिए इसको छोड़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो हर नगरपालिका मांग करेगी, जब तक आप उसकी आमदनी

(श्री भैरोंसिंह)

और उसके रिसोर्सेज में दखल देते रहेंगे। कोई नगरपालिका सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है, सरकार के पैसे से चलती है क्योंकि सरकार ने उनकी सारी आमदनी पर, उनके जो रिसोर्सेज है उन पर कब्जा कर लिया है। फिर कह दीजिये कि अजमेर को भी ग्रान्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या सरकार ग्रान्ट दे रही है ? मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि अजमेर को कोई एक्स्ट्रा ग्रान्ट नहीं दी जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : एक्स्ट्रा ग्रान्ट तो किसी को भी नहीं मिलती है।

श्री बालकृष्ण कौल : जयपुर को बहुत मिलती है। कल यहां स्ट्राइक हो रही है साहब ! तनख्वाह के चुकारे के लिये पैसा नहीं है। माननीय सदस्य स्वयम् एडजोर्नमेंट मोशन लावेंगे कि सरकार की यह ड्यूटी है। लोग भूखों मर रहे है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात आप बता दीजिये कि जयपुर की नगरपालिका को अपने स्टाफ को तनख्वाह चुकाने के लिए एक बार भी पैसा दिया हो ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मैं बता दूं कब पैसा दिया ? दिया है, लोन दिया हैं और उन्होंने इस चीज का फैसला किया...

श्री भैरोंसिंह : किस बात के लिए लोन दिया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तनख्वाह बांटने के लिये।

श्री बालकृष्ण कौल : एडमिनिस्ट्रेशन के लिये। जयपुर वालों को इस बात के लिये तैयार किया जाय कि वे अपनी टांगों पर खड़ें हों। इसके माने यह नहीं हैं कि मैं, आपने जो कुछ कहा है उसको नजरन्दाज करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेसेन्जर गुड्स टैक्स की बहस का सम्बन्ध था उसका करीब करीब मुझे याद था जवाब दे दिया।

दूसरी बहस हुई वह लोन्स एण्ड एडवान्सेज के लिए हुई।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर स्पीनिंग के बारे में बता दीजिये और खत्म करिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से जाकिरहुसेन, गुलाम अब्बास और बसन्तकुमार एक थीम हो गया है हाउस का, उसी प्रकार दूसरा चेप्टर है पोद्दार्स का जयपुर स्पिनिंग मिल्स का।

मैं इतना निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों को कि जरा इसकी वस्तु स्थिति को भी समझें, इसकी असलियत को भी समझ दें।

श्री भैरोंसिंह : असलियत आप बता दें।

श्री बालकृष्ण कौल : असलियत को आप समझ लेंगे तो जो सरकार ने किया है, मुझे यकीन हैं कभी प्रेजुडिस्ड न हो तो

श्री बालकृष्ण कौल)

आप उसको कहेंगे कि ठीक किया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जितनी तस्वीर मुझे याद है, इधर उधर के आंकड़ों में गलती हो उसके लिए मैं पाबन्द न समझा जाऊं क्योंकि जबानी मैं यह कह रहा हूं। जयपुर स्पिनिंग मिल्स राजस्थान बना उसके पहले से था मेरा ख्याल है जयपुर स्टेट का उसमें हिस्सा था। उसमें करीब २५ लाख के प्रिफरेन्शियल शेयर्स और २५ लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स थे। जिस वक्त राजस्थान में हुकूमत बनी प्रजातंत्र की, तो उसके एसेट्स एन्ड लाएबिलिटीज़ उसकी जेब में आये। उपाध्यक्ष महोदय, जो शासन था यहां उन्होंने क्या समझा और क्या नहीं समझा, जो उस वक्त शेयर्स दिये गये थे पोद्दार्स वालों ने या स्पिनिंग मिल्स ने, वह एक अजीबो गरीब तरीके से बंटे हुए थे। २५ लाख के प्रिफरेन्शियल शेयर्स थे जिसमें ५० परसेन्ट महाराजा के कहिये या स्टेट के कहिये, २५ लाख के करीब जयपुर स्पीनिंग मिल्स के थे। यह प्रिफरेन्शियल शेयर्स गोलिबन ४।। परसेन्ट या ५। परसेन्ट इन्ट्रेस्ट पर थे। उसके बाद जो २५ लाख के ओर्डिनरी शेयर्स थे उसमें पांच चार लाख के तो स्टेट के थे बाकी आम तौर से उनके थे या और में बंटे हुए थे मैं नहीं कह सकता। यह बंटवारा शेयरों का हुआ। जब यह इस सरकार में ट्रान्सफर हुए उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं दिया था। अब आप यह समझ लीजिये कि जयपुर स्पिनिंग मिल्स वाले इतने होशियार थे कि मैं यह नहीं मानता कि महाराजा को धोखा दे रहे हों, कोई चीज ऐसी होगी महाराजा के दिमाग में या उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके दिमाग में...

श्री भैरोंसिंह : वी. टी कृष्णामाचारी थे।

श्री बालकृष्ण कौल : कोई भी थे। इस किस्म का जो फैसला किया और बंटवारा किया शेयर्स का उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज होनी चाहिये उसको देखते हुए उन्होंने इस किस्म के शेयर लिये। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं उनके दिमाग में भी यही चीज़ काम कर रही थी जो इस हुकूमत के दिमाग में इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को यहां पर लाने के लिए काम कर रही है। वह यह है कि किसी तरह जयपुर में इन्डस्ट्री को लाया जाय। जो जो उस वक्त के मुहाअदे जयपुर स्टेट ने किये, आप अगर देखें, उपाध्यक्ष महोदय, वह अजीबी गरीब हैं। कोई माने नहीं रखते। आज अगर हमारी हुकूमत कर लें तो यही माननीय सदस्य कहेंगे कि यह करोड़ पति बन गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उस वक्त गवर्नमेंट ओनेस्ट थी।

श्री बालकृष्ण कौल : यही ओनेस्टी का नमूना है। यही ओनेस्टी का नमूना है कि २५ लाख में से १२।। लाख के प्रिफरेन्शियल शेयर्स लिये और चार पांच लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स, ताकि उसमें ताकत वेस्ट करें। स्टेट के हाथ में न रहे और उस कम्पनी की ताकत रहे। क्या वे बेईमान थे? लेकिन नहीं, उनकी यह इच्छा थी कि जयपुर में किसी प्रकार इन्डस्ट्री लगे। यही

(श्री बालकृष्ण कौल)

इच्छा आज इस हुकूमत की है कि राजस्थान में अधिक से अधिक इन्डस्ट्री लगे। यह सुखाड़िया सरकार का ध्येय है कि किसी तरह से राजस्थान में इन्डस्ट्री लगे। कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत गल्ती हो जाय। बाकी पुराना हिसाब उठा कर देखता हूं तो कोई नीयत में फर्क नहीं समझता हूं।

सीमेन्ट फैक्टरी है सवाई माधोपुर की, उसके शेयर्स का क्या हाल है? ७५ लाख के शेयर्स हैं, तीन पर्सेन्ट पर प्रिफरेन्शियल शेयर्स-इस तरह से ता-जिन्दगी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आज तक कोई भी अंगुली नहीं उठाता। पानी पी पी कर पैसा दिया है क्या उनकी नीयत खराब है? नहीं, उनकी नीयत भी खराब नहीं थी और न हमारी हुकूमत की खराब है।

इसी तरह से स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका ५९-६० में शायद तीन चार-लाख रुपया इन्टरेस्ट का आया। देखने में मेरे यह भी आया कि नई डीड हुई सरकार से बिना पूछे सवा पांच पर्सेन्ट इन्टरेस्ट करो, चूंकि इसकी वेल्यू घट रही है तो उसकी हमने सवा नौ और साढ़े नौ रेट आॅफ इन्टरेस्ट किया। तीन-चार लाख उधर क्रेडिट कर दिया। हमारी सरकार ने यह समझा कि यह डूबा हुआ रुपया है, कम से कम शेयर्स की रेट आॅफ इन्टरेस्ट तो बढ़ गई इससे कुछ वेल्यू तो बढ़ जायगी। उसी रुपये को डूबा हुआ समझ कर किस तरह से उसका साल्वेज किया जाय, डूबी हुई चीज को निकाल जाय। जहां तीन और चार पर्सेन्ट इन्टरेस्ट का सवाल था उसकी बजाय सवा नौ पर्सेन्ट रेट आॅफ इन्टरेस्ट किया। तो इससे एक चिन्ता तो जाती रही कि रुपया तो डूबा नहीं।

दूसरा प्रोपोजल आया कि शेयर्स को बेच दीजिये, इसका मैनेजमेंट बदलना चाहते हैं। कीमत लगा लीजिये और बेच दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं गवर्नमेंट के दिमाग में यह था कि डूबा हुआ रुपया जो हमें मिलता नहीं और शेयर्स को कम्पनी एक्ट में सिविल कोर्ट में जाते हैं तो उससे भी कुछ नहीं कर सकते। तो शर्त यह रखी कि १२॥ लाख के प्रीफरेन्स शेयर्स हैं उसका वेल्यूएशन करो। सरकार ने कहा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट श्री बाटलीवाला जिसका सम्बन्ध यहां कोई नहीं, वे इसका वेल्युएशन करेंगे। तो इस तरह से चार पांच लाख के शेयर्स जिनकी वेल्यू नहीं थी, वेल्युएशन करने की शर्त को माना। उसका इवेल्युएशन हुआ कि इसकी इतनी वेल्यू है।

श्री भैरोंसिंह: जिस समय प्रिफरेन्शियल शेयर्स पर हमारा इन्टरेस्ट एक्युम्युलेट हो रहा था उनके शेयर्स की वेल्यू क्या थी?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं डेफिनेट तो नहीं कह सकता फिर भी चालीस-पचास से ज्यादा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह: फिर उसके ९१ हो गये जिस बाटलीवाला से आपने इवेल्युएशन कराया उसके ९१ वेल्यू आंकी।

श्री बालकृष्ण कौल: इस वक्त आप मेरी बात को सुन लीजिये, डिटेल्स मेरे पास

(श्री बालकृष्ण कौल)

नहीं हैं। फिर आप कभी डिटेल्स में जायेंगे तो फिगर्स बता दूंगा।

अब आगे सवाल आता है ऑफ़र जो हमें दी थी, हमारी वेल्यू ठीक लग गई। ऐसी हालत में हमने देखा इन्वेस्टमेंट में क्या अड़चन पड़ती है शेयर बाजी से कोई फायदा नहीं, कभी कोई पैसा नहीं देगा। अपनी खोई हुई चीज को साल्वेज करने के लिए डूबे हुए पैसों को हम लोन के रूप में मान लें। गवर्नमेंट का लोन किसी पर है तो वह किसी भी तरह से ले सकती है। वह तो एक प्रकार का केपीटल है चाहे जिस समय ले सकते हैं। वह डूबा हुआ नहीं हो सकता फर्म की सिक्योरिटी पर्सनल है।

आम तौर पर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन साढ़े सात पर्सेन्ट पर देता है, हमने सात पर दिया है, एग्जेक्टली मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं इतना निवेदन करूंगा हमने अपने खोये हुए रुपये को जो शेयर्स डूब चुके थे उसको रिकवर किया है। हमने अपना पैसा बचाने की कोशिश की है, इसमें हमारी सरकार की नीयत साफ है। अगर माननीय सदस्य मदद करना चाहते हैं तो जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेन्ट फैक्टरी सवाई माधोपुर में है उसमें जो पैसा लगा हुआ है उसको वसूल करा दें।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह बताया कि इस कम्पनी ने ५९–६० में डिवीडेन्ड इश्यू नहीं किया अब आप मुझे बता दीजिये प्रिफरेन्शियल शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स थे। आपके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में मेम्बर हैं उन्होंने सरकार को इस बात की जानकारी दी थी क्या कि कम्पनी घाटे में क्यों जा रही है और आपने उस पर जांच कराई है क्या ?

दूसरा प्रश्न जिस समय आपका इन्टरेस्ट एक्युम्युलेट हो गया, कम्पनी के शेयर्स का भाव ४०–४१ आप मानते हैं बाद में जाकर वह ६१ हो गये। अपने इन शेयर्स की वेल्यू बढ़ी इसका मतलब हुआ कम्पनी की स्थिति में सुधार हुआ है तो ऐसी हालत में आप प्रिफरेन्शियल शेयर्स रखते हैं तो आपको कुछ और डिवीडेन्ड मिलता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आज जो डिवीडेन्ड दे रही है कम्पनी, उससे क्या मिलता है ? केवल ब्याज का पैसा मिलता है उससे क्या नतीजा ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को मुगालता है। प्रिफरेन्शियल शेयर्स पर डिवीडेन्ड जरूरी नहीं और इन्टरेस्ट है, वह कहीं जाने वाला नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : यह ख्याल ठीक है। इन्टरेस्ट तो हमें देना पड़ेगा। डिवीडेन्ड बांटें तो पहले हमारा चार्ज होता है अगर बांटें ही नहीं तो...

श्री भैरोंसिंह : वह तो कनइवेन्स है गवर्नमेंट की....

श्री बालकृष्ण कौल : हमारे डाइरेक्टर्स हैं उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं जो हमारे फाइनेन्स के आदमी जाते हैं उनकी रिपोर्ट मेरे सामने आती है....

श्री भैरोंसिंह : लेटेस्ट रिपोर्ट जो आयी है उसमें बड़ी गड़बड़ी बतायी गई है।

श्री बालकृष्ण कौल : रिपोर्ट है और आती है। वे वहां पर गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट को वाच करते हैं, इस बारे में आपने पूछा है तो मैं इसकी जानकारी करूंगा। मेरे पास फाइनल नहीं है, मैंने इस बारे में जितना मेरे दिमाग में याद था वह मैंने आपके सामने रखा। इस पर जो सरकार की नीति है वह भी मैंने आपके सामने रखी...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या राज्य सरकार यह बतायेगी, इससे पहले प्रिफरेन्शियल शेयर्स को लोन में कनवर्ट किया गया, राज्य सरकार ने इस बात को इग्जामिन किया है कि जिस तरह से मेवाड़ टेक्सटाइल को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेकर उसको प्रोफिट में कनवर्ट कर दिया, आज उसमें लाखों रुपयों का प्रोफिट हो रहा है तो उसी तरह जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल को भी स्टेट अन्डरटेकिंग में लेने के बाद कितना प्रोफिट हो सकता था इस प्रोपोजल को भी एग्जामिन किया या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसके बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको नहीं लिया है यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के नीचे आता है....

श्री भैरोंसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मूव किया है क्या कभी ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप इस बारे में दूसरे प्रश्न मत उठाइये इस चीज के लिए मैं सामने नहीं आया। और मौका मिलेगा उस वक्त रखियेगा। ताकि मैं इसका कम्पेरिजन कर सकूं। इस प्रश्न के मेरिट डीमेरिट में जा सकूं और तथ्य आपके सामने रख सकूं।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री भैरोंसिंह : बस बहुत है, आपसे हम सैटिस्फाइड हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के बारे में भी कहिये। आपने एक करोड़ रुपये दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उसको एग्जामिन करा लिया जावेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसके लिए इतना कह सकता हूं कि वह प्रोजेक्ट बड़ा लम्बा-चौड़ा है और मेरा ख्याल यह है कि सरकार ने वक्तन-फा-वक्तन जो इसमें मदद दी है उसका कारण यह है कि यह एक बड़ी इन्डस्ट्री हिन्दुस्तान में बने।

अब आपका जो यह खयाल है कि जिनके पास प्रोप्राइटरशिप है, उनका शेयर कैपिटल हमारे मनी से कम है, यह सही नहीं है। उनका बहुत ज्यादा है अभी तक। पर जितना यह रुपया मांगता है ये प्रोजेक्ट उतना रुपया देने की उनकी माली हालत नहीं है। तो इसलिए कुछ निगोशियेशन्स भारत सरकार से चल रहे हैं और मुमकिन

(श्री बालकृष्ण कौल)

है कि कुछ जल्दी ही कुछ थोड़े महीनों में हो इसका फैसला हो जावे कि जब यह सरकार के पास आ जावे या भारत सरकार के पास चला जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने एक करोड़ की गारन्टी दी है वह किस आधार पर ? आपने उसके लिए क्या कोई सिक्योरिटी ली है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां। उनके शेयर सारे हमारे पास प्लेज्ड हैं। हमने पूरी गारन्टी की है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह जो आप-यात्री कर तीन नये पैसे पर माइल लेते हैं जहां रोड बनाई वहां और जहां नहीं बनाई वहां १४ पैसे लेते हैं और चारपाई यात्री कर लेते हैं। अब जो कष्टमय जीवन बिताते हैं यात्रा में हैरानी होती है। सड़क नहीं होने से और कच्चा रास्ता होने से उनसे उल्टा ज्यादा लेना, यह कौनसी नीति है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह ८ पैसे लेता है पांच पैसे की जगह। इसके चालान होते हैं आठ पैसा लेता है, टैक्स नहीं देता है फिर भी आपकी उसके प्रति यह नरम नीति क्यों है, आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं भूल गया था इसका जवाब देना। जो मुझे मालूम है तीन चार किस्म की रेट्स हैं। पांच, आठ, बारह और सोलह पैसे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (मांडल) आप तो कच्चे रुट की बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : और आपके स्टेटमेंट से यह मालूम होता है कि पांच पैसा सिर्फ देता है और नहीं देता। मुझे खबर मिली वह यह है कि वह बराबर अपना पैसा जमा करा रहा है पूरे इस हिसाब से। पर जो असेसमेंट उनका हुआ मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि ६१–६२ का हुआ है। पर जमा हर साल कराता जाता है। अब असेसमेंट आगे और करेंगे तो डिफरेन्स हुआ तो ले लेंगे। इसलिए यह जो ख्याल है कि पांच पैसा दे रहा है और लेता आठ है यह ठीक नहीं है। और भी जब चीज सामने असेसमेंट के वक्त आवेगी तब देख लेंगे। आपने याद दिला दिया यह अच्छा किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आर. टी. ए. का फैसला इसके लिये हो रहा है कि पांच की जगह आठ ले रहा है और जयपुर के यात्रियों को लूट रहा है, सारे तरह की गड़बड़ियां कर रहा है, रोड टैक्स नहीं दे रहा है, चालान हो रहे हैं, परवाह नहीं करता तो इन सबकी जानकारी करके तो कुछ कहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर दूं कि जो मेरा ताल्लुक है वह सिर्फ इतना है कि पैसेन्जर टैक्स देखूं। और मेरा

(श्री बालकृष्ण कौल)

किसी से ताल्लुक नहीं है। तो उसमें कागजात असेसमेंट करते वक्त देखकर वसूल कर लेंगे।

अब माननीय सदस्य ने पहले भी सवाल उठाया था कि किसी प्रकार इनकी एजेन्सी एक हो तो वह सवाल अलग है। पर ऐसे मौके पर जब कि एजेन्सी अलग अलग हो तब तो मैं केवल अपना टैक्स देखूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री बालकृष्ण कौल : कच्चे रूट पर यात्री कर किस हिसाब से, लें इस पर विचार करेंगे। मैं इसे एग्जामिन करा लूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक मैंने और अर्ज की थी कि गांवों में जो मकान बनाने के लिए कर्जा देते हैं वहां देंगे एक लाख और ६३ हजार बांटने पर खर्च कर देंगे डिपार्टमेन्ट पर। यह कैसे ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब प्लान बनी तो १ करोड़ २५ लाख की थी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह रुपया कहां है ?

श्री बालकृष्ण कौल : उस प्लान को चलाने के लिए जितना स्टाफ रखना चाहिये वही करीब करीब रखा गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : स्टाफ तो रख लिया, पर काम कुछ नहीं हुआ और आप टैक्स बढ़ाने को तैयार हो जावें, यह कैसे हो सकता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : तो इसलिए आपको यह फर्क दिखाई दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शोर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,३५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,७२,८१,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.४८ पर कल दिनांक २७ मार्च १९६५ के म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ का उत्तर देखिये)

सूची निलम्बित कर्मचारी जी० आर० पी०, राजस्थान, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है

क्रम सं० १	नाम व पद २	दिनांक निलम्बित ३	वर्तमान स्थिति ४	रिमार्क ५
१	श्री अमीउल्ला खां है० कां० २३	४-८-६४	अभी के आदेशानुसार है० कॉ० के विरुद्ध जांच अधीक्षक आरक्षी अपराध (विशेष शाखा) राजस्थान, जयपुर को हस्तान्तरित कर दी गई है।	
२	श्री दुर्गाराम है० कां० ३४७	१४-४-६४	एस० एम० आई० उदयपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है जो कि अन्तिम निर्णय के लिये विचाराधीन है।	
३	श्री कालूराम है० कां० ६५७	२२-६-६४	विभागीय जांच सेक्शन ऑफिसर श्री के० एल० जैन द्वारा की जा रही है एस० एन० आई०, उदयपुर को जल्दी ही पूर्ण करने के लिये कहा जा रहा है।	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
४	श्री गेन्दालाल हैं० कां० ६०	१७-८-६४	जांच अधिकारी से अन्तिम जांच प्राप्त हो गई है । विधान की धारा ३११ के तहत दिये गये नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर आदेश दिया जावेगा ।	
५	श्री वीरेन्द्रसिंह एस० सी० ७८	९-९-६४	विभागीय जांच श्री पी० आर० डी० मन्डारी एस. एन. ओ. बी. आर. पी. द्वारा की जा रही है ।	
६	श्री नासिर खां एस० सी० ६११	९-९-६४	,, ,, ,,	
७	श्री कन्हैयालाल है० कां० ३९	२५-९-६४	चार्जशीट दिनांक २९-११-६४ को दी गई ।	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र दिनांक १४-४-६४ द्वारा माजी सौभाग्य कंवर पत्नि, स्वर्गीय श्री गुमानसिंह, नारायणपुरा ने एडीशनल कलेक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की।

अर्ज माजी सौभाग्यकंवर बेवा गुमानसिंह कौम राजपूत सा० नारायणपुरा तहसील नावां की निम्न है :—

(१) यह है कि मुझे ट्रेजरी नागौर से गुजारे की पेंशन का सालाना रुपये १७००) मिलते हैं जिससे दो साल का बिल रु० ३४०८)५० पैसे का मेरे वकील बलबीरसिंह को दिया। यह कि कल्याणमल महाजन साकिन मडावरा मुझे कल २ बजे तांगा में बैठाकर बीकानेर बैंक ले गया और श्री बलबीरसिंह जी भी मोटर से बैंक पहुंच गये और वहां पर मेरा अंगूठा करवा कर मेरे से बिल ले लिया और कहा कि तहसीलदार नावां से तसदीक होगी तब रकम मिलेगी। तो मैं यहां रुक गई। बिल की रकम मिलने पर चलूंगी।

(२) यह कि आज सुबह मुझे उन लोगों ने कहा कि हमने रकम पटा ली, आप गांव चले जावो। इस तरह इन्होंने मेरे साथ धोका देही कर मेरी रकम हड़प ली सो मुनासिब कार्यवाही का आदेश फरमायें तथा मेरे कागजात पेंशन उनके पास हैं वह रकम दिलावें। इति ता० १४-४-६४।

————

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५३ का उत्तर देखिये)

झालरापाटन के पशु मेले जो की पशु पालन विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं उनकी आय और व्यय की सूची :

क्र०सं०	पशु मेले का नाम	वर्ष १९५८–५९ आय व्यय	१९५९–६० आय व्यय	१९६०–६१ आय व्यय	१९६१–६२ आय व्यय	१९६२–६३ आय व्यय	१९६३–६४ आय व्यय	१९६४–६५ आय व्यय
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	गोमतीसाग,	– –	१६८५८ ७६१६.८७	।२४५१२।७१७५.४०	।२४६२२.३१।	२४०४६.७२	२८७०६.८०	४०७५८.६२
	पशु मेला वैशाखी ।				व्यय ७१७५.४२	व्यय ५०००	व्यय ४५००	व्यय ८०००
२.	कार्तिक मेला	२०७८० ८१४८.८१	२४४४६.७५।	२१८३३.५०	१७२२४.५२	१६११३.७०	३०६२१.६० ११५००	४२३२४.४:
	चन्द्रभागा ।		व्यय ६६६६.२०	व्यय ५१८६.१३	व्यय ८५८१.६३	व्यय ७६६७.७२		व्यय १६०००

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४० का उत्तर देखिये)

सन् १९५६–५७ से अब तक सीधी भर्ती द्वारा एवं पदोन्नति द्वारा सब इन्सपेक्टर बनाये गये व सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनाये गये उनमें अनुसूचित जाति के आंकड़े — बाबत नकशा।

क्र० सं०	नाम जिला	सीधी भर्ती द्वारा बनाये गये स० इ०	पदोन्नति द्वारा बनाये गये स० इन्सपेक्टर	अनुसूचित जाति के सब इन्सपेक्टरों की संख्या।	सन् १९५६–५७ से अब तक सब इ० से इन्सपेक्टर बनाये गये।	प्रमोशन दिये गये हैं से अनु० जाति की संख्या	संख्या अनुसूचित जाति के सब इन्सपेक्टरों की पोस्टिंग: सी० आई० डी०	पुलिस लाईन	थाने के इन्चार्ज	थानों पर सेकण्ड अफसर	प्रोपकारी	ट्रैफिक	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१.	जयपुर	३	३८	४	७	–	–	३	३	–	–	–	
२.	अजमेर	३	१८	१	–	–	–	–	१	२	–	–	
३.	सीकर	२	६	–	२	–	–	–	१	–	–	–	
४.	सवाई माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	२	–	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५.	भरतपुर	–	४	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
६.	अलवर	–	६	२	–	–	१	–	१	–	–	–	
७.	टोंक	–	४	–	१	–	–	–	–	–	–	–	
८.	झुंझुनू	–	१	–	१	–	–	–	–	–	–	–	
९.	जोधपुर	४	१२	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
१०.	जैसलमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
११.	बाड़मेर	–	४	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
१२.	पाली	–	–	–	२	–	–	–	–	–	–	–	
१३.	जालोर	–	–	–	१	–	–	–	–	–	–	–	
१४.	नागौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
१५.	सिरोही	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
१६.	उदयपुर	५	२२	–	६	–	–	–	–	–	–	–	
१७.	भीलवाड़ा	४	१०	२	–	–	–	–	–	–	२	–	
१८.	चित्तौड़गढ़	२	२१	–	३	–	–	–	–	–	–	–	
१९.	डूंगरपुर	३	१०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
२०.	बूंदी	२०	२	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२१.	कोटा	७	२४	३	४	–	–	–	१	–	–	१	
२२.	झालावाड़	३	१४	–	४	–	–	–	–	–	–	–	
२३.	बांसवाड़ा	६	११	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
२४.	बीकानेर	१	१०	–	२	–	–	–	१	–	–	–	
२५.	चुरू	–	८	–	४	–	–	–	–	–	–	–	
२६.	गंगानगर	३	–	–	३	–	–	–	१	–	–	–	
	योग	६६	२२८	१२	४१	–	२	३	६	२	४	१	

परिशिष्ट ५

(समयाभाव के कारण प्रश्न–समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्न)

नगरपालिका कर्मचारियों का राजकीय सेवा में ट्रांसफर

५६३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलीटीज़ एक्ट, १६५१ की धारा २०६ में प्रावधान था कि नगरपालिका कर्मचारियों का ट्रांसफर राजकीय सेवा में हो सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका एक्ट, १६५६ मे नगरपालिका कर्मचारियों का राजकीय सेवा में ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ तथा लिपिक वर्गीय सेवा निगम के ८ के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारी का नगरपालिका में डेपुटेशन हो सकता है ?

(४) क्या सरकार नगरपालिका कर्मचारियों के राजकीय सेवा में ट्रांसफर के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) ये अधिकार राज्य सरकार में निहित थे ।

(२) यह सही है ।

(३) यह सही है ।

(४) जी नहीं ।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर देखिये)

S. No. 1.	Name of the Instt. where there is no doctor. 2.	Date from which place is vacant (for about) 3.	Remarks. 4.
1.	Mahaveerji.	1962	Compounder Cr. I is working
2.	Mandrall.	1962	—do—
3.	Malaria.	1963	—do—
4.	Narauli.	1962	—do—
5.	Saputra	30.3.64	—do—
6.	Chauth Ka Barwara.	Dr. J. Marik has left the servsices and not yet resumed his duty.	
7.	P.H.C. Bhagwatgarh.	1962	Compounder Cr.I. is working.
8.	P.H.C. Hadoti.	5.4.64	—do—
9.	P.H.C. Machalpur.	1962	—do-
10	P.H.C. Gudhachanderji.	Dr. S.P. Sardhana has been appointed but the joining report has not yet been received.	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-शुक्रवार, दिनांक २६ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५६८३	अन्तिम से १	हीना	होना
५६८८	१८	उ ।-मंत्री	उप-मंत्री
५६९१–९२	शीर्षक	अ. सं. के तरांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५६९३	शीर्षक	– र्च	मार्च
५६९५	शीर्षक	माच	मार्च
५७०२ व			
५७०३	२१ व ७	झालारापाटन	झालरापाटन
५७०५	शीर्षक	२४ मार्च	२६ मार्च
५७०६	५	घ्यवस्था	व्यवस्था
,,	१२ व २४	श्री	श्रीमती
५७०७	२	राजरथान	राजस्थान
,,	२६	एक्न-रे	एक्स-रे
,,	अन्तिम से १	या ज्यादा है	है या ज्यादा है
५७०९	शीर्षक	२३ मार्च	२६ मार्च
५७१८	१४	चका	चुका
५७२४	३	स्वोकार	स्वीकार
५७२९	१	की	का
५७३३	शीर्षक	माच	मार्च
५७३७	२३	s e	see
५७४५	२४	डब	डूब
५७४६	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
५७६३	१६	टेंगेपरेरी	टेम्पोरेरी
५७६५	शीर्षक	माच	मार्च
५७७२	,,	आकषित	आकर्षित
५८०६	२४	गो ु लप्रसाद	गोकुलप्रसाद
५८११	६	नाई हैं	जो नहरें बनाई हैं
५८१७	शीर्षक	माच	मार्च
५८२२	१९	नेशनाइजेशन	नेशनलाइजेशन

(२)

१	२	३	४
५८२५	अन्तिम से १	"दि एतले अंधेरा"	"दिए तले अंधेरा"
५८२७	१६	श्री मो ीलाल	श्री मोतीलाल
५८३०	शीर्षक	महनूल	महसूल
५८३६	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
५८४०	५	आ प ा	आपको भी
,,	८	स्टा	स्टॉप
,,	अन्तिम से १३	पसेन्जर	पैसेन्जर
,,	४	वाणगगा	वाणगंगा
५८४३	अन्तिम से २	री	मेरी
५८४६	शीर्षक	महसू ा	महसूल
५८५०	शीर्षक	महनूल	महसूल
५८५२	अन्तिम से ३	मदे णा	मदेरणा
५८५४	१०	आाका	आपका
५८६७	शीर्षक	अन्य क !	अन्य कर
५८६८	८	ह	हैं
,,	२३	अ र	अन्तर
५८७२	२०	पंचाय ा	पंचायत
५८८१	शीर्षक	मा ि	मार्च
५८८८	१५	बंगाल	वंगाल
,,	,,	राजस्थन	राजस्थान
५८८९	२८	चाहता	चाहता हूं
५८९५	शीर्ष	मानिकचन	मानिकचन्द
५९०४	२१	रख	रखें
,,	२२	काई	कोई
५९०६	१२	आप ी	आपकी
५९१८	शीर्षक	अग्रि	अग्रिम
५९१९	अन्तिम से ३	गिरध रीलाल	गिरधारीलाल
५९२०	७ व २०	फौल	कौल
५९२६	१	कल	कौल
५९२७	शीर्षक	माच	मार्च
५९२८	२०	वरर्ना	वर्ना

(३)

	२	३	४
५६३०	८	चोसरसिह	चौसरसिह
,,	२२	चौसरसिड	चौसरसिह
५६३२	१६	ो	को
५३३५–३६	शीर्षक	५५	६५
५६३६	३	ोल	कौल
५६४४	१७	श्री वालकष्ण	श्री वालकृष्ण
५६४८	२०	मदय	महोदय
,,	अन्तिम से ३	तदनतर	तदनन्तर
५६४६	२	५३५	५४५
५६५१	२	कंवर पत्नि, स्वर्गीय	कंवर, पत्नि स्वर्गीय
,,	अन्तिम से ३	धोका देही	धोखादेही
५६५२	२	मेले जो की	मेले जो कि